# BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
# PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
## ORIGINAL APPLICATION NO. 394/2022

**IN THE MATTER OF:**
PUSHPENDRA KUMAR

...APPLICANT(s)

**VERSUS**

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KADURA

...RESPONDENT(s)

**INDEX**

| S. NO. | PARTICULARS | PAGE NO. |
|---|---|---|
| 1. | FURTHER PROGRESS REPORT BY OF AFFIDAVIT BY THE PRINCIPAL SECRETARY, ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 19.12.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI | |
| 2. | A COPY OF FURTHER PROGRESS REPORT/COMPLIANCE REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS **ANNEXURE-1** | |

*THROUGH COUNSEL*

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL- bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.- 6375115224

**DATE: 01.05.2025**
**PLACE: LUCKNOW**

Satya Prakash Srivastava ADV & NOTARY LKO U.P. INDIA Regd. No. 31/2000 NOTARY GOVT. OF U.P. INDIA

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**
**ORIGINAL APPLICATION NO. 394/2022**

**IN THE MATTER OF:**
PUSHPENDRA KUMAR

**...APPLICANT(s)**

**VERSUS**

BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, KADURA

**...RESPONDENT(s)**

**FURTHER PROGRESS REPORT BY OF AFFIDAVIT BY THE PRINCIPAL SECRETARY, ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT, STATE OF UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 19.12.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

I, **K. RAVINDER NAIK**, aged about 59 years, S/o Sri **HUKYA NAIK**, posted as Principal Secretary, Animal Husbandry Department, Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. I, **K. RAVINDER NAIK**, Principal Secretary, Animal Husbandry Department, Uttar Pradesh, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present Affidavit.

NOTARY Satya Prakash Srivastava ADV & NOTARY LKO. U.P. INDIA Regd. No. 31/2000 GOVT. OF U.P. INDIA

SWORN & VERIFIED BEFORE ME

Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India
01/5/25

2. That in the present matter, the Applicant by way of the present application seeks judicial intervention to ensure the enforcement of environmental guidelines and standards in Gaushalas and slaughterhouses within District Jalaun. It calls for the provision of basic facilities and the implementation of pollution control measures in government-run Gaushalas, along with the imposition of environmental compensation for non-compliance.

3. Additionally, the petition emphasizes the need for a ban on illegal slaughter houses and the enforcement of environmental norms in licensed ones. To ensure accountability, the petition requests the formation of an oversight committee to monitor and ensure compliance with these measures.

4. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 19.12.2024 directed the Deponent to file further progress report with respect to the compliances made with the directions given by the Hon'ble Tribunal vide order dated 13.08.2024.

"...4. *Affidavit dated 05.12.2024 has been filed by Additional Chief Secretary, Animal Husbandry Department, Government of Uttar Pradesh.*

NOTARY
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY
LKO. U.P. INDIA
GOVT. OF U.P. INDIA

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow, U.P. India
01/5/25

*5. Applicant may file response/objections to the said affidavit, if so desired, at least one week before the next date of hearing fixed.*

*6. Additional Chief Secretary, Animal Husbandry Department, Government of Uttar Pradesh is directed to file additional affidavit detailing the further progress made with respect to compliance with the directions given by this Tribunal…"*

5. That the compliances made in pursuance to the directions issued by the Hon'ble Tribunal vide order dated 13.08.2024 are as follows:

   A copy of further progress report/compliance report is annexed herewith and marked as **ANNEXURE-1.**

6. That in pursuance of "***(i) to explore the possibility of setting up and running of gaushalas which can accommodate 2000-3000 cows by Gram Panchayats by identifying/allocating suitable grazing lands available with Gram Panchayats for this purpose or seeking expression of interest from NGOs, Societies/Farmers, Associations/Unions of Farmers or Environmental/Social Activists, Corporate Bodies for participation in setting up of gaushalas which can accommodate 2000-3000 or more cows and proper operation and maintenance of the same so as to make the same***

NOTARY GOVT. OF U.P INDIA
Satya Prakash Srivastava ADV & NOTARY LKO. U.P. INDIA Regd. No. 31140/2000

SWORN & VERIFIED BEFORE ME

Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India
8/9/25

*self sustaining as far as possible or with subsidy as per Uttar Pradesh Government Schemes already issued or with CSR funds by corporate bodies or by adopting schemes successfully operating in other State(s) or following model adopted by any of the NGOs, Societies/Farmers, Associations/Unions of Farmers or Environmental/Social Activists, Corporate Bodies;"* the actions taken are as follows:

i. In order to ensure the protection of destitute cattle, the Government of Uttar Pradesh issued Government Order No. 4324-37-2-2018-5(53)/2018 dated 02.01.2019, whereby a policy was put into effect for the establishment of temporary and permanent cow shelters across the State. The State Government remains firmly committed to the effective protection and welfare of stray cattle. *(Annexure-1)*

ii. At present, the State Government has made arrangements for the protection of a total of 12,49,244 cattle through various categories of shelters as follows:

a. 6,721 Temporary Cow Shelters housing 10,20,965 cattle,
b. 372 Large Cow Protection Centres accommodating 1,42,012 cattle,
c. 295 Kanha Cow Shelters sheltering 73,602 cattle, and
d. 306 Cow Rehabilitation Houses (Kozhi Houses) with 12,665 cattle.

NOTARY
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY
LKO. U.P. INDIA
GOVT. OF U.P. INDIA

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India
01/5/25

These efforts toward the continued protection of cattle are ongoing. *(Annexure-2)*

iii. Across the State, there exists a total of 61,118.82 hectares of pastureland, of which 11,822.96 hectares have been tagged with cow shelters. For the purpose of ensuring green fodder for the protected cattle, 1,448.41 hectares have been cultivated with Napier grass and 5,263.43 hectares with other green fodder varieties, totaling 6,711.84 hectares under green fodder cultivation.

iv. Pursuant to Government Order No. 261/37-2-2019-5(53)/18 dated 28.01.2019, 63 Large Cow Protection Centres and 55 Temporary Cow Shelters, totaling 118 cow shelters, are being operated by Non-Governmental Organizations (NGOs) and voluntary organizations involved in animal welfare. Furthermore, the process of operating cow shelters through NGOs, Societies, Farmers' Associations/Unions, Environmental/Social Activists, Corporate Bodies, etc., via Memoranda of Understanding (MoUs), is ongoing. In this regard, Government Order No. 2462/37-2-2024 dated 29.11.2024 is enclosed as *Annexure-2A*.

v. There are a total of 15 cow shelters in the State where more than 2,000 cattle are being protected. Additionally, in six districts-

NOTARY
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY
LKO. U.P. INDIA
Regd. No. 31(46)2000
GOVT. OF U.P. INDIA

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India
01/5/25

Mathura, Lalitpur, Kanpur Nagar, Ayodhya, Gautam Buddh Nagar, and Agra, specific Cattle Shelter Centers have been identified for cow protection.

vi. A cow shelter with a capacity to accommodate 5,000 cattle has been constructed in Village Tugalaqpur, District Muzaffarnagar by the National Dairy Development Board (NDDB), and the same is currently operational.

7. That in pursuance of ***"(ii) To Ensure Implementation and Compliance with the Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas Issued by the CPCB and the Manual on Management of Gaushalas Issued by ICAR"*** the compliances made are as follows:

i. In accordance with the Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas issued by the Central Pollution Control Board (CPCB) and the Manual on Management of Gaushalas issued by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the Government of Uttar Pradesh has issued Government Order No. 2104(1)/37-2-2023 dated 30.08.2023 *(Annexure-3)* pertaining to the environmental management of cow shelters and protection centres established for the care and shelter of destitute cattle.

NOTARY
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY
LKO U.P. INDIA
Regd. No. 31/[illegible]
U.P. INDIA

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME

Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India
01/5/25

ii. While the CPCB's "Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms & Gaushalas (Revised 2021)" and ICAR's "Manual on Management of Gaushalas" (2016) are applicable to gaushalas and dairy farms, the cow shelters established in the State are meant only for unproductive and stray cattle. Most such shelters accommodate fewer than 200 animals and are located in remote areas, far from human habitations. Consequently, the quantity of dung, urine, and fodder waste generated is minimal and is typically used within the shelters for composting purposes. Furthermore, there is a system of barter wherein interested farmers may exchange straw or stubble for dung generated at these cow shelters. Thus, the environmental impact of waste generated at these shelters is negligible.

iii. Temporary Cow Shelters (which may be fully dismantled at any time) are established, managed, and operated by the local bodies, as per the policy framework declared under Government Order dated 02.01.2019 and the Guidelines issued thereafter on 28.01.2019. These guidelines provide for identification and leveling of land, standards for space allocation, drinking water, lighting, environmental safeguards, and the designated responsibilities of various departments for the disposal of deceased cattle. *(Annexure-4)*

NOTARY
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY
LKO U.P. INDIA

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India

iv. That the cow shelters are operated with the assistance of rural/urban local bodies and are funded by the State Government for their upkeep and maintenance. In this context, environmental management for such shelters has been provided under Government Order No. 2104/37-2-2023 dated 30.08.2023. *(Annexure-5; GO also annexed as Annexure-3)*

8. That as per ***"(iii) to ensure implementation of and compliance with the recommendations made by the Joint Committee and the Oversight Committee reproduced in earlier part of this order"***, the compliances made are:

i. At the State level, Government Orders have been issued from time to time during summer, monsoon, and winter seasons for the protection of stray cattle housed in cow shelters *(Annexures 6 A to F)*. Since 2019, monitoring has been undertaken six times at the State level through the designation of nodal officers from State and administrative departments. Based on district-wise reports received from these nodal officers, deficiencies have been addressed accordingly.

NOTARY GOVT. OF U.P. INDIA

SWORN & VERIFIED BEFORE ME

Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India
04/5/25

ii. All cow shelters are equipped with essential infrastructure facilities such as roads, drainage, vermi-compost/compost units, etc. Balanced nutrition including dry fodder, green fodder, grains, salt, and jaggery is being provided to the cattle. Adequate arrangements for dry and green fodder as well as clean drinking water have been ensured across all shelters. Temporary cow shelters do not fall under the purview of the guidelines issued by CPCB and ICAR.

iii. All cow shelters have been fenced with boundary walls or barbed wire and caretakers have been appointed for round-the-clock surveillance. Qualified, trained, and experienced individuals have been engaged as caretakers. Stray cattle are captured without causing harm and housed safely in cow shelters.

iv. During winter, appropriate arrangements such as bonfires, tarpaulins, and cow coats are made for warmth. Veterinary officers have been assigned duties at each cow shelter to provide regular medical treatment. In addition, 520 Mobile Veterinary Units (MVUs) available in the State conduct regular health checkups and veterinary services at cow shelters. Sick and disabled cattle are kept separately and attended to with care.

NOTARY
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY
LKO. U.P. INDIA
Regd. No. 31/40/2000
GOVT. OF U.P INDIA

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME

01/5/25

v. Standard Operating Procedure (SOP) regarding health check-ups and treatment of stray cattle housed in cow shelters has been issued through Government Order No. 1202/Saithis-2-2024-5(53)/2018 dated 05.06.2024 (Annexure 7).

vi. Through Government Order No. 2275/Saithis-2-2023-5(53)/2018 dated 20.09.2023, the daily maintenance allowance has been increased from ₹30 to ₹50 per cattle, and is being disbursed via Direct Benefit Transfer (DBT) to the cow shelters (Annexure 8). Earlier, vide Government Order No. 80CM/Saithis-2-2023-5(53)/18 TC dated 18.04.2023, funds for the maintenance of stray cattle have been directly transferred via DBT into the accounts of cow shelter operators w.e.f. 01.06.2023. Similarly, under the Hon'ble Chief Minister's Stray Cattle Participation Scheme, maintenance funds for adopted stray cattle are being transferred directly to beneficiaries' accounts w.e.f. 01.10.2023. As of 31.03.2025, over ₹212 crores have been transferred online under the participation scheme.

vii. To address the financial gap between actual expenditure and available funding for cattle maintenance, it has been decided that a portion of funds allocated to Gram Panchayats under the State Finance Commission shall be pooled and shared with the Panchayat where the

NOTARY
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY
LKO. U.P. INDIA
Regd. No. 371/00/2000
GOVT. OF U.P. INDIA

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME

Advocate
Lucknow 01/5/25

cow shelter is established. Provisions under Section 16A of the Uttar Pradesh Panchayati Raj Act, 1947 empower Gram Panchayats to provide assistance to persons, institutions, and activities beyond their jurisdiction, subject to general or special sanction by the State Government. In line with this, the Panchayati Raj Department issued Government Order No. 1347/33-3-2022 dated 03.07.2022 directing Gram Panchayats to take appropriate action for the maintenance of stray cattle in shelters established in their area (Annexure 11). As a result, ₹50,76,82,677.55 have been pooled till date.

viii. Regarding the transportation of stray/injured large animals, Government Order No. 1854/33-2-2022-5913/2019 dated 03.08.2022 issued by the Panchayati Raj Department, Government of Uttar Pradesh, authorizes District Magistrates to purchase or hire cattle catchers/multi-purpose vehicles as per their district's requirement (Annexure 12). Additionally, the entire operation may be outsourced at a per-animal cost. The expenditure for such operations may be borne by District/Block Panchayats either from the State Finance Commission funds or their own income. A total of 799 cattle catchers have been procured in various districts of the State.

NOTARY
GOVT. OF U.P. INDIA
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY
LKO. U.P. INDIA

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India
01/5/25

ix. To assess the condition of cow shelters and the progress of programs run for stray cattle protection, nodal officers are regularly deployed to various districts. Government Orders No. 1525/Saithis-2-2023-5(53)/2018 TC dated 07.07.2023 and No. 1/467654/2024 dated 10.01.2024 were issued to send such officers for monitoring the operation and management of cow shelters (Annexure 13).

x. interdepartmental campaigns have been launched by the Animal Husbandry Department, Rural Development, Revenue, Panchayati Raj, and Urban Development Departments for the protection of stray cattle. Government Orders No. 2562/Saithis-2-2023-5(53)/2018 TC-5 dated 31.10.2023 and No. 1469/Saithis-2-2024-5(53)/2018 TC-5 dated 04.07.2024 were issued to launch campaigns to ensure 100% sheltering of all remaining stray cattle. An intensive campaign was again conducted from 07.12.2024 to 14.12.2024 for the same purpose (Annexure 14).

xi. To prevent road accidents, Government Order No. 2102/Saithis-3-2024-5(53)/2018 TC-5 dated 07.10.2024 instructed that redium (reflective) collars be affixed to cattle in villages near highways to reduce accident risks during night-time movement (Annexure 15).

NOTARY
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY X1.
LKO. U.P. INDIA
Regd. No. 31(48)2000
GOVT. OF U.P. INDIA

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India

xii. In view of the unavailability of green fodder year-round, Government Order No. 2145/Saithis-2-2024-5(53)/2018 TC-5 dated 22.10.2024 issued directives for the use of silage as an alternative fodder (Annexure 16), which has shown positive effects on cattle health. Accordingly, the use of silage as a substitute for green fodder is being implemented in cow shelters.

xiii. Additionally, it is submitted that based on the Oversight Committee's report dated 09.01.2024, action plans are being prepared and implemented on various parameters such as infrastructure development, capacity enhancement, environmental protection, availability of green fodder, dry fodder, grains, treatment and veterinary care of cattle, postmortem and veterinary reports, training, maintenance of income-expenditure records, and all relevant registers (Annexure 17). Corresponding Government Orders and formats have also been issued.

NOTARY
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY
LKO. U.P. INDIA
Regd. No. 31/482006
GOVT. OF U.P. INDIA

9. That in pursuance of *"(iv) To review all Gaushalas/Nirashrit Goashray Sthals in the State of Uttar Pradesh and close all Gaushalas/Nirashrit Goashray Sthals which do not meet siting criteria, requirement of land and infrastructure, or are not complying with the Guidelines for*

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME

Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India
01/5/25

*Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas issued by the CPCB, the Manual on Management of Gaushalas issued by the ICAR, and other applicable environmental norms"* the actions taken are as follows:

i. In all districts of the State of Uttar Pradesh, the establishment of permanent/temporary cow shelters (Go Ashray Sthals) is being carried out as per requirement for the protection of stray cattle. It is pertinent to clarify that Go Ashray Sthals are not Gaushalas or dairy farms. A Go Ashray Sthal is a shelter that is entirely temporary in nature, intended solely to provide a minimum level of support to enable the survival of the protected cattle by fulfilling their basic requirements.

ii. It is also appropriate to bring to notice that in District Jalaun, water sample testing was conducted within a 500-meter radius of the 54 operational Go Ashray Sthals, pursuant to communication No. 347/ST-CDO/Vividha Patra/2023-24, dated 27.07.2023, from the Chief Development Officer, Jalaun. The water testing reports revealed that none of the locations exhibited polluted water. Further, BOD (Biochemical Oxygen Demand) and COD (Chemical Oxygen Demand) levels of these 54 Go Ashray Sthals were tested and found to be within permissible limits.

NOTARY GOVT. OF U.P. INDIA Satya Prakash Srivastava ADV & NOTARY LKO. U.P. INDIA Regd. No. 31(46)2006

SWORN & VERIFIED BEFORE ME
Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India
07/5/25

iii. As per the water testing report transmitted via communication No. 2213/8-16/20, dated 28.07.2023, from the Executive Engineer, Rural Division, Uttar Pradesh Jal Nigam, Jalaun (Orai), it is evident that the establishment and operation of Nirashrit Go Ashray Sthals in the district do not pose any adverse impact on the water or air environment. (Annexure-18)

10. That in pursuance of ***"(v) To suitably modify its policy to make Gaushalas/Nirashrit Goashray Sthals permanent so that the label of them being temporary/makeshift arrangements does not become a ground for non-compliance with the Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas issued by the CPCB, the Manual on Management of Gaushalas issued by the ICAR, and other environmental norms, and to file a report in this regard within three months"*** the compliances made are:

Vide Letter No. 3217/SA-2/MGT/2024-25 dated 03.12.2024 issued by the Directorate of Administration and Development, Department of Animal Husbandry, Uttar Pradesh, Lucknow, and in accordance with the Hon'ble Tribunal's Order dated 13.08.2024, Government Order No. 2104/SaiteeS-2-2023 dated 30.08.2023 has been issued, directing

NOTARY Satya Prakash Srivastava ADV & NOTARY LKO. U.P. INDIA Regd. No. 31(46)/2010 GOVT. OF U.P. INDIA

SWORN & VERIFIED BEFORE ME

Satya Prakash Srivastava Advocate & Notary Lucknow U.P. India 01/5/25

the implementation of cow protection and management measures at the Nirashrit Goashray Sthals from an environmental compliance perspective. The said order is being duly enforced (Annexure-19). Additionally, detailed instructions have been issued periodically for the implementation of the orders.

ii. Further, vide Government Order No. 2179/SaiteeS-2-2024-5(53)/2018 TC-5 dated 28 October 2024, directives have been issued to provide practical training to cow caretakers/workers employed at the Goashray Sthals on feeding and management of cattle (Annexure-20).

iii. Furthermore, pursuant to the recommendations of the Oversight Committee, the following actions have been undertaken:

a. In order to ensure uniform record-keeping for the upkeep of protected cattle at all Goashray Sthals, a government order has been issued to maintain standardized registers such as cattle/tag registers, fodder stock registers (dry fodder, green fodder, grain and bran), treatment registers, vaccination registers, and inspection/visit registers. Similar directions were previously issued, and the s.aid registers are being updated at most Goashray Sthals in compliance. A copy of the said government order is enclosed as Annexure-20

NOTARY
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY
LKO. U.P. INDIA
Regd. No. 31(4)/2006
GOVT. OF U.P. INDIA

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India
01/5/25

b. Due to insufficient funds, the financial allocation for providing essential minerals, jaggery, etc., to the protected cattle was previously Rs. 20–30 per cattle, which has now been increased to Rs. 50 per cattle. (Government Order enclosed as Annexure-8)

c. In line with the Committee's suggestions, separate feeding arrangements have been made for sick, weak, and young calves at most Goashray Sthals.

d. Seasonal arrangements are made from time to time to protect cattle from extreme cold and heat, as per instructions issued periodically by the State Government. (Annexure-21, also enclosed as Annexure-7)

e. Pasture land (Gochar Bhoomi) has been tagged with the nearest Goashray Sthals, and Napier grass and other green fodder crops have been cultivated to ensure an adequate supply of green fodder. Across the state, a total of 6111.82 hectares of pasture land has been identified, of which 11822.926 hectares have been tagged to Goashray Sthals and are under fodder cultivation.

f. All protected cattle at the Goashray Sthals across the state have been tagged for identification (Annexure-22), and records

NOTARY
GOVT. OF U.P. INDIA
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY
LKO. U.P. INDIA
Regd. No. 31/1992000

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME
Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India
8/1/5/23

including tag numbers are being maintained in the respective registers at each shelter.

g. Plantation has been carried out around the periphery of the Goashray Sthals to mitigate the effects of extreme heat.

11. That In view of the environmental implications, Government Order No. 2104/SaiteeS-2-2023, Livestock Section-2, Lucknow, dated 30.08.2023 (enclosed as Annexure-18), has issued directives and siting policy guidelines. It is specifically noted that Goashray Sthals are located away from residential areas, and the waste generated is being used for composting. Water is used minimally, only for drinking purposes for the cattle. As reported in the water testing of 54 Goashray Sthals in District Jalaun, no issues of water contamination were found.

NOTARY
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY
LKO. U.P. INDIA
Regd. No. 31(44)2000
GOVT. OF U.P. INDIA

12. That it is humbly submitted that the Government of Uttar Pradesh remains fully conscious of the environmental impact of Go ashray Sthals and is ensuring appropriate compliance with all directions/orders issued by the Hon'ble Tribunal.

13. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME

Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India
01/5/25

14.I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
GOVT. OF U.P. INDIA
Satya Prakash Srivastava
ADV & NOTARY
LKO, U.P. INDIA
Regd. No. 31/46/2030

VERIFICATION

Verified at Lucknow on this 01 day of May, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 14 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

SWORN & VERIFIED
BEFORE ME

Satya Prakash Srivastava
Advocate & Notary
Lucknow U.P. India
01/5/25

I know and identify the deponent
who has signed/put T.I. before me

**ANNEXURE-1**

Subject :- Further progress report in compliance with the directions issued by the hon'ble National Green Tribunal, New Delhi vide order dated 19.12.2024.

Hon'ble National Green Tribunal vide order dated 13.08.2024 issued the following directtions to the Additional Chief Secretary, Animal Husbandry, U.P.

48. We direct the State of Uttar Pradesh through Chief Secretary and Additional Chief Secretary, Animal Husbandry Department, Government of Uttar Pradesh:-

(i) to explore the possibility of setting up and running of gaushalas which can accommodate 2000-3000 cows by Gram Panchayats by identifying/allocating suitable grazing lands available with Gram Panchayats for this purpose or seeking expression of interest from NGOs, Societies/ Farmers, Associations/Unions of Farmers or Environmental/Social Activists, Corporate Bodies for participation in setting up of gaushalas which can accommodate 2000-3000 or more cows and proper operation and maintenance of the same so as to make the same self sustaining as far as possible or with subsidy as per Uttar Pradesh Government Schemes already issued or with CSR funds by corporate bodies or by adopting schemes successfully operating in other State(s) or following model adopted by any of the NGOs, Societies/Farmers, Associations/Unions of Farmers or Environmental/Social Activists, Corporate Bodies;

निराश्रित गोवंशों के संरक्षण हेतु वर्ष 2018–19 में शासनादेश संख्या–4324 –37–2–2018–5 (53)/2018 दिनांक 02.01.2019 के द्वारा प्रदेश मे अस्थायी/स्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना हेतु नीति का प्राख्यापन किया गया है, तथा प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंश के सतत संरक्षण हेतु कृत संकल्पित है। **(संलग्नक–1)**

वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा 6721 अस्थाई गो–आश्रय स्थलों में 1020965, 372 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों में 142012, 295 कान्हा गो आश्रय स्थलों में 73602 तथा 306 कॉजी हाउस में 12665 गोवंश सहित कुल 1249244 गोवंशो का संरक्षण किया गया है तथा गोंवश का संरक्षण सतत जारी है। **(संलग्नक–2)**

प्रदेश भर में कुल 61118.82 हे0 चारागाह है, जिसमे से 11822.96 हे0 गो–आश्रय स्थलों से टैग्ड है। संरक्षित गोवंश को हरा चारा उपलब्ध कराने हेतु 1448.41 हे0 में नैपियर तथा 5263.43 हें0 में अन्य हरे चारे कुल 6711.84 हें0 में हरे चारे की बुवाई की गई है।

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 13.08.2024 के सादर में अवगत कराना समीचीन होगा कि उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदो में कुल 560 वृहद गो संरक्षण केन्द्र स्वीकृत है, जिनमे 372 संचालित है तथा 188 वृहद गो संरक्षण केन्द्र निर्माणाधीन है। ये वृहद गो संरक्षण केन्द्र 01 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर 160.12 लाख की लागत से निर्मित किये जा रहे है। वृहद गो संरक्षण केन्द्र की क्षमता 400 से अधिक गोवंश धारण की है

प्रदेश भर में शासनादेश संख्या–261/सैंतीस–2–2019–5(53)/18 दिनांक 28.01.2019 के अनुपालन में 63 वृहद गो संरक्षण केन्द्र एवं 55 अस्थाई गो–आश्रय स्थल कुल 118 गो–आश्रय स्थल NGOs (गैर सरकारी संगठन) एवं पशु कल्याण से जुड़ी स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित है तथा MoU के माध्यम से NGOs, Societies/Farmers, Associations/ Unions of farmers or Environmental/ Social Activists, Corporate bodies etc द्वारा गो–आश्रय स्थलों को संचालित कराने की प्रक्रिया सतत् जारी है। इस बाबत शासनादेश सं0–2462/सैतीस–2–2024 दिनांक 29.11.2024 **संलग्नक–2क** के रूप में सलंग्न है। प्रदेश भर में कुल 15 गो आश्रय ऐसे है, जहां पर 2000 से अधिक गोवंश संरक्षित है। इसंके अतिरिक्त प्रदेश के 6 जनपदों – मथुरा, ललितपुर, कानपुर नगर, अयोध्या, गौतमबुद्धनगर तथा आगरा में गो–संरक्षण हेतु कैटिल शेल्टर सेक्टर चिहिन्त किये गये है। जनपद मुजफफरनगर के ग्राम तुगलपुर में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा 5000 गोवंश धारण क्षमता के गो आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है, जो वर्तमान में संचालित है।

(ii) to ensure implementation of and compliance with the Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas issued by CPCB and Manual on Management of Gaushalas issued by ICAR

गौआश्रय स्थलों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा आई०सी०ए०आर० द्वारा डेयरीफार्म एवं गौशालाओ के पर्यावरणीय प्रबन्धन हेतु जारी Manual on Management of Gaushala के क्रम में निराश्रित गोवंशो के संरक्षण हेतु स्थापित गो आश्रय स्थलों /संरक्षण केन्द्रो पर्यावरणीय प्रबन्धन के संबंध में शासनादेश सं० 2104(1)/सैतीस–2–2023 दिनांक–30.08.2023 द्वारा गाईडलाइन्स जारी की गयी है। **(संलग्नक–3)** जिसके अनुसार निराश्रित गो–आश्रय स्थल कोई व्यवसायिक केन्द्र या डेयरी फार्म न होकर निराश्रित गोंवंश के शेल्टर मात्र है, जिनमे निराश्रित गोंवश के लिए De-minimus जीवन निर्वाह की कल्याणकारी व्यवस्था है।

यहां पुनः यह सूच्य है कि निराश्रित गो–आश्रय स्थल कोई डेयरी फार्म नही है, तथा इनमें संरक्षित गोवंश अनुत्पादक है। ये निराश्रित गोवंश के शेल्टर मात्र है, जिनमें गोवंश के De-minimus जीवन निर्वाह की कल्याणकारी व्यवस्था है। जबकि CPCB द्वारा जारी "Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms & Gaushalas (revised 2021) एवं ICAR द्वारा जारी "Manual on Management of Gaushalas" 2016 गौशाला एवं डेयरी फार्म के निमित्त है। प्रदेश में स्थापित अधिकांश गो आश्रय स्थलों मे 200 से कम गोवश संरक्षित है तथा आबादी से दूरस्थ स्थानों पर स्थापित है। अतः कम संख्या में गोवंश होने के कारण गो आश्रय स्थलों में गोबर, गोमूत्र एवं चारे के अपशिष्ट कम मात्रा में उत्पादित होते है. तथा उत्पादित होने वाले इन अपशिष्टो को कम्पोष्ट के

रूप में उसी गो–आश्रय स्थल पर उपयोग मे ले लिया जाता है। इसके अलावा इच्छुक कृषको से गो–आश्रय स्थलों पर उत्पादित गोबर के बदले भूसा/पराली लेकर गोबर देने की व्यवस्था भी प्रचलित है। अतः इन गो–आश्रय स्थलो में उत्पादित अपशिष्ट का पर्यावरणीय प्रभाव नगण्य है।

अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी सम्पूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना व्यवस्था एवं प्रबन्धन संचालन स्थानीय निकाय द्वारा की जायेगी शासनादेश दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रख्यापित नीति के क्रम में निर्गत मार्गदर्शी निर्देश दिनांक 28.01.2019 में गो–आश्रय स्थलों हेतु भूमि का चिन्हांकन एवं समतलीकरण गोवंश हेतु स्थान के मानक गो–आश्रय स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था पर्यावरणीय व्यवस्था एवं मृत गोवंशो के अंतिम संस्कार हेतु सम्बन्धित विभागो को सुस्पष्ट दायित्व दिये गये है। **(संलग्नक–4)**

1. केन्द्रीय प्रदूषण कण्ट्रोल बोर्ड द्वारा जुलाई 2020 में डेयरी फार्म एवं गौशालाओं में पर्यावरणीय प्रबन्धन हेतु गाईडलाइन्स निर्गत की गयी हैं। विदित है कि गो–आश्रय स्थल कभी भी सम्पूर्णतया हटाने योग्य शेल्टर मात्र है। ये कोई उ़द्यम अथवा व्यवसायिक केन्द्र नही है। **गौशाला का तात्पर्य**"ऐसी धर्मार्थ संस्था से है जो पशु रखने, उनका अभिजनन, पालन या भरण पोषण करने के प्रयोजन के लिये अथवा दुर्बल, बूढे, अशक्त या रोगी पशुओं को भर्ती व प्रस्तुत करने और उनका उपचार करने के प्रयोजन के लिये स्थापित की गयी हो" जबकि **गो–आश्रय स्थल का अभिप्राय**"ऐसे स्थान से है जहां निराश्रित/बेसहारा गोवंश जो किसी भी प्रकार से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हों अथवा सड़क पर विचरण करते हुये दुर्घटनाओ का कारण बनकर स्वंय या राहगीरों के घायल होने/मृत्यु का कारण बन रहे हों। गो आश्रय स्थलो का संचालन ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों की सहायता से किया जाता है तथा इनके भरण पोषण हेतु धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है" उक्त के परिप्रेक्ष्य मे प्रदेश मे निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण पोषण हेतु स्थापित/संचालित गो–आश्रय स्थलो मे पर्यावारण प्रबन्धन हेतु शासनादेश संख्या–2104/सैंतीस–2–2023 दिनांक 30.08.2023 द्वारा निम्नानुसार व्यवस्था दी गयी है। **(संलग्नक–5)** शासनादेश संलग्नक–3 के रूप में संलग्न है।

**ठोस अपशिष्ट प्रबन्धनः–**

1 प्रत्येक गोआश्रय स्थल पर नियमित रूप से गोबर का उठान किया जाये और फर्श की साफ–सफाई सुनिश्चित की जाये। गोआश्रय स्थल के आसपास के क्षेत्रों पर भी साफ–सफाई की जाये ताकि किसी प्रकार की अवांछित दुर्गन्ध न हो।

2. गो आश्रय स्थलों और आसपास के क्षेत्र को साफ रखने हेतु नियमित अन्तराल पर चूने आदि

का छिडकाव किया जाये ।

3. बचा हुआ चारा, भूसा एवं बिछावन को इकट्ठा करके पिट कम्पोस्टिंग की जाये।

4. गो आश्रय स्थलों में उत्पादित बायो मेडिकल वेस्ट (वैक्सीन, दवा की खाली शीशियों, सीरिज इत्यादि) पशु चिकित्साधिकारी अपने साथ ले जायें और सी०पी०सी०वी० की गाईडलाइंस में "Solid waste management rules 2016" के अनुसार निस्तारित किया जाये।

5. गौ आश्रय स्थलों पर उत्पादित गोबर और बचे हुये चारे को जल निकासी के साथ न बहाया जाये।

**जल अपशिष्ट प्रबंधनः–**

1. गौमूत्र, पशु की धुलायी व फर्श की सफाई आदि में प्रयुक्त अवशिष्ट जल एक गड्ढे में एकत्रित कर चारागाह में सिंचाई हेतु प्रयोग किया जाये।

2. गो आश्रय स्थल द्वारा फर्श की धुलाई सफाई आदि का जल का संयमित उपयोग किया जाये

तथा प्रयुक्त जल इस प्रकार निरस्तारित किया जाये की यह अण्डरग्राउंड जल को प्रदूषित न करे। 3 गो आश्रय स्थल की फर्श कदापि चिकनी नहीं होनी वाहिये। फर्श चिकनी होने से पशुओं के फिसलने का डर बना रहता है

**वायु गुणवत्ता प्रबंधनः–**

1. शेड हवादार पूर्व पश्चिम की लॉग एक्सिस में बना होना चाहिये जिससे आर्द्रता मौसम के अनुकूल रहे और गौशाला में मीथेन कार्बनडाई आक्साइड एवं अमोनिया आदि गैसों का जमाव न हो।

2 जाडे एवं वर्षा में शेडों में अत्यधिक भीड़भाड़ (over crowding) नहीं होनी चाहिये।

3 शेड की क्षमता से अधिक पशु कदापि न रखे जायें।

4 गो आश्रय स्थल पर ग्रीनबेल्ट विकसित किया जाये।

5. गो आश्रय स्थल में गोवंश के खड़े होने, आराम करने और गति/चलने फिरने के लिये पर्याप्त स्वान उपलब्ध कराया जाये।

6. गो आश्रय स्थली की कृषि विज्ञान केंद्री, पशुपालन विभाग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार चारा दाना आदि की बावस्था सुनिश्चित की जाये।

साइटिंग पॉलिसी–

1. गोआश्रय स्थल आवासीय परिसर / स्वास्थ्य केंद्र/अस्पताल / स्कूल से 100 मी० की परिधि के बाहर स्थापित किये जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि तालाब झील मुख्य जल स्रोत से 200 मी० की परिधि से बाहर स्थापित हो।

2. आश्रय स्थलों में शेडों के बीच कम से कम 05 मीटर की दूरी रखी जाये तथा बीच में ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाये।

अन्य बिन्दु–

1. निराश्रित गोवंश के भरण पोषण हेतु चारा, पीने हेतु स्वच्छ पानी, समुचित प्रकाश एवं हवादार स्थल उपलब्ध होना चाहिये।

2. गोवंश के बैठने/आराम करने वाले स्थलों पर इण्टरलॉकिंग लगायी जाये।

3. गोआश्रय स्थलों पर छायादार वृक्ष लगाये जायें जिससे गोवंश को बैठने एवं आराम करने में सुविधा हो

(iii)to ensure implementation of and compliance with the recommendations made by the Joint Committee and the Oversight Committee reproduced in earlier part of this order:

प्रदेश स्तर से ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत ऋतु में गो–आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के बचाव हेतु समय–समय पर शासनादेश निर्गत है <u>(संलग्नकों–6 **A,B,C,D,E,F**)</u> तथा इसकी निगरानी हेतु वर्ष 2019 से अद्यतन 06 बार प्रदेश स्तरीय तथा शासन स्तरीय अधिकारियों को नोडल नामित करते हुए अनुश्रवण कराया गया है। नोडल अधिकारियों से जनपदवार प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कमियों का निराकरण भी कराया गया है। समस्त गौ–आश्रय स्थलों पर रोड, नाली जल निकासी वर्मी कम्पोस्ट/ कम्पोस्ट आदि समस्त अवस्थापना सुविधाएँ विद्यमान है। गौवंश को भूसा, हरा चारा, दाना, नमक एवं गुड संतुलित आहार के रूप में दिये जा रहे है। समस्त गोवंश आश्रय स्थलों पर पर्याप्त भूसा चोकर हरा चारा तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। अस्थाई गी आश्रय स्थल CPCB एवं ICAR द्वारा निर्धारित गाइड लाइन की परिधि में नहीं आते है।

समस्त गौ–आश्रय स्थलों में चहारदीवारी/तार बाड़ बनाई गयी है तथा "राउण्ड द क्लाक" निगरानी हेतु केयर टेकर की नियुक्ति की गयी है। योग्य व अनुभवी व प्रशिक्षित व्यक्तियों को केयर टेकर के रूप मे नियोजित किया गया है। निराश्रित गोवंशों को बिना क्षति पहुँचाए पकड़कर गो–आश्रय स्थलो पर लाकर संरक्षित कराया जाता है।

शीत ऋतु में गौ–आश्रय स्थल पर बेहतर ढंग से अलाव, तिरपाल एवं काऊ कोट आदि की व्यवस्था रखी गयी है। प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु चिकित्सकों की ड्यूटी लगायी गयी है जो नियमित रूप से गोवंश का बेहतर उपचार करते हैं। प्रदेश में उपलब्ध 520 एम०वी०यू०/सचल चिकित्सा वाहनो पर उपलब्ध पशुचिकित्सको के माध्यम से भी गो आश्रय स्थलो में

नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण एवं पशुचिकित्सा का कार्य किया जा रहा है। बीमार तथा निःशक्त गोवशो को पृथक रूप रख कर देख–रेख की जाती है।

शासनादेश संख्या–1202 /सैतीस–2–2024–5(53)/2018, दिनांक 05 जून 2024, के माध्यम से प्रदेश के गो आश्रय स्थलो में संरक्षित निराश्रित गोवंशो के स्वास्थ्य परीक्षण (Health check-up) एवं उपचार के संबंध मे मानक संचालन प्रक्रिया (एस०ओ०पी०) जारी की गयी है। (संलग्नक–7)

शासनादेश संख्या–2275/सैंतीस–2–2023–5(53)/2018, दिनांक 20.09.2023, द्वारा भरण–पोषण की धनराशि रु० 30/से बढ़ाकर रु० 50/प्रति गोवंश की दर से सरकार द्वारा गो आश्रय स्थलों को डी०बी०टी० द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। (संलग्नक–8) पूर्व में गोवंश के भरण–पोषण हेतु शासनादेश संख्या–80सी0एम0/सैंतीस–2–2023–5(53)/18 टी0सी0 दिनांक 18.04.2023 के द्वारा गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवश के भरण–पोषण हेतु धनराशि दिनांक 01.06 2023 से डी०बी०टी० के माध्यम से गो आश्रय स्थल संचालकों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। इसी प्रकार मा० मुख्यमंत्री निराश्रित गोवश सहभागिता योजनान्तर्गत गोद लिये गये गोवंश के भरण–पोषण हेतु धनराशि दिनांक 01.10.2023 से सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। दिनांक 31.03. 2025 तक आनलाईन 212 करोड़ से अधिक धनराशि सीधे सहभागिता योजनान्तर्गत लाभार्थियो के खाते मे हस्तांतरित की गयी।

शासनादेश संख्या 3256/सैंतीस 2–2019–30(4)/2019. दिनाक 08.08.2019 द्वारा मा० मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गांवश सहभागिता योजना का प्राख्यापन किया गया है। (संलग्नक–9) पोषण मिशन के अन्तर्गत महिलाओं बच्चों एवं अन्य आयु वर्ग में कुपोषण की दर को कम किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–4938/सैंतीस–2–2020–30(4)/19, दिनांक 12.09.2020 द्वारा मा० मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत कुपोषित बच्चों के पात्र एवं इच्छुक परिवारों को जिले में स्थापित एवं संचालित विभिन्न गो आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। (संलग्नक–10) मा० मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवश सहभागिता योजना के अन्तर्गत दिनांक 25.04.2025 तक कुल 110955 इच्छुक व्यक्तियों/पशुपालको को 172352 गोवंश सुपुर्दगी में दिये गये है। (संलग्नक)

गो आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के मध्य प्रतिपशु प्रतिदिन के आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु यह निर्णय लिया गया है कि राज्य वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को आवंटित्त धनराशि में कुछ अंश पूल कर जिस ग्राम पंचायत में गो आश्रय स्थल स्थापित है, के साथ शेयर किये जाने तथा इस निमित्त उ०प्र० पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा–16ए के अधीन व्यवस्था की जाये। उ०प्र० पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा–16ए में यह व्यवस्था है कि ग्राम पंचायतों को अधिकार होगा कि वह ऐसा पन और ऐसी संस्थाओं और कार्यो को जो कि उसकी अधिकार सीमा के बाहर स्थित हो ऐसी सहायता दे सकती हो, जो कि राज्य सरकार साधारण तथा विशेष रूप से आज्ञा दे। उक्त के क्रम में पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या–1347/33–3–2022 दिनांक 03.07.2022 द्वारा ग्राम पंचायत में स्थापित गो आश्रय स्थल के निराश्रित गोवश के भरण–पोषण हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। (संलग्नक–11) इस निमित्त अब तक रु0–768267755.00 धनराशि पूल की गयी हैं।

निराश्रित गोवंश/दुर्घटना ग्रस्त बड़े पशुओं को परिवहन हेतु कैटल कैचर/मल्टी परपज वेहिकल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में पंचायतीराजविभाग, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या–1854/33–2–2022–5913/2019, दिनाक 03.08.2022 में यह व्यवस्था है कि जिलाधिकारी अपने जनपद की आवश्यकतानुसार कैटिल कैचर/मल्टीपरपज वेहिकल वाहन का क्रय कर सकते है अथवा किराये पर रख सकते है। **(संलग्नक–12)** उक्त के अतिरिक्त इस पूरे कार्य को भी आउट्सोर्स प्रति पशु के दर पर करते हुए संचालित किया जा सकता है। जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत इस पर आने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग/स्वयं की आय से वहन किया जा सकता है। प्रदेश की विभिन्न जनपदो में 799 कैटिल कैचर क्रय किये गये है।

निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु चलाये आ रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं गो आश्रय स्थलों की स्थिति ज्ञात किये जाने हेतु नामित नोडल अधिकारियों द्वारा समय–समय पर प्रदेश के सभी जनपदों में भेजा जाता रहा है। शासनादेश संख्या–1525/सैतीस–2–2023–5(53)/2018टी.सी. दिनांक 07.07.2023 तथा शासनादेश संख्या–1/467654/2024 दिनाक 10012024 के माध्यम से नोडल अधिकारियों को गो आश्रय स्थलो की संचालन एवं प्रबन्धन के अनुश्रवण हेतु भेजा गया। **(संलग्नक–13)**

प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन विभाग, ग्राम विकास, राजस्व विभाग, पंचायती राज तथा नगर विकास विभाग के अन्तर्समन्वय समय–समय पर निराश्रित गोवशों के संरक्षण हेतु अभियान चलाये जाते रहे है। शासनादेश संख्या–2562/सेतीस–2–2023–5(53)/2018टी सी–5 दिनांक 31.10.2023 तथा शासनादेश संख्या–1469/सेतीरा–2–2024–5 (53)/2018टी.सी–5. दिनाक 04.07.2024 के माध्यम से समस्त अवशेष निराश्रित गोवंशों को संरक्षित करने हेतु अभियान चलाया गया। पुनः दिनांक 07.12.2024 से 14. 12.2024 तक सघन निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है जिससे शत–प्रतिशत निराश्रित गोवशों को संरक्षित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। **(संलग्नक–14)**

सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु राजमार्गो के समीपस्थ ग्रामों के पशुपालकों के गोवंशों के गले में रेडियम पट्टी लगाये जाने के क्रम में शासनादेश संख्या–2102/सैंतीस–3–2024–5 (53)/2018टी सी–5. दिनांक 07.10.2024 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्मत किये गये है। जिससे रात्रि के समय गोवंश द्वारा राहक पर विचरण करते समय दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सकता है। **(संलग्नक–15)**

वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता न होने की दशा में साइलेज को चारे में उपयोग करने के संबंध में शासनादेश संख्या–2145/सैंतीस–2–2024–5(53)/2018 टीसी–5 दिनांक 22.10.2024 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। **(संलग्नक–16)** जिससे संरक्षित गोवंशों के स्वास्थ्य में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। अतः साइलेज को चारे के रूप में उपयोग करने के संबंध में शासनादेश सं० 2145/37–2–2024–5(53)/2018 टी०सी०–5, दिनाक 22.10.2024 के माध्यम से दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है जिससे सरक्षित गोवंश स्वास्थ्य में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहा है। अतः साइलेज का उपयोग गो आश्रय स्थलों में हरे चारे के विकल्प के रूप में अपनाया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ओवर साइट कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 09.01.2024 में इंगित बिन्दुओं अवस्थापना, क्षमता वृद्धि पर्यावरण संरक्षण, गौवंशो का पोषण (हरा चारा, भूसा, दाना की उपलब्धता), गोवंशो का उपचार एवं चिकित्सा पंचनामा एवं पोस्टमार्टम, टैनिग, आय–व्यय लेखा सहितसमस्त पंजिकाओं के रख–रखाव आदि इन सभी पर कार्ययोजना बनाकर उनके क्रियान्वयन एवं

अनुपालन की कार्यवाही की जा रही है। (संलग्नक–17) शासनादेश संख्या 715/सैंतीस–2–2025 दिनांक 30.04.2025

(iv) to review all Gaushalas@Nirashrit Goashray Sthals in the State of Uttar Pradesh and close all Gaushalas@Nirashrit Goashray Sthals which do not meet siting criteria] requirement of land and infrastructure or are not complying with the Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas issued by CPCB and Manual on Management of Gaushalas issued by ICAR and environmental norms

प्रदेश के सभी जनपदो निराश्रित गोवंशों के संरक्षण हेतु आवश्यकतानुसार स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। गो आश्रय स्थल कोई गौशाला/ डेयरी फार्म नही है। गोआश्रय स्थल कभी भी सम्पूर्णतया हटाने योग्य शेल्टर मात्र है, जहां संरक्षित गोवश की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुये जीवन निर्वाह हेतु व्यवस्थाये की जाती है।

यहां यह भी अवगत कराना समीचीन होगा की जनपद जालौन में संचालित विभिन्न 54 गो आश्रय स्थलों के 500 मीटर के आस–पास के क्षेत्र के जल नमूनों की जांच मुख्य विकास अधिकारीजालौन के पत्रांक–347/एसटी–सीडीओ/विविध पत्रा0/2023–24, दिनांक 27.07.2023 के द्वारा करायी गई। जल परीक्षण रिपोर्ट में किसी भी स्थान का जल प्रदूषित नहीं पाया गया, साथ ही 54 गो–आश्रय स्थलों के बीओडी एवं सीओडी परीक्षण कराये गये जो कि मानकों के अनुरूप पाये गये। अधिशासी अभियंता खंड उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), जालौन (उरई) के पत्रांक–2213/ड–16/20, दिनांक 28 07.2023 द्वारा प्रेषित जल परीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट है कि निराश्रित गोआश्रय स्थलो के संचालन एवं स्थापना से जनपद में जल तथा वायु पर्यावरण पर किसी भी प्रकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है। (संलग्नक–18)

(v) suitably modify its policy to make Gaushalas@Nirashrit Goashray Sthals permanent so that the tag of the same being temporary@make shift arrangement does not prevent compliance and justify non& compliance with the Guidelines for Environmental Management of Dairy Farms and Gaushalas issued by CPCB and Manual on Management of Gaushalas issued by ICAR and environmental norms and to file report in this regard within three months-

मा० हरित अधिकरण के उपरोक्त निर्देश के क्रम में कृत कार्यवाही के संबंध में पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है। निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय के पत्र सं० 3217/सा०–2/एन०जी०टी०/2024–25 दिनांक 03.12.2024 के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों मे मा० हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 के क्रम में निराश्रित गो आश्रय स्थलो मे पर्यावरणीय नियमो के दृष्टिगत गो संरक्षण एवं प्रबन्धन का कार्य कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या–2104/सैंतीस–2–2023 दिनांक 30.08.2023 को जारी किया गया है जिसका अनुपालन कराया

जा रहा है। **(संलग्नक–19)** तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुपालन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है। शासनादेश सं० 2179/सैंतीरा–2–2024– 5(53)/2018 टी०सी०–5, दिनाक 28 अक्टूबर 2024 के माध्यम आदेश निर्गत कर गो आश्रय स्थलो में कार्यरत में कार्यरत गो सेवको/श्रमिको को गोवंश के भरण–पोषण एवं प्रबन्धन के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। **(संलग्नक–20)**

oversight committee के सुझाव के अनुपालन में निम्नवत कार्यवाही की गयी है।

1–समस्त गो–आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंशो के रख–रखाव से संबंधित अभिलेखीकरण मे समरुपता के दृष्टिगत एक समान प्रारुप पर गोवंश/टैगिंग पंजिका, भूसा, हरा चारा तथा दाना चोकर स्टाक पंजिका, पशु उपचार पंजिका, टीकाकरण पंजिका तथा निरीक्षण/भ्रमण पंजिका बनाने हेतु शासनादेश संख्या– दिनांक जारी किया गया है। सूच्य है कि प्रदेश के समस्त गो–आश्रय स्थलो पर उपरोक्त पंजिकाओं के बनाने के लिये पूर्व में भी आदेश जारी किये गये है। जिसके अनुपालन में अधिकांश गो–आश्रय स्थलो पर उपरोक्त पंजिकायें अपडेट की जाती है।

2–समस्त गो–आश्रय स्थलो पर उपरोक्त पंजिकाओं के अभिलेखीकरण हेतु ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, गाम पंचायत अधिकारी एवं पशुधन प्रसार अधिकारियों एवं गो सेवको का प्रशिक्षण कराया गया। शासनादेश **संलग्नक–20** के रूप में संलग्न है।

3– प्रशिक्षण के 01 सप्ताह बाद सुपरवाईजरी स्टाफ द्वारा साप्ताहिक तथा नोडल अधिकारियो द्वारा पाक्षिक निरीक्षण करने के निर्देश दिये गये हैं, जिसका अनुपालन किया जा रहा है।

4–गो–आश्रय स्थलो पर अपर्याप्त फण्ड के कारण संरक्षित गोवंश को आवश्यक खनिज लवण, गुड़ इत्यादि हेतु प्रति गोवंश धनराशि रु0–30 से बढाकर रु0 50 कर दिया गया है। शासनादेश संलग्नक–8 के रूप में संलग्न है।

5– गो–आश्रय स्थलो पर गोवंश के लिये बने शेड की फ्लोर पर ईट का खडंजा लगाया गया है कंक्रीट फ्लोर बनाने से संरक्षित गोवंश के गिर कर चोटिल होने, कट्स लगने की प्रबल संभावना होंगी। अतः कंक्रीट फ्लोर बनाना संरक्षित गोवंश के स्वास्थ्य के दृष्टिगत उचित नहीं होगा।

6–कमेटी के सुझाव के अनुरुप अधिकांश गो–आश्रय स्थलों पर बीमार, कमजोर एवं बछिया/बछड़ा के लिये अलग से खाने की व्यवस्था की गयी है।

7–अत्यधिक सर्दी एवं गर्मी से बचाव हेतु समय–समय पर सीजन के अनुरुप व्यवस्थायें की जाती है तथा समय–समय पर शासन स्तर से निर्देश जारी कर अनुपालन कराया जा रहा है। **(संलग्नक–21)** शासनादेश संलग्नक–7 के रूप में संलग्न है।

8–गोचर भूमि को नजदीकी गो–आश्रय स्थल से टैग्ड किया गया है तथा नेपियर एवं अन्य हरे चारे की फसले लगायी गयी है ताकि संरक्षित गोंवंश को हरे चारे की समुचित मात्रा उपलब्ध हो सके। प्रदेश भर में कुल 6111.82 हे0 चारागाह है, जिसमें से 11822.926 हे0 गो–आश्रय स्थलों से टैग्ड है जिसमें नेपियर व अन्य हरे चारे की बुवाई की गयी है।

9–गो–आश्रय स्थलो के बाहरी परिधि में पौधरोपण किया गया है ताकि भीषण गर्मी के प्रभाव को कम किया जा सके।

10–प्रदेश मे स्थापित समस्त गो–आश्रय स्थलो मे संरक्षित समस्त गोवंश को टैग्ड किया गया है। **(संलग्नक–22)** तथा गौशाला मे रखे गये गोवंश पंजिका में टैग न0 सहित गोवंश का अभिलेख मैन्टेन किया गया है।

11– यहां पुनः यह सूच्य है कि निराश्रित गो–आश्रय स्थल कोई डेयरी फार्म/गौशाला नही है। व्यवसायिक केन्द्र नही है, ये गोवंश के शेल्टर मात्र है, जिनमें गोवंश के **De-minimus** जीवन निर्वाह की कल्याणकारी व्यवस्था है।

इस संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–2104/सैतीस–2–2023 पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 30.08.2023 (संलग्नक–18 के रूप में संलग्न है) के माध्यम से निर्देश एवं साइटिंग पालिसी जारी की गयी है साथ ही यह भी विशेष सूच्य है कि गो–आश्रय स्थल आबादी से दूर अवस्थापित किये गये है एवं इनसे निकलने वाले अपशिष्ट का प्रयोग कम्पोस्ट के रुप में किया जा रहा है तथा जल का भी अल्प/न्यूनतम प्रयोग मात्र, गोवंश के पीने के लिये उपयोग हो रहा है। जैसा कि जनपद जालौन में 54 गो–आश्रय स्थलो का जल परीक्षण कराया गया है जिसके रिपोर्ट मे कही भी जल प्रदूषण की समस्या नही पायी गयी।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश शासन गो आश्रय स्थल के पर्यावरणीय प्रभावो के प्रति पूर्ण रुप से सजग है एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का समुचित अनुपालन कराया जा रहा है।

भवदीय,

29/4/2025

(डा0. जयकेश कुमार पाण्डेय)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

संख्या— 4324/सैंतीस—2—2018—5(53)/2018

**Annexure-1**

प्रेषक,

**डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय,**
**मुख्य सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

1— **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।**
2— **समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।**
3— **समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।**
4— **पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।**
5— **समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।**
6— **समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।**
7— **निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**
8— **निदेशक, रोग नियँत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**
9— **समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।**
10— **समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।**
11— **समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।**

पशुधन अनुभाग—2 लखनऊ :: दिनाँक 02 जनवरी, 2019

विषयः— **उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा—ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन।**

महोदय,

उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 19वीं पशुगणना 2012 के अनुसार कुल 501.82 लाख गोवंशीय+महिषवंशीय पशुओं में से 195.57 लाख गोवंशीय पशु हैं। कृषि कार्य में मशीनीकरण के कारण स्वदेशी/अवर्णित गोवंश के नर वत्स का उपयोग कृषि कार्य में किये जाने की परिपाटी प्रदेश से लगभग समाप्त हो गयी है। विदेशी नस्ल के नर वत्स का उपयोग उनमे डील (हम्प) नहीं होने के कारण कृषि कार्य में नहीं होता है इस कारण वर्तमान में गोवंशीय नर वत्स अनुपयोगी होते जा रहे हैं। इन नर गोवंश को पशु स्वामी बेसहारा छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त ये निराश्रित गोवंश अनियंत्रित प्रजनन द्वारा अनुपयोगी/कम उत्पादकता के गोवंश की उत्पत्ति करते हैं जो निराश्रित पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी करते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे निराश्रित/बेसहारा गोवंश (नर+मादा) की संख्या में कमी किया जाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनायें चलाकर निराश्रित एवं बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान एवं संख्या में कमी लाने का लगातार प्रयास कर रही है तथापि इस ज्वलन्त समस्या के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति प्रख्यापित की जा रही है।

2— **नीति का उद्देश्यः—**

1. निराश्रित/बेसहारा गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराया जाना।
2. आश्रय स्थल पर रखे गये गोवंश हेतु भरण—पोषण की व्यवस्था।
3. संरक्षित गोवंश को विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था तथा नर गोवंश का बंध्याकरण कराना।
4. संरक्षित मादा गोवंश को प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना।
5. गोवंश से उत्पादित दूध, गोबर, कम्पोस्ट आदि के विक्रय व्यवस्था से आश्रय स्थल को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी (self sustainable) बना कर जनमानस को निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या से छुटकारा दिलाना।

3— **नीति को क्रियान्वित करने की कार्ययोजनाः—**

**पशु अतिचार अधिनियम—1871 (संशोधित—21 अगस्त, 1996) में दिये गये प्राविधानों व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम—1960 की धारा—4 के अधीन स्थापित भारतीय जीव जन्तु कल्याण**

**बोर्ड पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश पत्रांक–9–3/2018–19/पी0सी0ए0, दिनांक–12 जुलाई, 2018 के अनुसार निराश्रित पशुओं के संरक्षण एवं भरण–पोषण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है।**

3.1 उक्त दिशा–निर्देशानुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी संपूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना/व्यवस्था एवं प्रबन्धन/संचालन स्थानीय निकाय यथा ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम (जहाँ जैसी स्थिति लागू हो) द्वारा की जायेगी।

3.2 ये स्थानीय संस्थायें अपने स्तर से स्वयं सेवी संस्थाओं अथवा सी0एस0आर0 में आने वाली कम्पनियों की सहायता इन अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबन्धन/संचालन में ले सकते हैं।

3.3 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी संपूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना का कार्य संबन्धित सुसंगत स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा।

3.4 अस्थायी आश्रय स्थलों के स्थापना हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था मनरेगा, संबन्धित सुसंगत स्थानीय निकायों की संचित निधि (यथा–ग्राम पंचायत निधि/क्षेत्र पंचायत निधि/जिला पंचायत निधि, नगर निकायों की निधियाँ आदि), वित्त आयोग, खनिज विकास निधि, रायफल निधि, सांसद क्षेत्र विकास निधि, विधायक क्षेत्र विकास निधि आदि से करायी जा सकती है।

3.5 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के संचालन, प्रबन्धन व भरण–पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा यथासंभव अपने स्वयं के संसाधनों से की जायेगी।

3.6 गोवंश के भरण–पोषण में निकायों में उपलब्ध संसाधनों में कमी के दृष्टिगत अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर संबन्धित स्थानीय निकाय की माँग पर शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से वित्त पोषण किया जायेगा।

3.7 शासन स्तर से अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबन्धन/संचालन/भरण–पोषण विषयक वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के स्थलीय/भौतिक निरीक्षण के उपरान्त संरक्षित गोवंश की संख्या के 70 प्रतिशत की संख्या को आधार मानते हुए शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित धनराशि के आधार पर भरण–पोषण हेतु अनुदान देय होगा। यह व्यवस्था कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक–15.11.2017 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निर्गत पशुधन अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 2557/सैतीस–2–2017–5(16)/2017, दिनांक–15 दिसम्बर, 2017 के अनुसार की जायेगी।

3.8 प्रत्येक जनपद में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 1000 निराश्रित/बेसहारा गोवंश पशुओं के अस्थायी आश्रय निर्माण हेतु विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं दायित्व (मुख्यालय व फील्ड सहित):–

3.8.1 **अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु भूमि चिन्हाँकन व भूमि उपलब्ध कराना:–**

| क्र0 स0 | कार्य | विभाग | संबन्धित अधिकारी एवं कार्य |
|---|---|---|---|
| 3.8.1 | ग्राम पंचायत स्तर/नगर निकाय स्तर पर निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी आश्रय स्थल बनाने योग्य निर्विवादित भूमि (जिसमें चारागाह/गोचर भूमि भी सम्मिलित है) उपलब्ध कराना। सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, कृषि, गन्ना विकास आदि सहयोगी विभागों में भूमि यदि ग्राम स्तर पर उपलब्ध है तो उसे भी चिन्हॉकित करना। | राजस्व, नगर विकास (मुख्य नोडल विभाग प्रदेश मुख्यालय स्तर पर) एवं न्याय, कर निबन्धन विभाग तथा अन्य सहयोगी विभाग जैसे सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, कृषि, गन्ना विकास विभाग आदि | प्रदेश मुख्यालय पर<br>1. मुख्य नोडल विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव व विभागाध्यक्ष<br>2. लाइन विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव व विभागाध्यक्ष<br>3. फील्ड स्तर पर<br>(क) मण्डलायुक्त,<br>(ख) जिलाधिकारी,<br>(ग) उप–जिलाधिकारी<br>(घ) लाइन विभागों के मण्डल एवं जनपद स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी<br>4. नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी /नगर आयुक्त |

**3.8.2 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में अवस्थापना सृजन (जो कभी भी संपूर्णतः हटाया जा सके):–**

| क्र0 स0 | कार्य | विभाग | संबन्धित अधिकारी एवं कार्य |
|---|---|---|---|
| 3.8.2 (क) | **अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की भूमि को उपयोग योग्य बनाना**<br>1– ऊसर, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना<br>2–भूमि समतलीकरण करना<br>3–जल संरक्षण कार्य/ तालाब निर्माण<br>4–खाई निर्माण (प्राकृतिक बाड़) | कृषि विभाग<br>नगर विकास विभाग<br>ग्राम्य विकास विभाग<br>पंचायती राज विभाग<br>समाज कल्याण विभाग | मनरेगा योजना की मार्गनिर्देशिका के अनुबन्ध–36 के अनुसार मनरेगा एवं डेरी तथा पशुपालन विभाग के मध्य कन्वर्जेन्स के अंतर्गत चारागाह कार्य अनुमन्य कार्य श्रेणी में सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत भूमि समतलीकरण, चारे हेतु घास का रोपण, पशुओं के प्रयोग हेतु तालाब की खुदाई, वृक्षारोपण का कार्य किया जा सकता है।<br>प्रदेश मुख्यालयः संदर्भित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव व विभागाध्यक्ष (राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के निर्देशों के क्रम में)<br>फील्ड स्तर पर संबन्धित विभागों के मण्डल/जनपद/तहसील/ विकासखण्ड स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी तथा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त गण (जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के निर्देशों के क्रम में) |
| 3.8.2 (ख) | अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर वृक्षारोपण | वन विभाग / पंचायती राज /ग्राम्य विकास/ नगर विकास विभाग | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मास्टर–सर्कुलर–2018–19 के पैरा–7.6.8 के अनुसार वृक्षा रोपण अनुमन्य कार्य श्रेणी सम्मिलित है।<br>संभागीय वनाधिकारी, संबन्धित क्षेत्राधिकारी (वन), जिला पंचायत राज अधिकारी, नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी आदि द्वारा |
| 3.8.2 (ग) | अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों पर जल की व्यवस्था कराना | सिंचाई विभाग / लघु सिंचाई विभाग / नेडा / नगर विकास | पशु आश्रय स्थल पर पानी की समुचित व्यवस्था करना, सोलर पंप आधारित नलकूप की व्यवस्था, पशुओं हेतु पीने के पानी की व्यवस्था।<br>अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई/ लघु सिंचाई विभाग), परियोजनाधिकारी–नेडा, नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी |
| 3.8.2 (घ) | अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों पर चारा उपलब्ध कराना | ग्राम्य विकास/पंचायती राज्य विभाग / नगर | गोवंश आश्रय स्थल पर पशुओं के चारे एवं भूसे की व्यवस्था करना, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | विकास विभाग | भूसा रखने की व्यवस्था। यदि ग्राम पंचायतें इस कार्य को अपनी वार्षिक कार्य योजना (जी0पी0डी0पी0) में शामिल कर अनुमोदित करती हैं तो यह कार्य ग्राम पंचायत निधि के अंतर्गत संसाधनों के उपलब्धता के अनुसार कराया जा सकता है।<br>नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी |
| 3.8.2 (ङ) | अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर सौर ऊर्जा/प्रकाश व्यवस्था | नेडा /नगर विकास विभाग / ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज | गोवंश आश्रय स्थल क्षेत्र में समुचित प्रकाश व्यवस्था करना। अतिरिक्त शासकीय अनुदान प्राप्त होने पर यह कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा सकता है।<br>परियोजनाधिकारी–नेडा, नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी |

**3.8.3 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर अन्य सेवाएँः–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.8.3 (क) | गोवंश आश्रय स्थल पर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था | गृह विभाग/ग्राम्य विकास/पंचायती राज्य विभाग / राजस्व विभाग/ नगर विकास | गोवंश आश्रय स्थल पर पशुओं की देखरेख एवं सुरक्षा हेतु पशु रक्षक/श्रमिक की व्वस्था करना। श्रमिक द्वारा गोवंश को खिलाने की व्यवस्था, गोबर एकत्र करना, पशुओं को पानी पिलाना, दूध निकालना, हरा चारा काटना तथा सफाई व्यवस्था करना। अतिरिक्त शासकीय अनुदान प्राप्त होने पर यह कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा सकता है।<br>नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, संबन्धित उपजिलाधिकारी |
| 3.8.3 (ख) | गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं की पशु चिकित्सा सेवाए | पशुपालन विभाग | संरक्षित गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा, कृमिनाशक दवापान, बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान के साथ–साथ मृत पशुओं का शव परीक्षण इत्यादि का कार्य पूर्णतः निःशुल्क (लेवी से मुक्त) किया जायेगा।<br>मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पशुपालन विभाग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण में |

3.9 प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निकाय/स्थानीय निकाय क्षेत्रों में पिंजरापोल, कॉजी हाउस का पुनर्जीवीकरण कराया जाये। इनमें केयर टेकर/पर्यवेक्षण अधिकारी की अस्थायी/स्थायी व्यवस्था करते हुए इन्हें संचालित किया जायेगा। गायों का दूध निकाल कर उन्हें एवं उनके गोवत्स को छोड़ने वाले कृषकों/पशुपालकों का चिन्हांकन ग्राम स्तरीय विभागीय कार्मिक (यथा–राजस्व विभाग के लेखपाल, पुलिस विभाग के चौकीदार, ग्राम विकास के ग्राम विकास अधिकारी, पंचायती राज विभाग के पंचायतराज अधिकारी आदि) द्वारा किया जायेगा।

3.10 पशुपालको/कृषकों के अपने पालतू पशु सड़कों व सार्वजनिक स्थलों तथा अन्य व्यक्तियों की निजी भूमि पर संचरण हेतु यदि छोड़ा जाता है, तो इस दृष्टिकोण से स्थानीय पुलिस प्रशासन/जिला प्रशासन तथा नगर प्रशासन द्वारा उचित आर्थिक दण्डारोपण की कार्यवाही सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत की जायेगी।

3.11 ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारियों और शहरी क्षेत्रों में नगर विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा सक्रिय सहभागिता से जहॉ–जहॉ अप्रयुक्त खाली भूमि उपलब्ध है, उसे संबंधित विभाग के माध्यम से उस भूमि पर अस्थायी (किसी भी समय सम्पूर्णतया हटाया जा सकता है) गोवंश आश्रय स्थल निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

**4– गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन व प्रबन्धन को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी (self sustainable) बनाने हेतु किये जाने वाले कार्यः–**

4.1 गोवंश आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाने हेतु उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड–नियोजन विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, स्किल डेवलपमेन्ट मिशन, ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग के सहयोग से बायोगैस, कम्पोस्ट/बर्मी कम्पोस्ट, पंचगव्य आधारित औषधियों/उत्पादों यथा साबुन, अगरबत्ती, मच्छर भगाने की कायल, गोनाइल (गोमूत्र से बनी फिनायल) औषधियों आदि का उत्पादन एवं विक्रय करना।

4.2 गोबर एवं गोमूत्र आधारित जैविक कृषि एवं बागवानी द्वारा।

4.3 गोशाला के गोबर व गोमूत्र से बने खाद व कीटनाशक के विक्रय द्वारा।

4.4 गोबर से बने गमलों के विक्रय द्वारा।

4.5 गोबर से बने लट्ठों का शमशान घाट में व सर्दियों में अलाव जलाने हेतु।

4.6 उद्यमियों को प्रेरित कर गोबर–गोमूत्र के सदुपयोग से बड़े बायोगैस/सी0एन0जी0 प्लाण्ट लगवाना।

4.7 शून्य बजट पर गो–आधारित प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपनाकर गोबर एवं गोमूत्र से प्राकृतिक तरीके से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत तथा कीटनाशक का निर्माण करके उनका कृषि कार्यो में प्रयोग करने पर गोवंश आश्रय स्थलों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी तथा वे स्वावलम्बी हो सकेगें।

**5– अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबन्धन के अनुश्रवण हेतु प्रशासकीय व्यवस्थाः–**

गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबन्धन हेतु विकास खण्ड स्तरीय, तहसील स्तरीय, जनपद स्तरीय तथा मण्डल स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति का गठन एवं प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन संलग्नक–1 के अनुरूप किया जाता है।

**6– अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, संचालन व प्रबन्धन हेतु प्रस्तावित वित्त व्यवस्था/स्रोत। शासन द्वारा प्रस्तावित नीतियों को कियान्वित करने हेतु वित्त पोषण के संबंध में, सम्यक विचारोपरान्त, निम्न निर्णय लिये गयेः–**

6.1 मण्डी परिषद् से मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली 02 प्रतिशत की धनराशि प्रस्तावित कार्य पर व्यय किया जाये।

6.2 आबकारी विभाग द्वारा वार्षिक राजस्व के अतिरिक्त आय सेस लगाकर प्राप्त की जायेगी। इस सेस से प्राप्त धनराशि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, व्यवस्था, संचालन व प्रबंधन हेतु चिन्हांकित मदों में व्यय की जायेगी।

6.3 प्रदेश में सार्वजनिक उद्यम विभाग के अंतर्गत लाभकारी निगमों व अन्य कार्यदायी संस्थाओं (यथा–उत्तर प्रदेश सेतु निगम, राजकीय निर्माण निगम, यूपीएसआईडीसी आदि) को होने वाले लाभ में 0.5 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि सीएसआर के रूप में इस प्रयोजन हेतु व्यय की जाये।

6.4 राज्य सरकार के अधीन यूपीडा आदि संस्थाओं द्वारा अधिरोपित किये जा रहे टोल टैक्स में 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि ''गौ कल्याण सेस'' के रूप में अधिरोपित करते हुए इस प्रयोजन हेतु व्यय किया जाये।

6.5 आवश्यकतानुसार विभागीय योजनाओं में प्राप्त वित्त पोषण से डवटेलिंग करायी जायेगी।

**7— शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, उपरोक्त प्रस्तर 3–5 में अंकित कार्ययोजना को क्रियान्वित करने हेतु निम्न निर्णय लिये गये हैं:–**

**7.1** प्रस्तर–3.1–3.6 के क्रियान्वयन व प्रस्तर–3.8.1 के अनुसार संबंधित विभागों द्वारा अस्थायी (किसी भी समय सम्पूर्णतया हटाने योग्य) गोवंश आश्रय स्थल के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने विषयक सुसंगत विभागीय अधिनियमों, नियमावलियों, उपविधियों, शासनादेशों में सक्षम स्तर से अशोधन (Modification) व संशोधन (Amendment) की कार्यवाही की जायेगी।

**7.2** प्रस्तर–3.8.2 के अनुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में अवस्थापना सृजन (जो कभी भी सम्पूर्णतः हटाया जा सके) हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना पर सैद्धान्तिक अनुमोदन के साथ ही संबंधित विभागों को इस हेतु सक्षम स्तर से निर्णय कराने हेतु अधिकृत किया जाता है।

**7.3** प्रस्तर–3.8.3 (क) के अनुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर सुरक्षा एवं अन्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु चिन्हांकित विभाग पशु रक्षक/श्रमिक की व्यवस्था हेतु सक्षम स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु सैद्धान्तिक अनुमोदन व साथ ही संबंधित विभागों को इस हेतु सक्षम स्तर से निर्णय हेतु अधिकृत किया जाता है।

**7.4** प्रस्तर–3.8.3(ख) के अनुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं को पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

**7.5** प्रस्तर–4 के अनुसार गोवंश आश्रय स्थलों को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाने के साथ ही संबंधित विभागों को इस हेतु सक्षम स्तर से निर्णय हेतु अधिकृत किया जाता है।

**7.6** प्रस्तर–5 के अनुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन, प्रबंधन के अनुश्रवण, मूल्यांकन हेतु संलग्नक–1 के अनुसार गठित प्रशासकीय व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। विशेषतः मंडल स्तरीय समिति द्वारा सघन अनुश्रवण किया जाये व जनपद स्तरीय समिति में जनप्रतिनिधियों से आवश्यक सुझाव आदि भी लिये जायें।

**7.7** प्रस्तर–3 के अधीन प्रस्तावित अस्थायी गो आश्रय स्थलों पर रखे जाने वाले पशुओं का चिन्हांकन व पंजीकरण की भी व्यवस्था की जाये व इसमें यथासंभव सूचना प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाये।

**7.8** संलग्नक–1 में प्रस्तावित प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति द्वारा आवश्यकतानुसार निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु अनुदान उपलबध कराये जाने विषयक मानक व प्रकिया भी निर्धारित किया जा सके।

**8—** उपरोक्त निर्णयों में कार्यहित में परिवर्तन हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

**9—** प्रस्तावित नीति में प्राविधानित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाय।

**10**— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन हेतु उपरोक्त नीति के अनुसार क्रियान्वयन करने हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही शीर्षस्थ प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाये।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

**(डा0 अनूप चन्द्र पाण्डेय)**
मुख्य सचिव।

पृ0सं0—4324(1)/सैंतीस—2—2018— तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 पशुधन राज्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त उप निदेशक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

02.1.19

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

**संलग्नक–1**

## अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबन्धन के अनुश्रवणार्थ प्रशासकीय व्यवस्था

1. **विकास खण्ड स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति–प्रथम 03 माह में** बैठक सप्ताह में न्यूनतम 01 बार तत्पश्चपात् माह में 01 बार

| | | |
|---|---|---|
| 1. | खण्ड विकास अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | संबन्धित पशुचिकित्साधिकारी | उपाध्यक्ष |
| 3. | संबन्धित ग्राम प्रधान | सदस्य |
| 4. | संबन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी | सदस्य |
| 5. | वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी | सदस्य |
| 6. | सहायक विकास अधिकारी (कृषि) | सदस्य |
| 7. | संबन्धित राजस्व निरीक्षक | सदस्य |
| 8. | ग्राम पंचायत अधिकारी | सदस्य सचिव |

**समिति के कर्तव्य एवं दायित्व**

- विकास खण्ड के समस्त ग्राम सभाओं में जहाँ निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या है, में अस्थायी आश्रय स्थल हेतु उपलब्ध गोचर भूमि का प्रबन्धन।
- ग्रामवासियों के सहयोग से गोवंश को आश्रय में लाए जाने की व्यवस्था करना।
- संरक्षित गोवंश हेतु चारा–दाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना।
- संरक्षित गोवंश की समुचित चिकित्सा व्यवस्था, अन्य पशुपालन संबन्धित कार्यों को पूर्णतः निःशुल्क (लेवी से मुक्त) कराया जाना।
- आश्रय स्थल पर हरे चारे की उपलब्धता हेतु खेत तैयार कराना, चारा बीज प्रबन्धन, सिंचाई व्यवस्था आदि कराना।
- आश्रय स्थल की सुरक्षा, लाइट की व्यवस्था करना।
- समस्त संरक्षित गोवंश का लेखा–जोखा रखना/टैग लगवाना।
- मृत पशुओं का निःशुल्क शव विच्छेदन कर निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार किया जाना।
- यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा किसी गोवंश को क्रय किया जाता है तो समिति द्वारा निधारित कीमत पर बिक्री करना तथा यह सुनिश्चित करना कि पशु उक्त क्रेता के पास ही रहे तथा उसका उपयोग दुग्ध उत्पादन/कृषि कार्य के लिए ही किया जा रहा है। उक्त गोवंश के विक्रय से होने वाली आय ग्राम निधि की आय होगी जो पशुओं के भरण पोषण में ही प्रयोग की जा सकेगी।

2. **तहसील स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति** –बैठक प्रथम 03 माह में सप्ताह में न्यूनतम 01 बार तत्पश्चात् माह में 01 बार

| | | |
|---|---|---|
| 1. | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | पुलिस उपाधीक्षक | सदस्य |
| 3. | उप–मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | सदस्य सचिव |
| 4. | समस्त खण्ड विकास अधिकारी | सदस्य |
| 5. | तहसीलदार | सदस्य |
| 6. | समस्त नायब तहसीलदार | सदस्य |
| 7. | अधिशासी अधिकारी नगर निकाय | सदस्य |



2-1-19

8. वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी — सदस्य
9. उप संभागीय अधिकारी (कृषि प्रसार) — सदस्य

**समिति के कर्तव्य एवं दायित्व**

- विकास खण्ड स्तरीय समिति द्वारा किए जा रहे उक्त वर्णित कार्यों की समीक्षा।
- विकास खण्ड स्तरीय समिति को प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
- उपरोक्त व्यवस्था उपरान्त भी गोवंश निराश्रित न हो इसे सुनिश्चित किया जाना।
- यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा पशुओं को छोड़ा जाता है तो इस संबन्ध में कार्यवाही किया जाना। कृषक/पशुपालक को प्रेरित किया जाना कि इस प्रकार का कार्य न करें जिससे समाज को कठिनाईयों का सामना करना पड़ें।

3. **जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समितिः** प्रथमतः तीन माह तक बैठक माह में न्यूनतम दो बार उसके पश्चात् प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| 3. | मुख्य विकास अधिकारी | सदस्य |
| 4. | नगर आयुक्त नगर निगम | सदस्य |
| 5. | मुख्य पशुचिकित्साधिकारी | सदस्य सचिव |
| 6. | परियोजना निदेशक (डी.आर.डी.ए.) | सदस्य |
| 7. | अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत | सदस्य |
| 8. | समस्त उप–जिलाधिकारी | सदस्य |
| 9. | अधिशासी अभियन्ता–सिचाई | सदस्य |
| 10. | अधिशासी अभियन्ता–लघु सिचाई | सदस्य |
| 11. | प्रभागीय वनाधिकारी(सामाजिक वानिकी) | सदस्य |
| 12. | जिला पंचायतराज अधिकारी | सदस्य |
| 13. | जिला ग्रामोद्योग अधिकारी | सदस्य |
| 14. | जिला कृषि अधिकारी | सदस्य |
| 15. | जिला उद्यान अधिकारी | सदस्य |
| 16. | डी.डी.एम (NABARD) | सदस्य |
| 17. | मा0 जनप्रतिनिधिगण सम्बन्धित जनपद | विशेष आमंत्री सदस्य |

**समिति के कर्तव्य एवं दायित्व**

- विकास खण्ड/तहसील स्तरीय समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा।
- तहसील स्तरीय समिति को प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
- अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु वित्तीय प्रबन्धन
- उपरोक्त व्यवस्था उपरान्त भी गोवंश निराश्रित न हो इसे सुनिश्चित किया जाना।
- यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा पशुओं को छोड़ा जाता है तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना। कृषक/पशुपालक को प्रेरित किया जाना कि इस प्रकार का कार्य न करें जिससे समाज को कठिनाईयों का सामना करना पड़ें।

4. **मण्डल स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समितिः प्रथम तीन माह में न्यूनतम दो बार तत्पश्चात्** प्रत्येक माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है।

| | | |
|---|---|---|
| 1– | मण्डलायुक्त | अध्यक्ष |
| 2– | पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक | सदस्य |
| 3– | स्थानीय निकाय, नगर विकास विभाग के मण्डल | |

| | | |
|---|---|---|
| | स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी | सदस्य |
| 4— | अपर निदेशक, पशुपालन विभाग | सदस्य सचिव |
| 5— | उप निदेशक, पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| 6— | मुख्य अभियन्ता, संबंधित मण्डल, सिंचाई विभाग | सदस्य |
| 7— | वन संरक्षक, वन विभाग | सदस्य |
| 8— | उप निदेशक, कृषि विभाग | सदस्य |
| 9— | अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों से संबंधित अन्य सुसंगत विभागों के मण्डल स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारीगण | सदस्य |

**समिति के कर्तव्य एवं दायित्वः—**

- जनपद स्तरीय समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा।
- जनपद स्तरीय समिति को प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
- अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु वित्तीय प्रबन्धन
- उपरोक्त व्यवस्था उपरान्त भी गोवंश निराश्रित न हो इसे सुनिश्चित किया जाना।
- यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा पशुओं को छोड़ा जाता है तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना। कृषक/पशुपालक को प्रेरित किया जाना कि इस प्रकार का कार्य न करें जिससे समाज को कठिनाईयों का सामना करना पड़ें।

5. **प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समितिः**

मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समस्त संबन्धित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं निदेशक के साथ— प्रथमतः तीन माह तक बैठक माह में न्यूनतम एक बार उसके पश्चात् प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है। पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन नोडल विभाग की भूमिका निभाएगा।

सं०-2

दिनांक- 28.04.25

## बेसहारा/निराश्रित गोवंश संरक्षण की अद्यतन स्थिति

| क्र0 स0 | गो आश्रय स्थल का प्रकार | संख्या | संरक्षित गोवंश की अद्यतन सूचना (GO ASHRAY PORTAL) |
|---|---|---|---|
| 1 | अस्थाई गो आश्रय स्थल | 6721 | 1020965 |
| 2 | वृहद गो संरक्षण केन्द्र | 372 | 142012 |
| 3 | कान्हा गो आश्रय | 295 | 73602 |
| 4 | कांजी हाऊस | 306 | 12665 |
| **योग** | | **7693** | **1249244** |
| संरक्षण की तिथि से मृत गोवंश की संख्या | | | **114132 (2023 से)** |
| मा0 मुख्यमंत्री सहभागिता योजनान्तर्गत कुल सुपुर्द गोवंश (अद्यतन) | | | 172346 |
| लाभार्थी | | | 110938 |
| **पंजीकृत गौशाला** | | 371 | 114969 |

सलग्नक-2 क

2118

संख्या-2462/सैंतीस-2-2024

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

2. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 29 नवम्बर, 2024

विषय- प्रदेश के स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों के संचालन/प्रबन्धन एवं स्थापना में सहयोग हेतु आवश्यकतानुसार गैर सरकारी संगठनों/समितियों/कृषकों/कृषक संगठनों, इनवायरमेन्टल/सोशल एक्टिविस्ट, कार्पोरेट बॉडीज द्वारा कराये जाने हेतु Expression of Intrest (E.O.I) आमंत्रित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि शासनादेश संख्या-4324/सैंतीस-2-2019/5(53)/2018 दिनांक 02.01.2019 के माध्यम से प्रदेश में निराश्रित गोवंश संरक्षण हेतु अस्थायी/स्थायी गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना कर इनका संचालन ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय ग्राम पंचायतों तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों यथा नगर निगम, नगर पालिका तथा नगर परिषद द्वारा कराये जाने के संबंध में नीति का प्रख्यापन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6711 अस्थायी गो आश्रय स्थल, 334 वृहद गो संरक्षण केन्द्र, 306 कान्जी हाउस तथा शहरी क्षेत्र में 291 कान्हा गो आश्रय स्थल की स्थापना कर 1213996 बेसहारा गोवंशों को संरक्षित किया जा चुका है।

2. शासनादेश संख्या-261/सैंतीस-2-2019/5(53)/2018 दिनांक 28.01.2019 द्वारा निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी/स्थायी गो आश्रय स्थलों के प्रबन्धन एवं संचालन हेतु विस्तृत परामर्शीय निर्देश भी निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 28.01.2019 के प्रस्तर-4 के बिन्दु स० 09 में उल्लेखित है कि यदि कोई स्वयं सेवी संस्था पशु आश्रय स्थल स्थापित करने हेतु लीज पर भूमि की मांग करे तो सरकारी भूमि लीज पर नहीं दी जायेगी किन्तु संस्था द्वारा आश्रय स्थलों के पशुओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है" तथा प्रस्तर-6 के बिन्दु सं० 03 के अनुसार अस्थायी गो आश्रय स्थलों को संचालित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी की सहायता प्राप्त करने की दशा में उन्हें भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किया जायेगा मात्र Usufruct rights के अन्तर्गत संचालन में सहयोग लिया जायेगा। उदाहरण स्वरूप संलग्नक एम०ओ०यू० को आधार मानते हुए स्थानीय स्तर पर यथावश्यक संशोधन करते हुए जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में थर्ड पार्टी द्वारा न तो भूमि पर कब्जा किया जायेगा और न ही भूमि के सत्व (Title) विषयक कोई लाभ प्राप्त किया जायेगा।"

3. वर्तमान में गैर सरकारी संगठन / पशु कल्याण से जुडी स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 61 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों तथा 40 अस्थायी गो आश्रय स्थलों सहित कुल 101 गो आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में विचाराधीन वाद ओ०ए० नं0 394/2022 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी कदौरा जनपद जालौन व अन्य के संबंध में मा० न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.08.2024 में उल्लिखित ओवर साइट कमेटी (निरीक्षण समिति) द्वारा दी गयी संस्तुतियों के बिन्दु सं0 48(i) में प्रदत्त निर्देश/संस्तुति के क्रम में जनपदों में संचालित विभिन्न गो आश्रय स्थलों का संचालन गैर सरकारी संगठनों/समितियों/कृषकों/कृषक संगठनों, इनवायरमेन्टल/सोशल एक्टिविस्ट, कार्पोरेट बॉडीज से कराया जाना समीचीन होगा।

87

110

4. जनपद स्तर पर आवश्यकतानुसार गैर सरकारी संगठनों/समितियों/कृषकों/कृषक संगठनों, इनवायरमेन्टल/सोशल एक्टिविस्ट, कार्पोरेट बॉडीज को गो आश्रय स्थलों के संचालन हेतु Expression of Intrest (E.O.I) के आधार पर दिये जाने हेतु निम्नवत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) जनपद में 400 से अधिक संरक्षित निराश्रित गोवंश वाले गो आश्रय स्थलों, जिनके संचालन हेतु E.O.I. आमन्त्रित की जानी है का चयन एवं अनुमोदन जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा किया जायेगा। इस बात की सम्भावना तलाशी जाय कि बड़े गो आश्रय स्थल, जिसमें दो से तीन हजार गोवंश को संरक्षित किया जा सके तथा उनके साथ समुचित चारागाह की भूमि टैग की जा सके और इस हेतु गैर सरकारी संगठनों/समितियों/कृषकों/कृषक संगठनों, इनवायरमेन्टल/सोशल एक्टिविस्ट, कार्पोरेट बॉडीज को इन गो आश्रय स्थलों की स्थापना में सन्नद्ध किया जा सके और इसका समुचित संचालन और भरण-पोषण करने के साथ Self Sustainable माडल बनाने पर विचार किया जा सके। साथ ही साथ कार्पोरेट बॉडीज के सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग किये जाने की सम्भावना भी तलाश की जाये।

(2) गो आश्रय स्थलों में नियोजित किये गए श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान संचालन करने वाली संस्था द्वारा ही स्वयं वहन किया जाएगा।

(3) गो आश्रय स्थल की अवस्थापना सुविधाओं में मरम्मत तथा अन्य सामग्री यथा पशुओं को बांधने हेतु रस्सी, चारा मशीन व सबमर्सियल पम्प की मरम्मत तथा बिजली पर आने वाले व्यय का भुगतान संचालन करने वाली संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु दी जा रही धनराशि रू0-50.00 प्रति गोवंश प्रति दिन का उपयोग संस्था द्वारा केवल भूसा, हरा चारा एवं सकेन्द्रित आहार के क्रय हेतु ही किया जाएगा।

(5) गो आश्रय स्थलों के संचालन एवं प्रबंधन हेतु CPCB द्वारा निर्धारित पर्यावरणीय गाइडलाइन का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश के स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों के संचालन एवं प्रबन्धन हेतु जनपद स्तर पर आवश्यकता का आंकलन कर इच्छुक संस्थाओं से Expression of Interest (E.O.I) के आधार पर गैर सरकारी संगठनों/समितियों/कृषकों/कृषक संगठनों, इनवायरमेन्टल/सोशल एक्टिविस्ट, कार्पोरेट बॉडीज द्वारा कराये जाने के संबंध में उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने कष्ट करें।

<u>संलग्नक:यथोक्त।</u>

भवदीय,
(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

Signed by RAVINDER NAIK KHATRAVATH
Date: 29-11-2024 11:39:40

<u>संख्या-2462(1)/सैंतीस-2-2024 तद्दिनांक।</u>

**प्रतिलिपि निम्नलिखित** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) **अपर मुख्य सचिव**, मा0 मुख्य मंत्री उ0प्र0 शासन।
(2) **स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव**, उ0प्र0 शासन।
(3) **विशेष कार्याधिकारी**, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(4) **अपर मुख्य सचिव**, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) **अपर मुख्य सचिव**, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) **अपर मुख्य सचिव**, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) **अपर मुख्य सचिव**, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) **समस्त मण्डलायुक्त**, उ0प्र0/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
/
(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

/72/2023

संलग्नक ③

महत्वपूर्ण
संख्या–2104 / सैंतीस–2–2023

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0
2. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक– 30 अगस्त, 2023

विषयः– निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु स्थापित गो आश्रय स्थलों/संरक्षण केन्द्रों पर पर्यावरणीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में गाइडलाइंस

महोदय,

उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 20 वी पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 190.3 लाख गोवंश थे। कृषि कार्य में मशीनीकरण के प्रयोग से स्वदेशी/अवर्णित गोवंश के नर वत्स के अनुपयोगी हो जाने के कारण पशुपालक इन्हें निराश्रित छोड़ देते हैं। ये निराश्रित गोवंश अनियंत्रित होकर प्रजनन द्वारा अनुपयोगी/कम उत्पादकता के गोवंश की उत्पत्ति करते हैं, जिसके फलस्वरूप निराश्रित गोवंशों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम–1955 (यथा संशोधित–2000) लागू है, जिसके अन्तर्गत गोवध पर प्रभावी तरीके से प्रतिबन्ध लगाया गया हैं तथा सम्प्रति प्रदेश में लगभग 14 लाख निराश्रित गोवंश हैं।

2. निराश्रित गोवंशों की संख्या में कमी लाने एवं इनके संरक्षण तथा भरण–पोषण हेतु शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018, दिनांक 02.01.2019 द्वारा अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है कि पशुअतिचार अधिनियम–1871 (संशोधित–21 अगस्त, 1996) में दिये गये प्राविधानों व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम–1960 की धारा–4 के अधीन स्थापित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश पत्रांक–9–3/2018–19/पी0सी0ए0, दिनांक 12 जुलाई, 2018 के अनुसार निराश्रित पशुओं के संरक्षण एवं भरण–पोषण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है। नीति के अन्तर्गत यह भी प्राविधानित है कि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी सम्पूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना, व्यवस्था एवं प्रबन्धन; संचालन स्थानीय निकाय द्वारा की जायेगी। शासनादेश दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रख्यापित नीति के उक्त के क्रम में निर्गत मार्गदर्शी निर्देश दिनांक 28.01.2019 में गो आश्रय स्थलों हेतु भूमि का चिन्हांकन एवं समतलीकरण, गोवंशों हेतु स्थान के मानक, स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, पर्यावरणीय व्यवस्था एवं मृत गोवंशों के अन्तिम संस्कार हेतु सम्बन्धित विभागों को सुस्पष्ट दायित्व दिये गये हैं।

3. निराश्रित गो आश्रय स्थल अस्थायी प्रकृति के (कभी भी सम्पूर्णतया हटाने योग्य) हैं। यह स्थल कोई व्यवसायिक केन्द्र न होकर शेल्टर मात्र है, जिन पर निराश्रित गोवंश के

De-minimis जीवन निर्वाह की कल्याणकारी व्यवस्था है। अतः केन्द्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन्स, जो गोशालाओं/डेयरी फार्म के निमित्त है, के अनुसार इनकी स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है। अधिकांश गो आश्रय स्थलों में 200 से कम गोवंश संरक्षित हैं। अतः कम संख्या में गोवंश होने के कारण गोवंश आश्रय स्थलो में गोबर, गोमूत्र एवं चारे के अपशिष्ट कम मात्रा में उत्पादित होते हैं, तथा उत्पादित होने वाले इन अपशिष्टों को कम्पोस्ट के रूप में उसी स्थल पर उपयोग में ले लिया जाता है। अतः इन आश्रय स्थलों में उत्पादित अपशिष्ट का पर्यावरणीय प्रभाव नगण्य है।

4 केन्द्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा जुलाई, 2020 में डेयरी फार्म एवं गोशालाओं में पर्यावरणीय प्रबन्धन हेतु गाइडलाइन्स निर्गत की गयी है। गो आश्रय स्थल कभी भी सम्पूर्णतया हटाने योग्य शेल्टर मात्र है। ये कोई उद्यम अथवा व्यवसायिक केन्द्र नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु स्थापित/संचालित गो आश्रय स्थलों में पर्यावरण प्रबन्धन हेतु निम्नानुसार गाइडलाइन्स निर्गत की जा रही हैः-

(1) ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन-

1.1 प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर नियमित रूप से गोबर का उठान किया जाय और फर्श की साफ-सफाई सुनिश्चित की जाय। गो आश्रय स्थल के आस-पास के क्षेत्रों पर भी साफ-सफाई की जाय कि ताकि किसी प्रकार की आवांछित दुर्गन्ध न हो

1.2 गो आश्रय स्थलों और आस-पास के क्षेत्र को साफ रखने हेतु नियमित अंतराल पर चूने आदि का छिड़काव किया जाय।

1.3. बचा हुआ चारा, भूसा एवं विछावन को इकठठा करके पिट कम्पोस्टिंग की जाय।

1.4. गो आश्रय स्थलों में उत्पादित बायोमेडिकल वेस्ट को (वैक्सीन, दवा की खाली शीशियां, सीरिंज इत्यादि) पशुचिकित्सा अधिकारी अपने साथ ले जायें और सी0पी0सी0बी0 की गाइडलाइन्स में "Solid Waste Management Rules- 2016" के अनुसार निस्तारित किया जाय।

1.5. गो आश्रय स्थलों पर उत्पादित गोबर और बचे हुए चारे को जल निकासी के साथ न बहाया जाय।

(2) जल अपशिष्ट प्रबन्धन-

2.1. गौ-मूत्र, पशु की धुलाई व फर्श की सुफाई आदि में प्रयुक्त अवशिष्ट जल एक गडडे में एकत्रित कर चारागाह में सिचाई हेतु प्रयोग किया जाय।

2.2. गो आश्रय स्थल द्वारा फर्श की सफाई धुलाई आदि में जल का संयमित उपयोग किया जाय तथा प्रयुक्त जल इस प्रकार निस्तारित किया जाय कि यह अण्डरग्राउड जल को प्रदूषित न करें।

2.3 गौ-आश्रय स्थल की फर्श कदापि चिकनी नही होनी चाहिए। फर्श चिकनी होने से पशुओं के फिसलने का डर बना रहता है।

(3) वायु गुणवत्ता प्रबन्धनः-

3.1. शेड हवादार, पूर्व पश्चिम की लॉग एक्सिस में बना होना चाहिए। जिससे आर्द्रता मौसम के अनुकूल रहें और गौशाला में मेथेन, कार्बनडाई आक्साइड एवं अमोनिया आदि गैसों का जमाव न हो।

3.2. जाड़े एवं वर्षा में शेडों में अत्यधिक भीड़भाड़ (Over crowding) नही होनी चाहिए।

3.3. शेड की क्षमता से अधिक पशु कदापि न रखे जाय।

3.4. गो आश्रय स्थल पर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाय।

3.5 गो आश्रय स्थल में गोवंश के खड़े होने आराम करने और गति/चलने फिरने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाय।

3.6 गो आ...
प्राप्त न...
(4)...
4...

3.6 गो आश्रय स्थलों की कृषि विज्ञान केन्द्रों पशुपालन विभाग, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार चारा दाना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(4) साइटिंग पालिसीः—

4.1. गो आश्रय स्थल आवासीय परिसर/स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल/स्कूल से 100 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित किये जायें तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि तालाब झील मुख्य जल स्त्रोत से 200 मीटर की परिधि से बाहर स्थापित हो।

4.2. आश्रय स्थलों में शेडों के बीच कम से कम 05 मीटर की दूरी रखी जाय तथा बीच में ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाय।

(5) अन्य बिन्दुः—

5.1 निराश्रित गोवंश के भरण—पोषण हेतु चारा, पीने हेतु स्वच्छ पानी, समुचित प्रकाश एवं हवादार स्थल उपलब्ध होना चाहिये।

5.2 गोवंश के बैठने/आराम करने वाले स्थलों पर इन्टरलाकिंग लगायी जाय।

5.3 गो आश्रय स्थलों पर छायादार वृक्ष लगाये जाय, जिससे गोवंश को बैठने एवं आराम करने में सुविधा हो।

6. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( डा0 रजनीश दुबे )
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—2104(1)/सैंतीस—2—2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9. समस्त अपर निदेशक ग्रेड—2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
10. समस्त, मुख्य पशुचिकित्सधिकारी, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

भवदीय,

Signed by देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
Date: [illegible]-2023 16:05
Reason: Approved

( देवेन्द्र कुमार पाण्डेय )
विशेष सचिव

2123

सं० 4 — 10

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग–2
संख्या 261/सैंतीस–2–2019–5(53)/18
लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2019

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
11. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।

कृपया शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन की नीति का प्रख्यापन किया गया है। शासनादेश के प्रस्तर–7.8 (संलग्नक–1) के बिन्दु–5 के अनुसार प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति का गठन किया गया है तथा यह भी उल्लिखित है कि उक्त समिति द्वारा प्रथमतः तीन माह तक बैठक माह में न्यूनतम एक बार करेगी। तत्क्रम मे प्रथम बैठक दिनांक 15.01.2019 को आयोजित की गयी।

2. उक्त बैठक में पशुपालन विभाग द्वारा निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्गनिर्देशों का प्रस्तुतीकरण पशुपालन विभाग द्वारा किया गया, जिसके प्रत्येक प्रस्तर पर समिति द्वारा सामूहिक विमर्श करते हुए इस ज्वलंत समस्या के निदान हेतु विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय एवं समिति के अन्य सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त परामर्शी मार्गनिर्देशों पर प्रदेश स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्गनिर्देशों की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:यथोक्त।

28.1.19
(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या (1)/सैंतीस–2–2019तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–
1. निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 पशुधन राज्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त उप निदेशक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(अरविन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

(25) -(19)

निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल विषयक

परामर्शी मार्गनिर्देश

उद्देश्य

यह परामर्शी मार्गनिर्देश उदाहरण स्वरूप हैं। इन मार्गनिर्देशों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर गठित समिति/टास्क फोर्स द्वारा निराश्रित/बेसहारा गोवंश की ज्वलंत समस्या के निदान हेतु यथावश्यकता अभिनवीकरण (Innovation) कार्यहित/जनहित में किया जा सकता है।

1. निराश्रित/बेसहारा गोवंश का तात्पर्य

निराश्रित/बेसहारा गोवंश का तात्पर्य ऐसे गोवंश से है जिसका कोई स्वामी/मालिक न हो एवं खेतों तथा सड़कों पर घूमते पाये जा रहे हों।

गोवंश की स्थिति जिसके कारण कृषक/पशुपालक उन्हें निराश्रित/बेसहारा छोड़ देते है:- (यह एक उदाहरणार्थ है न कि संपूर्ण)

(i) नर गोवंश जिनका उपयोग कृषक/पशुपालकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। (यथा- सांड़, बैल, बछड़ा आदि)

(ii) ऐसी मादा गोवंश जो-

1. गर्भ धारण न होने योग्य हो।
2. अशक्त हो।
3. दुर्घटनाग्रसित हो।
4. बॉझपन से ग्रसित हो।
5. स्थायी अनुवर्तता (Permanent Sterility) हो।
6. नगण्य दुग्ध उत्पादन क्षमता के कारण निराश्रित/बेसहारा हो।
7. शुष्क (dry) हो।

2. अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल स्थापना विषयक गतिविधियाँ

2.1 पशुओ का चिन्हांकन: निराश्रित/बेसहारा पशुओं के चिन्हाकन हेतु:-

(1) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड ने निम्नतम स्तर (यथा-ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम/न्याय पंचायत स्तर व शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत नगर पालिका, नगर निगम के स्तर पर उपलब्ध फील्ड स्तरीय) पर कार्यरत विभिन्न विभागों (यथा-राजस्व, पुलिस, सिंचाई, ग्राम्य विकास, पंचायतराज आदि) के कार्मिकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम/मजरावार, मोहल्ला/वार्डवार पशुओ का चिन्हीकरण किया जाये।

(2) पशुओ का चिन्हांकन करते समय आयु, ब्यात, लिंग आदि तथा यदि पशु स्वामी है तो, पशु स्वामी का नाम, पता व सम्पर्क हेतु दूरभाष क्रमांक आदि अंकित किया जाये।

(3) सभी निराश्रित/बेसहारा गोवंश का ग्राम स्तर पर चिन्हीकरण किया जाये। इसके लिए पशुपालन विभाग के पास उपलब्ध टैग से सभी गोवंश का टैगिंग कराया जाये। चूंकि वर्तमान में उपलब्ध टैग भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना हेतु उपलब्ध है। अतः इसे रिप्लेस एवं भविष्य में

2 NC

17

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग–2
संख्या 261/सैंतीस–2–2019–5(53)/18
लखनऊ: दिनांक: 28 जनवरी, 2019

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
11. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।

कृपया शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 के द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन की नीति का प्रख्यापन किया गया है। शासनादेश के प्रस्तर–7.8 (संलग्नक–1) के बिन्दु–5 के अनुसार प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति का गठन किया गया है तथा यह भी उल्लिखित है कि उक्त समिति द्वारा प्रथमतः तीन माह तक बैठक माह में न्यूनतम एक बार करेगी। तत्क्रम में प्रथम बैठक दिनांक 15.01.2019 को आयोजित की गयी।

2. उक्त बैठक में पशुपालन विभाग द्वारा निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्गनिर्देशों का प्रस्तुतीकरण पशुपालन विभाग द्वारा किया गया, जिसके प्रत्येक प्रस्तर पर समिति द्वारा सामूहिक विमर्श करते हुए इस ज्वलंत समस्या के निदान हेतु विचार किया गया। मुख्य सचिव महोदय एवं समिति के अन्य सदस्यों द्वारा सम्यक विचारोपरान्त परामर्शी मार्गनिर्देशों पर प्रदेश स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

3. निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्गनिर्देशों की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:यथोक्त।

28.1.19

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या (1)/सैंतीस–2–2019तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 पशुधन राज्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त उप निदेशक/मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

प्रतिष्ठानों/अप्रयुक्त प्रतिष्ठानों में यथास्थिति अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल अथवा चारा/भूसा के रक्षण हेतु फॉडर बैंक (fodder Bank) हेतु इस भूमि/परिसर को उक्त विभाग/संस्था के जनपद स्तरीय अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त कर उपयोग किया जाना। इस भूमि का स्वत्व (title) का परिवर्तन न हो, यह सुनिश्चित करने का दायित्व, जिला प्रशासन का होगा।

(11) पूर्व में स्थापित कामधेनु, मिनी कामधेनु एवं माइक्रो कामधेनु योजना के अधीन, निजी लाभार्थियों को, अवस्थापना हेतु शासन द्वारा अनुदानित व वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इन स्थानों को चिन्हांकन कर निजी लाभार्थियों के सहयोग से व भविष्य में वित्तीय संस्थाओं के साथ विधिक कठिनाई न हो, इसके दृष्टिगत इन स्थलों का उपयोग करना।

(12) पशुपालन, कृषि, उद्यान आदि विभागों के फील्ड स्तर पर उपलब्ध प्रक्षेत्र, गौशाला, गोसदन आदि की क्षमता में यथावश्यकता वृद्धि करते हुए अथवा इनकी पूर्ण/आंशिक भूमि को नियमानुसार व निहित प्रक्रियानुसार उपयोग करना।

(13) शासन द्वारा वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में उपलब्ध कराये गये गोवंश आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि का सदुपयोग करते हुए युद्धस्तर पर पक्के गोवंश आश्रय स्थल का निर्माण करना।

(14) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल के साथ नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से स्थापित व अक्रियाशील कॉजी हाउस, पिंजरापोल आदि की मरम्मत कराकर उन्हें क्रियाशील करना।

2.3 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल हेतु चिन्हांकित स्थानों को उपयोग योग्य बनाना

(1) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल हेतु चिन्हांकित स्थलों को कृषि योग्य (विशेषतः चारा उगाने योग्य) बनाना। इस हेतु कृषि, ग्राम विकास, उद्यान विभाग आदि विभागों के माध्यम/सहयोग एवं यथा उपलब्धता वित्त पोषण से कार्य कराना।

(2) भूमि के समतलीकरण आदि के कार्य ग्राम्य विकास/पंचायतीराज एवं अन्य सुसंगत विभागों के माध्यम/सहयोग एवं यथा उपलब्धता वित्त पोषण से कराया जाना।

(3) जल संरक्षण व तालाब के निर्माण के कार्य ग्राम विकास/पंचायतीराज विभाग के माध्यम से कराना।

(4) वृक्षारोपण वन विभाग, ग्राम विकास, नगर विकास विभाग, ग्राम विकास एवं अन्य सुसंगत विभागों के माध्यम/सहयोग एवं यथाउपलब्धता वित्त पोषण से कराया जाना। इन वृक्षों के रख–रखाव हेतु वाचर (watcher) आदि कार्मिक की तैनाती यथा मानक करना।

2.4 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर पेयजल की व्यवस्था

उपयोग हेतु चिन्हांकित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था जिलाधिकारी के निर्देशन में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत स्तर पर समिति द्वारा किया जायेगा। पेयजल हेतु हैण्डपम्प स्थापित कर एवं/अथवा, सौर ऊर्जा आधारित पेयजल अवस्थापना का सृजन किया जा सकता है।

2.5 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर प्रकाश की व्यवस्था

उपयोग हेतु चिन्हांकित अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था जिलाधिकारी के निर्देशन में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत स्तर पर समिति द्वारा किया जायेगा। प्रकाश हेतु सौर

निराश्रित/बेसहारा पशुओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पशुपालन विभाग को, राज्य सरकार के बजट से टैग एवं उसको लगाने हेतु मानव संसाधन का वित्त पोषण भी किया जाये। इस हेतु पशुपालन विभाग योजना बनाते हुए राज्य बजट के माध्यम से धनराशि की माँग करेगा। यह भी निर्णीत हुआ कि टैगिंग करने तथा पंजीकरण में यथासंभव जनपद/तहसील/विकास खण्ड/न्याय पचायत/ग्राम पंचायत व पशु विवरण की व्यवस्था की जाये।

(4) यथा सम्भव चिन्हांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक (यथा–बारकोडिंग, RFID Tagging आदि) का प्रयोग किया जाये।

2.2 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल हेतु भूमि का चिन्हांकन व हस्तांतरण

(1) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना हेतु विभिन्न शासकीय विभागों, सहकारी संस्थाओं व अन्य ऐसी संस्थाएं जिनका प्रशासकीय/वित्तीय नियंत्रण शासन में अंतर्निहित है, की अप्रयुक्त भूमि को नियमानुसार चिन्हांकित करना।

(2) निराश्रित/बेसहारा गोवंश आश्रय स्थल हेतु अन्य विभागों की भूमि का हस्तांतरण की प्रकिया जटिल व लम्बी हो सकती है, इसलिए भूमि का चिन्हांकन कर तत्काल इस भूमि का उपयोग अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु आरम्भ किया जाये।

(3) निराश्रित/बेसहारा गोवंश के अस्थायी आश्रय हेतु राजस्व विभाग की चारागाह की गोचर भूमि का उपयोग किया जा सकता है।

(4) यह भूमि राजस्व संहिता 2006 के प्राविधानों के दृष्टिगत चारागाह की भूमि धारा–77(1)क के अतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता की सुरक्षित श्रेणी में आती है, जिस पर न तो किसी को भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो सकते हैं और न ही ऐसी भूमि को ग्राम सभा द्वारा एमओयू के आधार पर किसी अन्य गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) आदि को प्रबंधन हेतु दिया जाना नियमानुकूल होगा।

(5) ऐसी भूमि पर ग्राम सभा द्वारा घारा प्रदान करने वाली वृक्ष प्रजातियों को रोपण किया जाता है अथवा पशुओं के पीने के लिए नलकूल व चरही आदि का निर्माण किया जा सकता है।

(6) किसी एनजीओ अथवा कारपोरेट घराने द्वारा सीएसआर के अंतर्गत ग्राम सभा को कोई सहयोग प्रदान किया जाता है अथवा ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद अपने व्यय पर नलकूप/चरही आदि की स्थापना की जा सकती है।

(7) इस भूमि के क्षेत्रफल के अधिकतम 10 प्रतिशत भाग पर ही अस्थायी अवस्थापना सृजन किया जा सकता है। शेष 90 प्रतिशत भाग खुला रहेगा जिसका उपयोग निराश्रित पशुओं के अतिरिक्त अन्य दुधारू पशुओं के विचरण हेतु पूर्व की भाँति यथावत किया जायेगा।

(8) अन्य विभागों की यदि भूमि उपलब्ध हो तो संबंधित जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर विभागीय अधिकारियों से अनापत्ति प्राप्त कर निराश्रित पशुओं के रखने हेतु उक्त भूमि का उपयोग प्रारम्भ कर सकते हैं।

(9) यदि कोई स्वयंसेवी संस्था पशु आश्रय स्थल स्थापित करने हेतु लीज पर भूमि की मांग करे तो सरकारी भूमि लीज पर नहीं दी जायेगी किन्तु संस्था द्वारा आश्रय स्थल के पशुओं की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।

(10) प्रत्येक जनपद में ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश मण्डी परिषद, चीनी मिलो, शैक्षणिक संस्थाओं, पीसीएफ, पीसीडीएफ आदि सहकारी संस्थायें तथा केन्द्र सरकार के बन्द पड़े



18

(2) गोवश में रूचि रखने वाली स्वैच्छिक संस्थायें, अराजनैतिक संगठन/संस्थायें, धर्मार्थ कार्य में जुड़ी संस्थाओं आदि के माध्यम से भी पशु चिकित्साधिकारियों के संरक्षण में माइनर वेटनरी सर्विसेज (minor veterinary services) उपलब्ध कराना।

(3) बड़े नर गोवंश को वन्ध्याकरण करते समय मानव सुरक्षा के दृष्टिगत ट्रैंक्विलाइजर गन (tranquilizer gun) की व्यवस्था पशुपालन विभाग द्वारा व्यवस्था की जाये। अंतरिम रूप से बड़े नर गोवंशों को नियंत्रित करते हेतु मण्डल,/जिले स्तर पर वन विभाग के पास उपलब्ध संसाधन (ट्रैंक्विलाइजर गन के प्रयोग हेतु) एवं स्थानीय निवासियों/ग्रामवासियों/सामाजिक संगठन आदि का सहयोग भी लिया जाये।

3. <u>अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की संचालन व्यवस्था</u>

3.1 पशुओं का विवरण

| विवरण/सुझाव | गर्मी | सर्दी |
|---|---|---|
| पशुओं का आश्रय | पशुओं को रात में खुले में बाहर रहने दिया जाना चाहिए क्योंकि शेड बहुत गर्म होगा। | पशु रात के समय शेड के अंदर रखे जाना चाहिए। |
| चारा व्यवस्था (स्थानीय समय अनुसार) | | |
| सुबह | सुबह 6 बजे शेड के अंदर | सुबह 7 बजे शेड के बाहर |
| शाम | शाम 4 बजे शेड के बाहर | शाम 6 बजे शेड के अंदर |
| गाय का गोबर हटाना | सुबह 8 से 10 बजे तक | सुबह 9 से 11 बजे तक |
| बाहरी क्षेत्र की सफाई | सुबह 8, से 10 बजे तक | शाम 5 से 7 बजे तक |
| शेड की सफाई | शाम 5 से 7 बजे तक | सुबह 9 से 11 बजे तक |
| ताजे पानी की उपलब्धता | शेड के अंदर और बाहर दोनों | शेड के अंदर और बाहर दोनों |

3.2 चारा व पानी (संलग्नक--1)

(1) पशुओं के उन्नत स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार दिया जाना, जिसमें कम से कम 10% फाइबर युक्त भी सम्मिलित हो यथासंभव कृषि व अन्य अनुषांगिक विभागों के माध्यम से प्राप्त किया जाना। उक्त के अतिरिक्त यथा उपलब्धता साइलेज उपलब्धता के लिए भी कार्य किया जाना।

(2) पशुओं को 90% चारा जैसे घास, हरा चारा, सूखी घास व भूसा और 10% सब्जियों के अवशेष स्थानीय उपलब्धता व वित्त पोषण के आधार पर दिया जाना। गोवंश को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए गुड़/राब (मोलेसेस) को आहार में यथावश्यकता व यथा उपलब्धता एवं वित्त पोषण के आधार पर आहार में जोड़ा जाना।

(3) सभी पशुओं के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराना, जिससे कि वे एक ही समय चारा खाने में आपसी प्रतिस्पर्धा/लड़ाई न हो सके।

ऊर्जा अथवा/एवं यथास्थिति नियमित विद्युत संयोजन के आधार पर रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था की जा सकती है।

2.6 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर चारे की व्यवस्था (निम्नानुसार मार्गनिर्देश संलग्नक–1 पर व्यवस्थित है)

(1) चारे की प्रजाति व उसके उत्पादन हेतु आवश्यक भूमि।

(2) प्रति पशु चारे व भूसे की व्यवस्था विषयक आवश्यकता का मानकीकरण।

(3) प्रस्तर–2.2 (8) के अनुसार फॉडर बैंक (fodder Bank) की स्थापना करना।

(4) जनपद स्थित कृषि, पशुपालन, उद्यान एवं अन्य विभागों द्वारा उत्पादित भूसा/चारा या कृषकों की फसल अवशेष (crop residue) फॉडर बैंक (fodder Bank) में प्राप्त करने हेतु व्यवस्था करना।

(5) भूसा एवं चारा की उपलब्धता करने हेतु तहसील स्तरीय राजस्व प्रशासन के माध्यम से एवं कृषि, पशुपालन, उद्यान एवं अन्य विभागों के सहयोग से भूसा एवं चारा उपलब्धता हेतु भूमि का चिन्हांकन करते हुए स्थानीय जलवायु, ऋतु के अनुसार दिये गये मार्ग निर्देशों के अनुरूप चारे की उपलब्धता।

2.7 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था

(1) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर सुरक्षा हेतु स्थानीय पुलिस चौकी, पुलिस थाना को उत्तरदायी बनाया जाये। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध ग्राम स्तरीय स्थायी चौकीदार को अतिरिक्त धनराशि पर भी कार्य देने पर विचार जिला स्तर पर समिति द्वारा किया जा सकता है।

(2) गोवंश को खिलाना, गोबर एकत्र करना, दूध निकालना, साफ सफाई व्यवस्था आदि कार्यों हेतु श्रमिकों की यथावश्यकता केवल संदर्भित ग्राम/निकाय के स्थानीय निवासी को अंशकालिक श्रमिक के रूप में तैनाती जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। इसमें ग्राम स्तर पर अन्य शासकीय योजनाओं के संचालन में सम्मिलित अंशकालिक रूप से कार्यरत कार्मिक (यथा–रसोइया आदि) का भी उपयोग किया जा सकता है। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन को प्रतिमाह न्यूनतम दो हजार रूपये पारिश्रमिक के आधार पर तैनात करने हेतु जिला स्तर पर समिति निर्णय कर सकती है।

(3) श्रमिक की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर गोवंश में रूचि रखने वाले स्वैच्छिक संस्थायें, अराजनैतिक संगठन/संस्थायें, धर्मार्थ कार्य में जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से श्रमिक की तैनाती व वित्त पोषण कराना।

2.8 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर पशु चिकित्सा व्यवस्था

(1) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं की चिकित्सा संबंधी सेवायें स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा, कृमिनाशक दवापान, बन्ध्याकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान एवं मृत पशुओं का शव परीक्षण आदि कार्य पशुपालन विभाग के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी एवं सुसंगत विभागों के माध्यम से पूर्णतः निःशुल्क किया जाना।

3.7 पशु की मृत्यु

(1) गोवंश की मृत्यु की दशा मे वर्तमान में विद्यमान उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अनुसार व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों मे की जाये व ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अधिनियम के अनुसार व्यवस्था की जाये नगरीय क्षेत्रों में/ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के शव परिवहन व निस्तारण हेतु व्यवस्था करना, इन्सीनिरेटर आदि स्थापित करने विषयक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (solid waste management) म्यूनिसपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट–2016 के अंतर्गत पंचायतीराज विभाग व नगर विकास विभाग योजना बनाते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन 02 सप्ताह में प्राप्त करेंगे।

(2) पशुओं के अंतिम संस्कार हेतु उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा–393 के अनुसार व्यवस्था नगरीय क्षेत्रों में करना।

(3) स्वभाविक/प्राकृतिक मृत्यु पर पंचनामा के आधार पर शव का निस्तारण किया जाना परन्तु किसी संदेह की अवस्था मे शव विच्छेदन (पोस्टमार्टम) अनिवार्य।

(4) अंतिम संस्कार हेतु प्रयुक्त होने वाली सामग्री का वित्त पोषण यथावश्यकता ग्राम्य विकास, पंचायतीराज विभागों आदि से कराना।

(6) सामग्री/वित्त पोषण अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, धर्मार्थ कार्य में जुड़ी संस्थाओं के सहयोग से करना।

3.8 श्रमिकों की व्यवस्था

प्रस्तर 2.7 के अनुसार।

3.9 रिकार्ड कीपिंग/अभिलेखों का रखरखाव

(1) आश्रय स्थल पर रखे पशुओं/गोवंश के विवरण का एक रजिस्टर रखा जाना।

(2) उपचार किए गए समस्त गोवंश पशुओं का अभिलेखीकरण किया जाना। उक्त के साथ यथासंभव स्वस्थ पशुओं के नियमित जांच का भी अभिलेख रखना।

(3) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर मृत गोवंश तथा अन्य स्थानों/व्यक्तियों/संस्थाओं को हस्तांतरित पशुओं विषयक अभिलेख अनिवार्य रूप से रखना।

(4) गोसेवा आयोग के अधिनियम के अन्तर्गत हस्तांतरित गोवंश विषयक विशेष सजगता बरतना।

(5) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में सूखे व हरे चारे का स्टाक रजिस्टर रखना।

(6) गोवंश आश्रय स्थलों में प्राप्त होने वाली सीधी धनराशि विषयक/रसीद बुक/बैंक पासबुक आदि रखना।

(7) यदि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर जनरेटर, एम्बुलेन्स वाहन आदि की व्यवस्था है तो उससे संबन्धित लाग–बुक अंकित में विवरण अद्यतन रखना।

4. <u>अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलो को आर्थिक/वित्तीय रूप से स्वावलम्बी (self-sustainable) बनाया जाना</u>

(1) पंचगव्य आधारित औषधियों के प्रयोग हेतु जनमानस को प्रेरित किया जाना तथा कम खर्च में विभिन्न बीमारियों से छुटकारा दिलाना चाहिए। इसमें कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं, धर्मार्थ कार्य से जुड़ी संस्थाओं, अराजनैतिक संस्थाओं आदि से सम्पर्क कर उनसे प्रौद्योगिकी प्राप्त करना। संलग्नक–2

3.3 आवास और पर्यावरण

(1) पशुओं को यथासंभव एक स्वच्छ वातावरण में कम घनत्व पर छोटे–छोटे समानान्तर उम्र–समूहों (age-groups) में रखा जाना।

(2) चलने में असमर्थ तथा अशक्त गोवंश हेतु पुआल का बिछाव, यथासंभव, प्रदान किया जाना।

(3) गोवंश को रखने वाले स्थान पर पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अत्यधिक तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित किया जाना। अच्छी वायु गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना।

(4) पशुओं के लिए यथा संभव न्यूनतम स्थान निम्न प्रकार होना चाहिए:–

| पशु का प्रकार | प्रति पशु फ्लोर स्पेस वर्ग मी० में | |
|---|---|---|
| | कवर्ड स्पेश | ओपेन स्पेश |
| 8 सप्ताह से कम उम्र के बछड़े | 1.0 | 2.0 |
| 8 सप्ताह से अधिक उम्र के बछड़े | 2.0 | 4.0 |
| बछिया | 2.0 | 4.0–5.0 |
| वयस्क भैंसे | 4.0 | 8.0 |
| वयस्क गायें | 3.5 | 7.0 |
| ब्यांत के करीब पहुंची गायें | 12.0 | 20–25 |
| सांड | 12.0 | 120.0 |
| बैल | 3.5 | 7.0 |

3.4 फर्श

यदि गो आश्रय स्थलों पर पक्की फर्श बनी है तो फर्श पूरी तरह से सपाट, फिसलनयुक्त, कठोर या बहुत खुरदरे न हो।

3.5 स्वास्थ्य परीक्षण व चिकित्सा

(1) गोवंशे प्रजाति की संक्रामक बीमारियों के सापेक्ष नियमित टीकाकरण कराना।

(2) परजीवी नियंत्रण कार्यक्रम निरन्तर चलाना।

(3) पशुओं को हर 06 महीने में खुरपका–मुँहपका रोग (एफएमडी) के खिलाफ टीका लगाना।

(4) 90 दिनों की उम्र के प्रत्येक पशु बछड़े/बछिया को रेबीज का टीका लगाना।

(5) बाह्य और आंतरिक परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए एक वर्ष में कम से कम 03 बार कृमिनाशक दवापान कार्यक्रम चलाना।

(6) यह सुनिश्चित करना कि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर रखे हुए पशुओं के मध्य प्रजनन न हो।

3.6 बछड़े/बछिया

(1) कम से कम 6 महीने की आयु तक गोवत्सों को माताओं से अलग नहीं करना।

(2) गोवत्सों को कम से कम 6 महीने तक बिस्तर के साथ साफ, शुष्क परिस्थितियों में रखना। वीनिंग प्रक्रिया धीरे–धीरे कराना।

(3) अनियंत्रित पशु प्रजनन रोकने हेतु नर बछड़ों का दर्द रहित तरीके से बन्ध्याकरण कराना।

(3) निराश्रित / बेसहारा गोवंश को बिना किसी कठिनाई / पीड़ा के पकड़े जाने हेतु कैटिल कैचर की व्यवस्था किया जाना।

6. अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं के भरण–पोषण हेतु वित्त पोषण

(1) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों को प्रस्तर–4 अनुसार आर्थिक / वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने का प्रयास किया जाये।

(2) पशुओं के भरण–पोषण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत निधि / क्षेत्र पंचायत निधि / जिला पंचायत निधि में उपलब्ध धनराशि से भरण–पोषण अनुदान करने हेतु विषयक निर्णय यथावश्यक अधिनियम, नियम, उपविधि शासनादेश आदि में संशोधन पंचायतीराज विभाग द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करते हुए 02 सप्ताह में किया जायेगा। इसी प्रकार का संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त नगर विकास विभाग द्वारा भी 02 सप्ताह में सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों को संचालित किये जाने हेतु थर्ड पार्टी की सहायता प्राप्त करने की दशा में उन्हें भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तांतरण नहीं किया जायेगा। मात्र usufruct rights के अंतर्गत संचालन में सहयोग लिया जायेगा। उदाहरण स्वरूप संलग्नक एम.ओ.यू. को आधार मानते हुए स्थानीय स्तर पर यथावश्यक संशोधन करते हुए जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा। निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में थर्ड पार्टी द्वारा न तो भूमि पर कब्जा किया जायेगा और न ही भूमि के स्वत्व (title) विषयक कोई लाभ प्राप्त किया जायेगा।

(3) निराश्रित / बेसहारा गोवंश जैसाकि प्रस्तर–1 में परिभाषित है, के भरण–पोषण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति के स्तर पर सुनिश्चित किया जाना।

(4) गोसेवा अधिनियम के अंतर्गत गोसेवा आयोग के साथ पंजीकृत गोशालाओं को मण्डी सेस के माध्यम से भरण–पोषण हेतु दिये जा रहे अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया शासनादेश संख्या–2557 / सैंतीस–2–2017–5(16) / 2017, दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 के अनुसार यथावत रहेगी।

(5) जिलाधिकारी स्तर पर सरकारी कार्मिकों, आम नागरिकों एवं अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सामाजिक कार्य / धर्मार्थ कार्य से जुड़ी संस्थाओं आदि द्वारा दिये जाने वाले दान हेतु कारपस फण्ड (corpus fund) स्थापित किया जाय।

(7) शासन स्तर से प्राप्त होने वाली राजस्व अथवा पूँजीगत मद के अंतर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि अथवा भरण–पोषण मद में प्राप्त होने वाली धनराशि का लेखा–जोखा पृथक–पृथक हो।

(8) कार्पस फण्ड का आडिट स्थानीय लेखा परीक्षा से कराकर रिपोर्ट नोडल विभाग को परीक्षण हेतु प्रेषित किया जाना।

7. कृषक / पशुपालक द्वारा स्वामित्व के पशुओं को निराश्रित / बेसहारा के रूप में छोड़ने पर रोक लगाने हेतु कार्यवाही

(1) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–255 के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना।

(2) उत्तर प्रदेश पंचायतराज मैनुअल के अध्याय–4 (ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य तथा प्रशासन) के अंतर्गत धारा–15 (ग्राम पंचायत के कृत्य) की उपधारा (तेइस) "चिकित्सा और

(2) गोबर व गोमूत्र से जीवामृत का उत्पादन व विपणन कर उससे राजस्व प्राप्त करना।
संलग्नक-3

(3) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों तथा ग्राम पंचायत के अन्य पशु पालकों के माध्यम से सामूहिक गोबर गैस प्लांट स्थापित करना व उससे प्राप्त होने वाली कार्बनडाई आक्साइड, मीथेन एवं नाइट्रोजन गैस का अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ पृथक-पृथक कर विपणन योग्य उत्पादों का (यथा-सीएनजी, शुष्क बर्फ (ड्राई आइस) का उत्पादन कर राजस्व प्राप्त करना।

(4) जड़ी बूटियों एवं गौमूत्र से हर्बल कीटनाशक औषधियों का उत्पादन।

(5) गोबर लॉग का उत्पादन करना। ग्राम स्थित अंत्येष्ठि स्थलों पर गोबर लॉग का प्रयोग अनिवार्य कर राजस्व प्राप्त करना।

(6) गोबर गमलों का उत्पादन करते हुए वन विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य विभागों की नर्सरियों में प्लास्टिक के स्थान पर गोबर गमलों का प्रयोग कराते हुए राजस्व प्राप्त करना।

(7) गोबर कण्डों का उपयोग अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत में कार्यरत ईंट भट्ठों में कराते हुए राजस्व प्राप्त करना।

(8) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश के गोबर, गोमूत्र से निर्मित उत्पादों एवं पंचगव्य उत्पादों हेतु ग्रामीण स्तर पर किसानों/पशुपालकों को प्रशिक्षण देकर बिना दूध के गोवंश (dry cow) को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी बनाना।

(9) ग्रामीण स्तर पर किसानों/पशुपालकों को प्रशिक्षण देते हुए गोवंशों (अनुपयोगी सम्मिलित करने) के आधार पर जीरो बजट एवं जैविक खेती को बढ़ावा देना। इस हेतु स्थानीय स्तर पर गोवंश के गोबर एवं गोमूत्र के उत्पाद के प्रयोग को बढ़ावा देना। इस हेतु गो-विज्ञान केन्द्र, सेवाग्राम, देवलापुर, नागपुर (महाराष्ट्र) का मॉडल अपनाने पर विचार।

(10) ग्राम स्तर पर छोटे-छोटे निराश्रित गोवंश की गोशाला/आश्रय स्थल बनाया जाना तथा उपयोगी बनाया जाना। नगर निगमों में आर्थिक रूप से संबल (economic viable) गोशालाओं की स्थापना की जानी तथा इस कार्य में विशेषज्ञता रखने वाली संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाय।

(11) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति परामर्शी मार्गनिर्देश में दर्शाये गये बिन्दुओं का अध्ययन कर यथावश्यकता/उपयुक्तता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी

5. <u>गोवंश को किसानों/पशुपालकों को सुपुर्द किया जाना</u>

(1) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल से यदि गोवंश किसानों/पशुपालकों को दिये जाने की दशा में उनसे भू अभिलेख की खतौनी, पहचान पत्र, सरपंच/सभासद से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना जिससे स्पष्ट हो कि इन्हें पशु की आवश्यकता है तथा यह इस पशु को निराश्रित/बेसहारा नहीं छोड़ेगा से संबंधित रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

(2) ग्राम स्तर पर निराश्रित/बेसहारा गोवंश को अपनाए जाने हेतु अभियान चलाकर जन-मानस को प्रेरित किया जाना तथा उनका ध्यान निराश्रित/बेसहारा गोवंश के कारण कृषि को होने वाली हानि तथा मार्ग दुर्घटनाओं की ओर आकृष्ट करते हुए जागरूक/प्रेरित किया जाय।

(2) पशु परिवहन नियम-1978 एवं अधिसूचना, 2001 में उपलब्ध प्राविधानों के अंतर्गत ही पशु का परिवहन सुनिश्चित किया जाये तथा जिस किसान/पशुपालक को गोवंश पालन-पोषण हेतु दिये जा रहा है, उसकी उस पशु की साथ फोटो भी लिया जाना तथा अभिलेखीकरण किया जाना।

संलग्नक–1

सिंचाई सुविधायुक्त क्षेत्रों के लिए बहुवर्षीय चारा फसल आधारित वर्ष पर्यन्त हरा चारा उत्पादन पद्धति
फसल चक्र: हाईब्रिड नेपियर+ (लोबिया–बरसीम+सरसों) फसल अवधि : 3–4 वर्ष

| चारा फसल का नाम एवं प्रजाति | बुवाई / रोपाई का समय | बीज दर एवं बुवाई / रोपाई हेतु दूरी | सिंचाई की संख्या | पोषक तत्व प्रबन्धन | हरा चारा कटाई का समय | हरा चारा उत्पादन (कु0 / हे0 / वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| हाईब्रिड नेपियर:– IGFRI-6, IGFRI-10, NB-21 | 15 फरवरी से जुलाई | 20000 Rooted Slips को 100 X50 सेमी0 की दूरी पर रोपाई करें। | गर्मी में 8–9 सिंचाई करें | (1) बेसल ड्रेसिंग– 50+50+50 किग्रा0 NPK प्रति हे0 (2) टाप ड्रेसिंग– 50+50+50+50 किग्रा0 N प्रति हे0 | प्रथम कटाई रोपाई के 75–80 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–40 दिन बाद करें। | |
| लोबिया:– ई0सी0–4216, कोहिनूर, बुन्देल लोबिया–1, बुन्देल लोबिया–1. | अप्रैल–मई (जब बरसीम फसल की कटाई समाप्त हो जाये) | 20–25 किग्रा0 हाईब्रिड नेपियर की दो पंक्तियों की बीच लोबिया की दो पंक्ति लगायें | उपरोक्तानुसार | आवश्यकता नही पडती है | बुवाई के 60–65 दिन बाद कटाई करें | 2000.00 |
| बरसीम:– मेसकावी, वरदान, बुन्देल बरसीम–2, बुन्देल बरसीम–2 + सरसों:– चाईनीज कैपेज, जापानीज रेपसीड | अक्टूबर | 26 किग्रा0 बरसीम + 1.5–2.0 किग्रा0 सरसों की बुवाई पलेवा किये गये खेत में छिटकवा विधि से करें | जाड़े में 8–10 दिन के अन्तराल पर तथा गर्मी में 12–15 दिन के अन्तराल पर कुल 12–15 सिंचाई करें। | बेसल ड्रेसिंग– 20+80 किग्रा0 NP प्रति हे0 | प्रथम कटाई बुवाई के 50–55 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–35 दिन बाद करें। | |

सिंचाई सुविधायुक्त क्षेत्रों के लिए एकवर्षीय चारा फसल आधारित वर्ष पर्यन्त हरा चारा उत्पादन पद्धति
फसल चक्र : ज्वार+लोबिया – बरसीम+सरसों – मक्का+लोबिया फसल अवधि :01 वर्ष

| चारा फसल का नाम एवं प्रजाति | बुवाई / रोपाई का समय | बीज दर एवं बुवाई / रोपाई हेतु दूरी | सिंचाई की संख्या | पोषक तत्व प्रबन्धन | हरा चारा कटाई का समय | हरा चारा उत्पादन (कु0 / हे0 / वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ज्वार:– (1) एकल कटाई वाली ज्वार– पी0सी0–6, पी0सी0–9, एम0पी0चरी (1) बहु कटाई वाली ज्वार– एम0पी0चरी0 SSG-59-3 + | जून से जुलाई | 20–25 किग्रा0 ज्वार + 25–30 किग्रा0 लोबिया को 25 सेमी0 की पंक्ति दूरी पर 2:2 के अनुपात मे बुवाई करे। (ज्वार की दो पंक्तियों के मध्य | आवश्यकतानुसार | बेसल ड्रेसिंग– 60+45 किग्रा0 NP प्रति हे0 | प्रथम कटाई रोपाई से 55–60 दिन बाद करे तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 35–40 दिन बाद करें। | 1800– 1900 |

स्वच्छता"-(घ) "छुट्टा पशु और पशुधन के विरुद्ध निवारक कार्यवाही" के अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाही करना।

(3) उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम की धारा-37 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश पंचायतराज मैनुअल के नियम-220 एवं 224 के अंतर्गत यथावश्यक कार्यवाही करना।

(4) प्रचलित व्यवस्था के साथ पशु के पूर्व स्वामियों द्वारा पशुओं को निराश्रित/बेसहारा छोड़ने पर पुलिस एक्ट में जो प्राविधान हैं, उसके अनुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जाये।

(5) पंचायतीराज विभाग द्वारा 02.08.2018 को निर्गत शासनादेश में छोड़े गये पशुओं के पूर्व स्वामियों पर जुर्माने/आर्थिक दण्ड की व्यवस्था है। नगर विकास विभाग भी इसी प्रकार अपने नियम, अधिनियम, का परीक्षण करते हुए आर्थिक दण्ड विषयक व्यवस्था की जायेगी साथ ही मॉडल बाइलॉज (आदर्श उपविधि) भी बनायी जायेगी, जिससे नगरीय क्षेत्रों में व्यावसायिक डेरी संचालन कार्यकर्ताओं को प्रभावी रूप से विनियमित किया जायेगा।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लोबिया:– एनसी0–4216, कोहिनूर, बुन्देल लोबिया–1, बुन्देल लोबिया–1 | | लोबिया की दो पंक्ति) | | | | |
| बरसीम– मेसकावी, वरदान बुन्देल बरसीम–2, बुन्देल बरसीम–2 + सरसों – चाईनीज कैबेज, जापानीज रेपसीड | बुवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से तृतीय सप्ताह तक करें। | 25 किग्रा0 बरसीम + 15–20 किग्रा0 सरसों की बुवाई 20X20 सेमी0 की दूरी पर अथवा पलेवा किये गये खेत में छिटकवा विधि से करें | जाड़े में 8–10 दिन के अन्तराल पर तथा गर्मी में 12–15 दिन के अन्तराल पर कुल 12–15 सिंचाई करें। | बेसल ड्रेसिंग– 20+80 किग्रा0 NP प्रति है0 | प्रथम कटाई बुवाई के 60–65 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–35 दिन बाद करें। | |
| मक्का:– अफ्रीकन टाल, गंगा सफेद–2, जे0–1006, जवाहर संकुल, विजय + लोबिया:– इ0सी0–4216,कोहिनूर, बुन्देल लोबिया–1, बुन्देल लोबिया–1 | मार्च से अप्रैल एवं जून से जुलाई | 25–30 किग्रा0 मक्का + 25–30 किग्रा0 लोबिया को 25 सेमी0 की पंक्ति दूरी पर 2:2 के अनुपात में (ज्वार की दो पंक्तियों के मध्य लोबिया की दो पंक्ति) | 8–10 दिन के अन्तराल पर कुल 7–8 सिंचाई करें। | (1) बेसल ड्रेसिंग– 60+30 किग्रा0 NP प्रति है0 (2) टाप ड्रेसिंग– 30 किग्रा0N प्रति है0 बुवाई के 30 दिन बाद | कटाई बुवाई के 60–75 दिन बाद करें | |

वर्षा–आधारित क्षेत्रों के लिए वर्ष पर्यन्त हरा चारा उत्पादन पद्धति

फसल चक्रः पेनिसेटम ट्राई स्पेसिफिक हाईब्रिड (TSH)+बाजरा (दो–कटाई वाली फसल अवधि–3–4 वर्ष

| चारा फसल का नाम एवं प्रजाति | बुवाई / रोपाई का समय | बीज दर एवं बुवाई / रोपाई हेतु दूरी | सिंचाई की संख्या | पोषक तत्व प्रबन्धन | हरा चारा कटाई का समय | हरा चारा उत्पादन (कु0 / है0 / वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| पेनिसेटम ट्राई स्पेसिफिक हाईब्रिड (TSH) | जुलाई–अगस्त एवं मध्य फरवरी से मार्च | 10000–12000 Rooted Slips का 75 सेमी की दूरी पर द्वि–पंक्ति विधि (Paired row) से 2.20 मी0 की दूरी पर | बरसात के अनुसार | (1) बेसल ड्रेसिंग– 10 टन गोबर की सड़ी खाद एवं 40+50+30 किग्रा0 NPK प्रति है0 की दर से (2) टाप ड्रेसिंग– 30 किग्रा0 N प्रति है0 बुवाई के 30 दिन बाद | प्रथम कटाई रोपाई के 75–80 दिन बाद करे तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–40 दिन बाद करें। | 800– 900 |
| बाजरा (दो कटाई वाली) – राज. बाजरा चरी–2, | जून से जुलाई | पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.2 मी0 एवं पौध से पौध की दूरी 30 सेमी0 पर | बरसात के अनुसार | (1) बेसल ड्रेसिंग– 30+30 किग्रा0 NP प्रति है0 | बुवाई के 40–50 दिन बाद प्रथम कटाई करें तथा दूसरी कटाई | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVKB-19 | | बुवाई करें। | | (2) टाप ड्रेसिंग– 30 किग्रा0 N प्रति है0 बुवाई के 30–35 दिन बाद एवं 30 किग्रा0 प्रथम कटाई के बाद प्रयोग करें। | 40–45 दिन के बाद पुनः करें। | |

उद्यान–घरागाह पद्धति द्वारा हरा चारा उत्पादन

फसल चक्र : आंवला/अमरूद/बेर/आम/इमली+(गिनी घास/नैपियर हाईब्रिड (3)दशरथ घास(1)),

फसल अवधि : 4–5 वर्ष

| चारा फसल का नाम एवं प्रजाति | बुवाई/रोपाई का समय | बीज दर एवं बुवाई/रोपाई हेतु दूरी | सिंचाई की संख्या | पोषक तत्व प्रबन्धन | हरा चारा कटाई का समय | हरा चारा उत्पादन (कु0/है0/वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| गिनी घास + दशरथ घास गिनी घासः– बुन्देल गिनी–1, 2 एवं 3, हैमिल, रिवर्सडेल, गल्टन + दशरथ घास | मध्य फरवरी से जुलाई तक | गिनी घास के Rooted Slips के साथ 5 किग्रा0/है0 दशरथ घास के बीज को 3:1 अनुपात में मुख्य औद्यानिक फसल के दो पंक्तियों के मध्य बुवाई/रोपाई करें। | औद्यानिक फसलों की आवश्यकतानुसार | (1) बेसल ड्रेसिंग– 50+50+25 किग्रा0 NPK प्रति है0 की दर से प्रयोग करें। (2) टाप ड्रेसिंग– 60 किग्रा0 N प्रति है0 प्रत्येक कटाई के बाद प्रयोग करें। | प्रथम कटाई रोपाई के 70–75 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–40 दिन बाद करें। | 1200–1500 |
| नैपियर हाईब्रिड दशरथ घास नैपियर हाईब्रिडः– IGFRI-6, IGFRI-10, NB-21 + दशरथ घास | मध्य फरवरी से जुलाई तक | नैपियर हाईब्रिड के Rooted Slips के साथ 5 किग्रा0/है0 दशरथ घास के बीज को 3:1 अनुपात में मुख्य औद्यानिक फसल के दो पंक्तियों के मध्य बुवाई/रोपाई करें। | औद्यानिक फसलों की आवश्यकतानुसार | (1) बेसल ड्रेसिंग– 50+50+50 किग्रा0 NPK प्रति है0 (2) टाप ड्रेसिंग– 50+50+50+50 किग्रा0 N प्रति है0 प्रत्येक कटाई के बाद प्रयोग करें। | प्रथम कटाई रोपाई के 75–80 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–40 दिन बाद करें। | |

वन–चरागाह पद्धति द्वारा हरा चारा उत्पादन

फसल चक्र : सुबबूल+TSH+(ज्वारलोबिया) फसल अवधि–3–4 वर्ष

| चारा फसल का नाम एवं प्रजाति | बुवाई / रोपाई का समय | बीज दर एवं बुवाई / रोपाई हेतु दूरी | सिंचाई की संख्या | पोषक तत्व प्रबन्धन | हरा चारा कटाई का समय | हरा चारा उत्पादन (कु0 / हे0 / वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सुबबूल +TSH +(ज्वार +लोबिया)<br>TSH +<br>सुबबूल–के0–8 | जुलाई–अगस्त एवं मध्य फरवरी से मार्च | द्वि–पंक्ति विधि (Paired row) में 75 सेमी0 की दूरी पर TSH की रोपाई करें। TSH की पंक्ति से 50 सेमी0 की दूरी पर सुबबूल को तथा पुनः सुबबूल की पंक्ति से 50 सेमी की दूरी पर TSH की दूसरी द्वि–पंक्ति लगाये। इसके बाद 3.0 मी0 की दूरी छोड़कर पुनः दूसरा सेट लगाये। इस पद्धति में TSH की 12000–15000 Root Slips/हे0 एवं 1.5–2.0 किग्रा0/ हे0 सुबबूल के बीज की आवश्यकता पड़ती है। | आवश्यकतानुसार | (1) बेसल ड्रेसिंग–<br>200 कु0 गोबर की खाद एवं 20+30+30 किग्रा0 NPK प्रति हे0 की दर से प्रयोग करें।<br>(2) टाप ड्रेसिंग–<br>20 किग्रा0 N प्रति हे0 प्रत्येक कटाई के बाद प्रयोग करें। | प्रथम कटाई रोपाई के 75–80 दिन बाद करें तथा अगली कटाई पूर्व कटाई से 30–40 दिन बाद करें। | 500–600 |
| ज्वार चारा:–<br>एम0पी0चरी, पी0सी0–6<br>लोबिया:–<br>ई0सी0–4216, कोहिनूर, बुन्देल लोबिया–1, बुन्देल लोबिया–1 | जून–जुलाई | 12–15 किग्रा0 ज्वार चारा बीज<br>+<br>20–25 किग्रा0 लोबिया को 25 सेमी0 की पंक्ति दूरी पर दो सेट के मध्य बुवाई करें। | आवश्यकतानुसार | (1) बेसल ड्रेसिंग–<br>30+30 किग्रा0 NP प्रति हे0 | कटाई बुवाई के 60–75 दिन बाद करें | |

R AE [signature]

दो फसलीय मौसम के मध्य रिक्त समय (Lean Period) में हरा चारा उत्पादन

उपलब्ध रिक्त समय (Lean Period)

1. रबी फसल कटाई के बाद मई–जून (दो माह)
2. खरीफ फसल कटाई के बाद अक्टूबर–नवम्बर (दो माह)

फसलों का चयन–कम अवधि वाली चारा फसलों का चयन करें।

1–मई से जून (दो माह) हेतु फसल चक्र– मक्का+लोबिया *अथवा* बाजरा/ज्वार+लोबिया

2–अक्टूबर–नवम्बर (दो माह) हेतु फसल चक्र– सरसों *अथवा* शलजम / चुकन्दर

| चारा फसल का नाम एव प्रजाति | बुवाई/रोपाई का समय | बीज दर एवं बुवाई/रोपाई हेतु दूरी | सिंचाई की संख्या | पोषक तत्व प्रबन्धन | हरा चारा कटाई का समय | हरा चारा उत्पादन (कु0/हे0/वर्ष) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| मक्का:– अफ्रीकन टाल, गंगा सफेद–2, जे0–1006, जवाहर संकुल, विजय<br>ज्वार चरी:– एम0पी0चरी SSG-59-3, PC-6<br>बाजरा चरी :– राज. बाजरा चरी–2, AVKB–19<br>लोबिया– ई0सी0–4216, कोहिनूर, बुन्देल लोबिया–1, बुन्देल लोबिया–1 | अप्रैल–मई | 25–30 किग्रा0 मक्का अथवा 5 किग्रा0 बाजरा अथवा 25–30 किग्रा0 ज्वार + 20–25 किग्रा0 लोबिया को प्रति हे0 की दर से 25–30 सेमी0 की पंक्ति दूरी पर 2:2 के अनुपात में बुवाई करें। | 8–10 दिन के अन्तराल पर कुल 7–8 सिंचाई करें। | (1) बेसल ड्रेसिंग– 60+30 किग्रा0 NP प्रति हे0<br>(2) टाप ड्रेसिंग– 30 किग्रा0 N प्रति हे0 बुवाई के 30 दिन बाद | कटाई बुवाई के 60–75 दिन बाद करें | 300–350 |
| सरसों:– वरदान, रोहिनी, पूसा बहार | सितम्बर–अक्टूबर | 5–6 किग्रा0 बीज को 20–25 सेमी की पंक्ति दूरी पर बुवाई करें। | 2–3 सिंचाई | बेसल ड्रेसिंग– 60+30+20 किग्रा0 NPK प्रति हे0 | कटाई 50 प्रतिशत फूल आने पर करें। | |
| शलजम:– स्नोबाल, पूसा चन्द्रिमा, पर्पिल टाप | सितम्बर–अक्टूबर | 6–8 किग्रा0 बीज प्रति हे0 की दर से 30X10 सेमी की दूरी पर मेडों पर बुवाई करें। | बुवाई के तुरन्त बाद एक हल्की सिंचाई एवं अन्य 15 दिन के अन्तराल पर | (1) बेसल ड्रेसिंग– 10–12 टन/हे0 गोबर की खाद एव 60+30+30किग्रा0 NPK प्रति हे0 की दर से | कटाई 65–70 दिन बाद करें | |
| चुकन्दर:– सुग्रा, कावेरी, IISR Comp-1 | अक्टूबर | 3–4 किग्रा प्रति हे0 मेडों पर 50 सेमी की दूरी पर | 8–10 सिंचाई | बेसल ड्रेसिंग– 120+60+60 किग्रा0 NPK प्रति हे0 | जडो के पूर्ण विकसित हो जाने पर (बुवाई से 120 दिन बाद) | |

## शर्करायुक्त फसलों से हरा चारा एक विकल्प के रूप में

| चारा फसल का नाम एवं प्रजाति | बुवाई/रोपाई का समय | बीज दर एवं बुवाई/रोपाई हेतु दूरी | सिंचाई की संख्या | पोषक तत्व प्रबन्धन | कटाई का समय | उत्पादन (कु0/हे0) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| गन्ना (अगोले के रूप में)– (1) अगेती प्रजातियाँ–को.जे.–64, कोशा.–8436, को.शा.–88230, को.लख.–94184 आदि (2) देर से पकने वाली प्रजातियाँ– को.शा.–95275, को.शा.–97261, यू.पी.–0097 (हृदय), यू.पी.–39 आदि | फरवरी–मार्च एवं अक्टूबर में | तीन आँख वाले 40000 टुकड़े 90 सेमी की दूरी पर पंक्तियों में समतल खेत/मेड़ों पर बुवाई करें | 6–6 सिंचाई | 10–12 टन/हे0 गोबर की खाद एवं 300+100+200 किग्रा0 NPK प्रति हे0 प्रयोग करें। नत्रजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा बुवाई के समय कूड़ों में तथा नत्रजन की शेष आधी मात्रा बुवाई के 80–90 दिन बाद टाप ड्रेसिंग करें। | अक्टूबर माह से | 700–800 कु0/हे0 (33 प्रतिशत अगोले के रूप में हरा चारा) |
| शलजम:– स्नोयाल, पूसा चन्द्रिमा, पर्पिल टाप | सितम्बर–अक्टूबर | 5–6 किग्रा0 बीज प्रति हे0 की दर से 30X10 सेमी की दूरी पर मेड़ों पर बुवाई करें। | बुवाई के तुरन्त बाद एक हल्की सिंचाई एवं अन्य 15 दिन के अन्तराल पर | (1) बेसल ड्रेसिंग– 10–12 टन/हे0 गोबर की खाद एवं 60+30+30 किग्रा0 NPK प्रति हे0 की दर से | कटाई 65–70 दिन बाद करें | 250–300 कु0/हे0 |
| चुकन्दर:– शुभ्रा, कावेरी, IISR Comp-1 | अक्टूबर का प्रथम सप्ताह | 3–4 किग्रा प्रति हे0 मेड़ों पर 50 सेमी की दूरी पर | 8–10 | बेसल ड्रेसिंग– 10–12 टन/हे0 गोबर की खाद एवं 120+60+60 किग्रा0 NPK प्रति हे0 | जड़ों के पूर्ण विकसित हो जाने पर (बुवाई से 120 दिन बाद) | 250–300 कु0/हे0 |
| गाजर:– पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदग्नि, नेन्टस, चेन्टने, सेले0–233 पायनियर हाइब्रिड | सितम्बर–नवम्बर | 6.0–10.0 किग्रा0/हे0 समतल खेत/मेड़ों पर 20 X 10 सेमी0 की दूरी पर | बुवाई के तुरन्त बाद एक सिंचाई एवं अंकुरण के बाद प्रत्येक सप्ताह | बेसल ड्रेसिंग– 10–12 टन/हे0 गोबर की खाद एवं 40+20+20 किग्रा0 NPK प्रति हे0 | जड़ों के ऊपरी सिरा का व्यास 2.5 से 3.5 सेमी0 विकसित हो जाने पर | 250–300 कु0/हे0 |
| शकरकन्द:– (1) सफेद प्रजातियाँ–V-2, V-8, V-12, पूसा सफेद (2) लाल प्रजातियाँ– पूसा सुनहरी, पूसा लाल, V-6 | मार्च या जून–जुलाई | 4.0–5.0 कु0/हे0 कन्द (Root) या 40000–50000 लतायें/हे0 मेड़ों पर 60 X 30 सेमी0 की दूरी पर | आवश्यकता अनुसार | बेसल ड्रेसिंग–10–12 टन/हे0 गोबर की खाद एवं 35+20+110 किग्रा0 NPK प्रतिहे0 टाप ड्रेसिंग–बुवाई के 60–75 दिन बाद 35 किग्रा0 N/हे0 मेड़ो पर मिट्टी चढ़ाते समय | कटाई 105–110 दिन बाद करें | 250–300 कु0/हे0 |

संलग्नकः–2

पंचगव्य

गाय से उत्पन्न प्रत्येक गौजन्य पदार्थ एक औषधि है। गाय का दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर से पचगव्य बनाया जाता है। गाय का दूध स्वादिष्ट ठण्डा, कोमल, घी वाला, गाढ़ा, चिकना लिपटने वाला, भारी ढीला और स्वच्छ होता है। गाय का दूध अच्छा मीठा, वातपित्तनाशक व तत्काल वीर्य उत्पन्न करने वाला होता है। इस प्रकार गाय का दूध जीवन शक्ति को बढ़ाने वाला सर्वश्रेष्ठ रसायन है। गाय के दूध से बना दही शरीर को पुष्ट करने वाला होता है। गाय का घी बुद्धि, कान्ति, स्मरण शक्ति को बढाने वाला, बल देने वाला, शुद्धि करने वाला, गैस मिटाने वाला, थकावट मिटाने वाला। गाय का घीं अमृत के समान है जो जहर का नाश करने वाला व नेत्रों की ज्योति बढाने वाला होता है।

गोमूत्र का महत्व चरक संहिता आदि आयुर्वेद के ग्रन्थों में गोमूत्र की बड़ी महिमा बताई है। गोमूत्र तीता, तीखा, गरम, खारा, कड़वा, और कफ मिटाने वाला है। हल्का अग्नि बढ़ाने वाला, बुद्धि और स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला, पित्त, कफ और वायु को दूर करने वाला होता है। त्वचा रोग, वायु रोग, मुख रोग, अमावत पेट के दर्द और कुष्ठ का नाशक है। खांसी, दमा, पीलिया, रक्त की कमी को गोमूत्र दूर करता है। मात्र गोमूत्र पीने से खुजली, गुदा का दर्द, पेट के कीड़े, पीलिया आदि रोगों का शमन होता है। गोबर का महत्व गोबर का सबसे बड़ा गुण कीटाणु नाशक है। इसमें हर प्रकार के कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता है। इसलिए गायों में आज भी शुभ कार्य करने से पूर्व गोबर से लेपा जाता है। इससे पवित्रता व स्वच्छता दोनों बनी रहती है। गोबर हैजे, प्लेग, कुष्ठ व अतिसार रोगों में लाभप्रद है।

पंचगव्य एक औषधि है। गाय के गोबर का रस, दही का खट्टा पानी, दूध, घीं और गोमूत्र इन सभी चीजों को बराबर मात्रा में लेकर बनाई गई औषधि प्रयोग करने से विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है ऐसा पाया गया है।

(42) (36)

संलग्नक–3

जीवामृत

किसान भाईयो जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है। जिसे गोबर के साथ पानी मे कई और पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है। जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह पौधों की विभिन्न रोगाणुओं से सुरक्षा करता है तथा पौधों की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है जिससे पौधे स्वस्थ बने रहते हैं तथा फ़सल से बहुत ही अच्छी पैदावार मिलती है। जीवामृत को किसान भाई दो रूपो मे बना सकते है।

1 तरल जीवामृत

तरल जीवामृत बनाने की विधि

किसान भाईयो तरल जीवामृत बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है।

1– देशी गाय का 10 किलो गोबर (देशी बैल या गाय का)

2– 10 लीटर गौमूत्र ( देशी बैल या गाय का )

3– पुराना सड़ा हुआ गुड़ 1 किलो (नया गुड़ भी ले सकते है) अगर गुड़ न मिले तो 4 लीटर गन्ने का रस भी प्रयोग कर सकते है।

4– किसी भी प्रकार की दाल का 1 किलो आटा (मूंग, उर्द, अरहर, चना आदि का आटा)

5– बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलो इसे सजीव मिट्टी भी कहते है।अगर पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी न मिले तो ऐसे खेत की मिट्टी प्रयोग की जा सकती है जिसमें कीटनाशक न डाले गए हों।

6– 200 लीटर पानी

7– एक बड़ा पात्र (ड्रम आदि)

ये सब सामग्री इकट्ठा करके सबसे पहले 10 किलोग्राम देशी गाय का गोबर, 10 लीटर देशी गौमूत्र, 1 किलोग्राम पुराना सड़ा हुआ गुड़ या 4 लीटर गन्ने का रस, 1 किलोग्राम किसी भी दाल का आटा, 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी एवं 200 लीटर पानी को एक मिट्टी के मटके या प्लास्टिक के ड्रम में डालकर किसी डंडे की सहायता से इस मिश्रण को अच्छी तरह हिलाये जिससे ये पूरी तरह से मिक्स हो जाये। अब इस मटके या ड्रम को ढक कर छांव मे रखदे। इस मिश्रण पर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए।

अगले दिन इस मिश्रण को फिर से किसी लकड़ी की सहायता से हिलाए, 6 से 7 दिनों तक इसी कार्य को करते रहे। लगभग 7 दिन के बाद जीवामृत उपयोग के लिए बनकर तैयार हो जायेगा। यह 200 लीटर जीवामृत एक एकड़ भूमि के लिये पर्याप्त है।

देशी गाय के 1 ग्राम गोबर में लगभग 500 करोड़ जीवाणु होते हैं। जब हम जीवामृत बनाने के लिए 200 लीटर पानी मे 10 किलो गोबर डालते हैं तो लगभग 50 लाख करोड़ जीवाणु इस पानी मे डालते हैं जीवामृत बनते समय हर 20 मिनट में उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। जीवामृत जब हम 7 दिन तक किण्वन के लिए रखते हैं तो उनकी संख्या अरबों–खरबों हो जाती है। जब हम जीवामृत भूमि में पानी के साथ डालते हैं, तब भूमि में ये सूक्ष्म जीव अपने कार्य में लग जाते हैं तथा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं।

जीवामृत के प्रयोग से होने वाले लाभ

1– जीवामृत पौधे को अधिक ठंड और अधिक गर्मी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है।

2– फसलों पर इसके प्रयोग से फूलों और फलों में वृद्धि होती है।

3– जीवामृत सभी प्रकार की फसलो के लिए लाभकरी है।

4– इसमें कोई भी नुकसान देने वाला तत्व या जीवाणु नहीं है।

5– जीवामृत के प्रयोग से उगे फल,सब्जी, अनाज देखने में सुंदर और खाने में अधिक स्वादिष्ट होते है।

6– पौधो में बिमारियों के प्रति लड़ने की शक्ति बढ़ाता है।

7– मिट्टी में से तत्वों को लेने और उपयोग करने की क्षमता बढ़ती है।

8– बीज की अंकुरन क्षमता में वृद्धि होती है।

9– इससे फसलों और फलो में एकसारता आती है तथा पैदावार में भी वृद्धि होती है।

जीवामृत का लगातार उपयोग भूमि पर क्या असर डालता है?

1– जीवामृत के लगातार प्रयोग करने से भूमि में केचुआ और अन्य लाभदायक सूक्ष्म जीव जैसे– शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ व बैक्टीरिया इत्यादि में वृद्धि होती है जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

2– भूमि की उर्वरा शक्ति मे वृद्धि होती है।

3– भूमि के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में भी इसके प्रयोग से सुधार होता है जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है।

जीरो बजट का अर्थ है। चाहे कोई भी अन्य फसल हो या बागवानी की फसल हो। उसकी लागत का मूल्य जीरो होगा। मुख्य फसल का लागत मूल्य अंतरवर्तीय फसलों के या मिश्र फसलों के उत्पादन से निकाल लेना और मुख्य फसल बोनस रूप में लेना या आध्यात्मिक कृषि का जीरो बजट है। फसलों को बढ़ने के लिए और उपज लेने के लिए जिन–जिन संसाधनों की आवश्यकंता होती है। वे सभी घर में ही उपलब्ध करना, किसी भी हालत में मंडी से या बाजार से खरीदकर नहीं लाना। यही जीरो बजट खेती है।

तरल जीवामृत को कैसे प्रयोग करें?

इस तरल जीवामृत को कई प्रकार से अपने खेतों मे प्रयोग कर सकते है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फसल में पानी के साथ जीवामृत देना जिस खेत में आप सिंचाई कर रहे हैं उस खेत के लिए पानी ले जाने वाली नाली के ऊपर ड्रम को रखकर वाल्व की सहायता से जीवामृत पानी मे डाले धार इतनी रखें कि खेत में पानी लगने के साथ ही ड्रम खाली हो जाए। जीवामृत पानी में मिलकर अपने आप फसलों की जड़ों तक पहुँचेगा। इस प्रकार जीवामृत 21 दिनों के अंतराल पर आप फसलो को दे सकते है। इसके अलाया खेत की जुताई के समय भी जीवामृत को मिट्टी पर भी छिड़का जा सकता है। इस तरल जीवामृत का फसलो पर छिड़काव भी कर सकते है। फलदार पेड़ो के लिए पेड़ों दोपहर 12 बजे के समय पेड़ो की जो छाया पड़ती है उस छाया के बाहर की कक्षा के पास 1.0–1.5 फुट पर चारों तरफ से नाली बनाकर प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत महीने में दो बार पानी के साथ दीजिए। जीवामृत छिडकते समय भूमि में नमी होनी चाहिए।

जीवामृत का प्रयोग गेहूँ, मक्का, बाजरा, धान, मूंग, उर्द, कपास, सरसों,मिर्च, टमाटर, बैंगन, प्याज, मूली, गाजर आदि फसलो के साथ ही अन्य सभी प्रकार के फलदार पेड़ों में कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है।

(44) (30)

Draft

# Memorandum of Understanding

The Memorandum of Understanding made on this............day of ....... (Month), .............. (Year) between ................................ .......................... (name of local body) through its ............................ (Competent officer) (here in after called 'First party') which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successor in office and assigns of the one part

AND

............................................., ............................ through ................................................ (Name of officer of Goshala/Firm/Support Organization etc) (here in after called the 'Second party' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context be deemed to include his successor in office and assigns) of the other parts.

WHEREAS, the First Part has developed Temporary Govansh Ashray Sthal at Village ......................., District .......................of Uttar Pradesh in an area of about............ acre and inside the said Temporary Govansh Ashray Sthal which has been made operational for keeping cows and its progeny (Cow, Calf, Heifer, Bull and Bullock) also name as Govansh, who are caught and are kept in Temporary Govansh Ashray Sthal.

Whereas, both the parties are agreed that the operation of the Temporary Govansh Ashray Sthal would be under taken by the ................................................ and as such M.O.U. has to be prepared between the ............................ and the ..................................................

And whereas, the First Party is the absolute owner in possession of the said ................ acre of the land situated in village ...... ..........., District ...................... over Khasra Plot/s No.

..................................................................................................................

...... and over the same place has been developed for keeping unsheltered/ uncared govansh (cow and its progeny) therein and provide them timely Food, water, proper Shelter and safety (as package of practice). The Animal Husbandry services will be supported by the nearby Government Veterinary Hospital under supervision of Chief Veterinary Officer.

And whereas, the Second Party is desirous to manage the said ........................................... ... on the terms and conditions here in after contained in this memorandum of Understanding.

Now this deed of Memorandum of Understanding witness as follows:

1. That the term of MOU shall commence w.e.f. ...................(DD/MM/YYYY and shall subject to the terms remain in force for a period of ...................... years that is upto ..... ............ (DD/MM/YYYY). The First Party can increase the period if it is satisfied with the package of practice of ....... ..........................

2. That the .. ........ ............................ shall not sell any cow and its progeny which are at above said place.

a Ae [signature]

3. That the ................................... will keep the details of Cow and its progeny, newcomer govansh, birth and death of govansh provided to the ......................................................at above said place by the First Party.

4. That the ................................................ will not fix any limit of the animals sent / deployed by the First Party.

5. That the ................................ .. will allow the officers of the Government or as deputed / nominated / authorized officer to inspect the ... ...................................................and if any short coming is found same shall be rectified immediately by .........................................

6. That the First Party shall provide very primitive requirement as required to establish Temporary Govansh Ashray Sthal. The Second party will not ask to establish any permanent office accommodation etc. A temporary guard room may be sanctioned to provide rest place for guard and workers of ..................................working at ................................

7. That the Electricity, Water, Bhunsa Godown and maintenance would be provided by the First Party at ..................................

8. That there are several shades for keeping the cow and its progeny at ................................................ but if it is found that the same are in-adequate new temporary shades shall be built by the First Party.

9. That out of ............ acre land ............ acre of land would be provided to the ......................................... for growing green fodder for the animals, but the ownership of the ........acre land would remain with the First Party. The Green fodder grown would only be utilized for the feeding of Govansh enlisted in ................................................ , the ...............................................will not sell fodder to any outsider.

10. That the First Party will provide the iron chains/rassa for chaining/ restraining of govansh , fodder machine etc as decided by Districtrict Magistrate.

11. That the Veterinary Doctors and paraveterinary staff services would be provided by the First Party. An office Staff may be appointed by Second Party as supervision to supervise day to day activities. ........................................... (Second Party) will keep First Aid medicine form own source for prompt relief and over and above will be borne by the First Party

12. That if the work of ....................................... is not found satisfactory then the First Party shall have a right to cancel the Memorandum of Understanding by giving one month's notice and the work would be given to any other competent person or Society/Institution. The ................................................ will have no legal right to claim any damages for the First Party.

13. That if it is found that the ................................... is misutilizing the infrastructure, machines, equipments etc. provided by the First Party , the Second Party will be solely responsible for the losses.

14. That the First Party will undertake the maintenance, repairing, white washing, painting of .................................................... provided to the ........................................................ by the First Party as per this MOU.

(46) (40)

15. That the ................................... shall ensure that all the prophylactic vaccinations against contagious disease of livestock are given at appropriate time and proper records are kept. The vaccination of the govansh will be done by the Department of Animal Husbandry free of cost.

16. That the ................................................ will accept all the Cow and its progeny sent by the Local bodies or the Government.

17. All sales proceeds from the disposal of Cow's Milk, dung and urine will be utilized in animal welfare activities.

18. All expenses towards stamp duty etc. on this M.O.U. Deed shall be borne by the Second Party

19. That the First party shall make the payments for labour and security .

20. That the First Party shall provide the Maintenance items as and when required.

21. Any dispute and difference arising out of or in any way touching or concerning this M.O.U. shall be final by The District Magistrate. However if second party not agreed to accept the decision of the District Magistrate it shall be referred to the Sole Arbitrator the Commissioner of ............................ Division, ..................and there shall be no objection to any such appointment. The award of the Arbitrator so appointed shall be final and binding on both the parties.

In witness where of the parties have signed this M.O.U. on the day and the year first above mentioned.

| First Party | Second Party |
|---|---|
| Name | Name |
| Post | Post |
| Contact # | Contact # |
| e- mail - | e-mail - |
| Witness: | Witness: |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |

2147 स0 5

महात्वपूर्ण
सं0–1706/सैंतीस–2–2023–5(53)/2018

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
उ0प्र0।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

3. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

4. आयुक्त,
ग्राम विकास विभाग,
उ0प्र0,लखनऊ

5. निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ:: दिनॉक: 17 जुलाई, 2023

विषय–निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों के प्रभावी कियान्वयन हेतु गो आश्रय स्थलवार माइको मैनेजमेंट के पर्यवेक्षण के सम्बन्ध में

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश सरकार निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण–पोषण हेतु कृत संकल्पि है। इस हेतु उ0प्र0 के समस्त ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस–2–2018–5(53)/2018, दिनांक 02.01.2019 द्वारा किया गया है। अग्रेतर उक्त नीति के कियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 23.01.2019 द्वारा परामर्शी मार्ग निर्देश निर्गत किये गये हैं। इस योजना के कियान्वयन में जनसहभागिता सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–3256/सैंतीस–2–2019–30(4)/2019, दिनांक 08.08.2019 द्वारा 'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' का प्रख्यापन किया गया है। महिलाओं, बच्चों एवं अन्य आयु वर्ग में कुपोषण की दर को कम किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–4938/सैंतीस–2–2020–30(4)/19, दिनांक 12.09.2020 द्वारा 'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' के अन्तर्गत कुपोषित बच्चों के पात्र एवं इच्छुक परिवारों को जिले में स्थापित एवं संचालित विभिन्न गो आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2 गो आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के मध्य प्रतिपशु प्रतिदिन के आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु यह निर्णय लिया गया है कि 'राज्य वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि में कुछ अंश पूल कर जिस ग्राम पंचायत में गो आश्रय स्थल स्थापित है, के साथ शेयर किये जाने तथा इस निमित्त उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा–16ए के अधीन व्यवस्था की जाये।' उ0प्र0 पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा–16ए में यह व्यवस्था है कि 'ग्राम पंचायतों को अधिकार होगा कि वह ऐसा धन और ऐसी संस्थाओं और कार्यो को जो कि उसकी अधिकार सीमा के बाहर स्थित हो, ऐसी सहायता दे सकती हो, जो कि राज्य सरकार साधारण तथा विशेष रूप से आज्ञा दे।' उक्त के कम में पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1347/33–3–2022, दिनांक 03.07.2022

द्वारा ग्राम पंचायत में स्थापित गो आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है।

3. निराश्रित गोवंश/दुर्घटना ग्रस्त बड़े पशुओं को परिवहन हेतु कैटल कैचर/मल्टी परपज वेहिकल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1854/33–2–2022–5913/2019, दिनांक 03.08.2022 में यह व्यवस्था है कि जिलाधिकारी अपने जनपद की आवश्यकतानुसार कैटिल कैचर/मल्टीपरपज वेहिकल वाहन का क्रय कर सकते है अथवा किराये पर रख सकते है। उक्त के अतिरिक्त इस पूरे कार्य को भी आउट्सोर्स प्रति पशु के दर पर करते हुए संचालित किया जा सकता है। जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत इस पर आने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग/स्वयं की आय से वहन किया जा सकता है।

4. निराश्रित गोवंश का शत–प्रतिशत संरक्षण किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–822/सैंतीस–2–2022–5(53)/2018टी0सी0–1, दिनांक 01.06.2023 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि अस्थायी गो आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु स्थल चयन कर निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाये। यह कार्य मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण (convergence) से कराया जा सकता है। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि प्रश्नगत स्थल land एवं location के अनुरूप समुपयुक्त हो। प्रत्येक चिन्हित स्थल के अन्तर्गत एक कैचमेन्ट ऐरिया का निर्धारण कराया जाय, जिनमें ग्राम पंचायतें स्पष्ट रहें। यह कैचमेन्ट एरिया स्थानीय निराश्रित गोवंश की संख्या के अनुरूप निर्धारित की जाय यथा 5 से 10 ग्राम पंचायतें, जिससे कि इस कैचमेन्ट एरिया में यदि निराश्रित गोवंश मिलता है तो उसे सम्बन्धित आश्रय स्थल पर संरक्षित किया जा सके।

5. गो आश्रय स्थलों के वित्तीय प्रबन्धन को सुगम बनाये जाने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या–80सी0एम0/सैंतीस–2–2023–5(53)/2018टी0सी0–6, दिनांक 18.04.2023 द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि गोवंश आश्रय स्थलों/सहभागिता योजना का वित्तीय प्रबन्धन डी0बी0टी0 (DBT) के माध्यम से किया जाय। शासनादेश संख्या–1538/सैंतीस–2–2023–5(53)/ 2018टी0सी0–6, दिनांक 11.07.2023 द्वारा डी0बी0टी0 (DBT) के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण किये जाने की प्रकिया में तेजी लाये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

6. प्रदेश में सम्प्रति 6024 अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना की गयी है, जिनमें कुल 930601 गोवंश संरक्षित किये गये हैं। 'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' के अन्तर्गत कुल 97927 इच्छुक व्यक्तियों/पशुपालकों को 183811 गोवंश सुपुर्दगी में दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में कुल 414 स्थायी गो संरक्षण केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिनमें 282 कियाशील केन्द्रों में कुल 140870 गोवंश को संरक्षण कर उनका भरण–पोषण किया जा रहा है।

7. निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण–पोषण से सम्बन्धित योजनाओं/कार्यकमों की जनपदवार अद्यतन रिपोर्ट संलग्न है। उपर्युक्त शासनादेश एवं दिशा–निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने की आवश्यकता हैः–

(1) जिलाधिकारी स्तर से प्रत्येक गो आश्रय स्थल की वित्तीय व्यवस्था, उपलब्ध पशु आहार, अवसंरचना के रखरखाव व विस्तारीकरण आदि के माइको मैनेजमेंट (Micro Management) का सघन पर्यवेक्षण किया जाये।

(2) कतिपय जनपदों में गो आश्रय स्थलों पर एस0एफ0सी0 (SFC) फण्ड पूलिंग की धनराशि कम है और कुछ जनपदों में उक्त धनराशि का उपभोग भी प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः संलग्न रिपोर्ट का अध्ययन कर गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के मध्य आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु एस0एफ0सी0 (SFC) फण्ड पूलिंग में तेजी लायी जाये एवं उक्त फण्ड का

7. निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण से सम्बन्धित योजनाओं / कार्यक्रमों की जनपदवार अद्यतन रिपोर्ट संलग्न है। उपर्युक्त शासनादेश एवं दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर किये जाने की आवश्यकता है:

(1) जिलाधिकारी स्तर से प्रत्येक गो आश्रय स्थल की वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध पशु आहार,अवसंरचना के रखरखाव व विस्तारीकरण आदि के माइको मैनेजमेंट (Micro Management)का सघन पर्यवेक्षण किया जाये।

(2) कतिपय जनपदों में गो आश्रय स्थलों पर एस०एफ०सी० (SFC) फण्ड पूलिंग की धनराशि कम है और कुछ जनपदों में उक्त धनराशि का उपभोग भी प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः संलग्न रिपोर्ट का अध्ययन कर गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित पोषण के मध्य आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु एस०एफ०सी० (SFC) फण्ड पूलिंग में तेजी लायी जाये एवं उक्त फण्ड का समुचित समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जाय। इस निमित्त खण्ड विकास अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाये।

(3) आवश्यकतानुसार कैटल कैचर / मल्टीपरपज वेहिकल एवं इसके परिवहन हेतु ट्रैक्टर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों पर बेहतर ढंग से पुनर्वासित किया जा सके। कुछ जनपदों में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में कैटिल कैचर नहीं लिये गये हैं तथा अनेक स्थानों पर ट्राली हैं परन्तु ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है। इसे सुनिश्चित किया जाये ।

(4) निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु यथावश्यकता अस्थायी गो आश्रय स्थलों का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाय और क्रियाशील आश्रय स्थलों में गहन समीक्षा कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शेड आदि की युद्ध स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ।

(5) स्वीकृत किये गये गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण कराकर निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जाये।

(6) मा० मुख्यमंत्री निराश्रित / बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत सुपुर्दगारों का सत्यापन विभिन्न विभागों के राजपत्रित अधिकारियों की टीम लगाकर की जाये। यह बेसलाइन सर्वे (Baseline Survey) अत्यावश्यक है।

(7) स्थानीय ग्रामीणों को ही समुचित मानदेय पर आश्रय स्थलों में कार्य पर रखा जाए तथा ब्लाक स्तरीय सफाई कर्मियों को इस निमित न लगाया जाए। (8) डी०बी०टी० (DBT) व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु आधार सीडिंग, डाटालाकिंग एवं कर्मियों का प्रशिक्षण तेजी से कराया जाए।

8. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शत-प्रतिशत निराश्रित गोवश को गो संरक्षण केन्द्रों/ गो आश्रय स्थलों में संरक्षित किये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोक्त ।</u>

भवदीय,

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 27.07.2023 14:04:42
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

सं०-6 2150

File No.37-2010(001)/1/2021- -2-

गो–सेवा / प्राथमिकता

संख्या–822 / सैंतीस–2–2022–5(53) / 2018टीसी–1

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ: दिनांक 01 मई, 2022

विषय.–निराश्रित गोवंश के अध्यावधिक आंकलन एवं 31 दिसम्बर, 2022 तक शत–प्रतिशत संरक्षित किए जाने के संबन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश में लगभग 12 लाख निराश्रित गोवंश है, जिनमें 8.50 लाख गोवंश का संरक्षण गो–आश्रय स्थलों में किया जा चुका है। शासनादेश दिनॉक 02 जनवरी, 2019 द्वारा विद्यमान व्यवस्था अनुसार 6,195 अस्थायी गो–आश्रय स्थलों की स्थापना कर निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण का कार्य किया जा रहा है।

2– गोवंश संरक्षण की कार्य योजना के अनुसार 100 दिन में 50 हजार, 06 माह में 01 लाख, माह दिसम्बर 2022 तक समस्त निराश्रित गोवंश को संरक्षित किये जाने का लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु समुचित संख्या में अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना किया जाना आवश्यक है।

3– इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(1) 20वीं पशुगणना वर्ष 2019 के निराश्रित गोवंश के संबंध में आंकडे संलग्नक प्रारूप–1 में रक्षित हैं। इस प्रारूप में जनपद में कुल निराश्रित गोवंश तथा गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश की संख्या तथा अवशेष निराश्रित गोवंश की संख्या का विवरण तैयार किया गया है। सम्प्रति यह संख्या कुछ अधिक हो सकती है। इसका जनपदवार आंकलन (revised estimate) 15 दिवस के अन्दर समुचित कार्य योजना बनाकर सुनिश्चित कर लिया जाय।

(2) अवशेष निराश्रित गोवंश का शत–प्रतिशत संरक्षण 31 दिसम्बर 2022 तक किया जाना है। इस हेतु यह अपरिहार्य है कि अस्थायी गो आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु स्थल चयन कर अस्थायी निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करा दिया जाए तथा 30 नवम्बर, 2022 तक निर्माण पूर्ण करा लिया जाय। यह कार्य मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण (convergence) से कराया जा सकता है। साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि प्रश्नगत स्थल land एवं location के अनुसार समुपयुक्त हो। प्रत्येक चिन्हित स्थल के अन्तर्गत एक कैचमेन्ट ऐरिया का निर्धारण किया जाए, जिनमें ग्राम पंचायतें स्पष्ट रहें। यह कैचमेन्ट एरिया स्थानीय निराश्रित गोवंश की सख्या के अनुरूप निर्धारित की जाए यथा 5 से 10 ग्राम पंचायतें, जिससे कि इस कैचमेन्ट एरिया में यदि निराश्रित गोवंश मिलता है तो उसे संबंधित आश्रय स्थल पर संरक्षित किया जा सके। अवशेष

निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु निर्मित किये जाने वाले अस्थायी आश्रय स्थलों के संबंध में सूचना संलग्न प्रारूप–2 पर उपलब्ध करायी जाए।

(3) वर्तमान में संचालित गो आश्रय स्थलों में संरक्षण की समुचित व्यवस्था (sustainable management) सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। यदि कोई अवसंरचना विकास किया जाना है तो उसे भी करा लिया जाय तथा प्रत्येक संचालित गो आश्रय स्थल पर समस्त सुविधाओं का निरीक्षण/सर्वेक्षण सुनिश्चित करा लिया जाय और आवश्यकतानुसार यदि कोई अन्य व्यवस्थायें वांछित हो तो उसे भी करा लिया जाय। साथ ही साथ भरण–पोषण हेतु भूसा चारा की उपलब्धता वर्षपर्यन्त सुनिश्चित करे। इन गो आश्रय स्थलों हेतु ग्राम सभा में चारागाह की भूमि से linkage करते हुए चारागाहो मे चारा यथा नैपियर घास आदि बहुवर्षीय फसलें लगाये जाने की व्यवस्था किया जाना उपयुक्त होगा। जनपद स्तर पर गो–आश्रय स्थलों हेतु नोडल अधिकारी बनाए गये होंगे, कृपया इनकी सूची परिमार्जित करते हुए इनके माध्यम से विस्तृत स्थलीय निरीक्षण संलग्न प्रारूप–3 के अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(4) प्रदेश में निराश्रित गोवंश संरक्षण के साथ–साथ इच्छुक व्यक्तियों/पशुपालकों को गो–आश्रय स्थल से अधिकतम 4 गोवंश सुपुर्दगी में दिए जाने की व्यवस्था है। उक्त के साथ ही साथ सुपुर्दगी में लिए गोवंश से संबन्धित लाभार्थियों को भरण–पोषण हेतु प्रति गोवंश रू0 900/– प्रति माह दिया जा रहा है। इस संबन्ध में जनपद स्तरीय बैठक एवं क्षेत्र में स्थानीय सत्यापन कर वास्तविक स्थिति तथा लाभार्थियों की राय प्राप्त किया जाना है। उक्त से संबन्धित लाभार्थीवार विवरण तैयार कराने हेतु प्रारूप–4 संलग्न है।

कृपया उपरोक्त आदेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए, प्रारूप 2, 3 व 4 पर सूचना दिनांक 15 जून 2022 तक इमेल jdgoshala.up@gmail.com पर प्रत्येक दशा में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 31-05-2022 16:54:20
Reason: Approved

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव

संख्या–822/सैंतीस–2–2022 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

# संलग्नक - 1

गोवंश आश्रय स्थलोंपर संरक्षित गोवंश का विवरण स्थिति

| क्रम संख्या | जनपद | लक्ष्य | ग्रामीण / शहरी | अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल | | कान्हा गोशाला | | कांजी हाउस | | वृहद गो संरक्षण केन्द्र | | कुल गोआश्रय स्थलों की संख्या | सुपुर्दगी में दिये गये कुल गोवंश की संख्या | कुल संरक्षित पशु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | संख्या | संरक्षित पशु | संख्या | संरक्षित पशु | संख्या | संरक्षित पशु | संख्या | संरक्षित पशु | | | |
| 1 | वाराणसी | 12449 | ग्रामीण | 111 | 6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 429 | 113 | 1271 | 7237 |
| | | | शहरी | 4 | 1579 | 2 | 979 | 2 | 147 | 0 | 0 | 8 | 25 | 2705 |
| 2 | जौनपुर | 23008 | ग्रामीण | 101 | 10314 | 0 | 0 | 1 | 93 | 2 | 650 | 104 | 1920 | 11057 |
| | | | शहरी | 1 | 561 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 91 | 648 |
| 3 | गाजीपुर | 16150 | ग्रामीण | 47 | 1847 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 1242 | 50 | 637 | 3109 |
| | | | शहरी | 7 | 729 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 211 | 729 |
| 4 | चंदौली | 5577 | ग्रामीण | 12 | 1512 | 0 | 0 | 3 | 287 | 2 | 459 | 17 | 777 | 2258 |
| | | | शहरी | 5 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 261 | 804 |
| 5 | शामली | 2586 | ग्रामीण | 16 | 2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 271 | 17 | 1303 | 3032 |
| | | | शहरी | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 | 3 | 55 | 605 |
| 6 | सहारनपुर | 2915 | ग्रामीण | 12 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 742 | 14 | 909 | 4291 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 445 |
| 7 | मुजफ्फरनगर | 3207 | ग्रामीण | 21 | 3104 | 0 | 0 | 3 | 157 | 2 | 656 | 26 | 1058 | 3917 |
| | | | शहरी | 4 | 394 | 6 | 946 | 1 | 46 | 0 | 0 | 11 | 345 | 1386 |
| 8 | संभल | 5331 | ग्रामीण | 33 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 997 | 35 | 719 | 5342 |
| | | | शहरी | 6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 | [illegible] |
| 9 | रामपुर | 26 | ग्रामीण | 7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 524 | 8 | 45 | 569 |
| | | | शहरी | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | 2 | 0 | 216 |
| 10 | मुरादाबाद | 733 | ग्रामीण | 8 | 274 | 0 | 0 | 4 | 59 | 2 | 594 | 14 | 152 | 927 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 2 | 660 | 2 | 69 | 0 | 0 | 4 | 116 | 729 |
| 11 | अमरोहा | 1697 | ग्रामीण | 12 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 472 | 14 | 304 | 1244 |
| | | | शहरी | 6 | 118 | 2 | 534 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 167 | 658 |
| 12 | बिजनौर | 361 | ग्रामीण | 11 | 734 | 0 | 0 | 15 | 104 | 3 | 1085 | 29 | 452 | 1923 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 12 | 139 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 226 | 1402 |
| 13 | सोनभद्र | 4861 | ग्रामीण | 12 | 804 | 1 | 229 | 0 | 0 | 2 | 696 | 15 | 438 | 1729 |
| | | | शहरी | 4 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 608 |
| 14 | संत | 12536 | ग्रामीण | 62 | 4348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 764 | 64 | 1146 | 5112 |
| | | | शहरी | 1 | 173 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 264 |
| 15 | मिर्जापुर | 3897 | ग्रामीण | 17 | 3012 | 0 | 0 | 1 | 62 | 3 | 1216 | 21 | 577 | 4290 |
| | | | शहरी | 3 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 131 | 475 |
| 16 | हापुड़ | 3549 | ग्रामीण | 35 | 1613 | 0 | 0 | 2 | 73 | 2 | 914 | 39 | 466 | 2600 |
| | | | शहरी | 3 | 417 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | 726 |
| 17 | मेरठ | 4913 | ग्रामीण | 11 | 2827 | 0 | 0 | 4 | 76 | 2 | 674 | 17 | 1052 | 3577 |
| | | | शहरी | 2 | 495 | 3 | 112 | 2 | 25 | 0 | 0 | 7 | 60 | 1644 |
| 18 | गाजियाबाद | 4543 | ग्रामीण | 12 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 612 | 14 | 400 | 2138 |
| | | | शहरी | 8 | 2341 | 1 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 211 | 2623 |
| 19 | गौतम बुद्ध | 3340 | ग्रामीण | 10 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 661 | 12 | 641 | 2255 |
| | | | शहरी | 13 | 4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 815 | 4482 |
| 20 | बुलन्दशहर | 16634 | ग्रामीण | 136 | 12050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1328 | 142 | 2583 | 13378 |
| | | | शहरी | 14 | 2899 | 3 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 686 | 3215 |
| 21 | बागपत | 3754 | ग्रामीण | 18 | 2189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 909 | 20 | 530 | 3098 |
| | | | शहरी | 7 | 890 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 197 | 1049 |
| 22 | उन्नाव | 42578 | ग्रामीण | 174 | 14256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 938 | 178 | 2357 | 15194 |
| | | | शहरी | 12 | 611 | 9 | 215 | 2 | 32 | 0 | 0 | 23 | 59 | 2801 |

# संलग्नक - 1

## गोवंश आश्रय स्थलोंपर संरक्षित गोवंश का विवरण स्थिति

| क्रम संख्या | जनपद | लक्ष्य | ग्रामीण / शहरी | अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल | | कान्हा गोशाला | | कांजी हाउस | | वृ0गो0सं0के0/ग0सं0के0/गो0व0वि0 | | कुल गोआश्रय स्थलों की संख्या | सुपुर्दगी में दिये गये कुल गोवंश की संख्या | कुल संरक्षित पशु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | संख्या | संरक्षित पशु | संख्या | संरक्षित पशु | संख्या | संरक्षित पशु | संख्या | संरक्षित पशु | | | |
| 23 | सीतापुर | 17057 | ग्रामीण | 79 | 10041 | 0 | 0 | 14 | 138 | 3 | 971 | 96 | 3401 | 11150 |
| | | | शहरी | 1 | 165 | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 1344 |
| 24 | रायबरेली | 15513 | ग्रामीण | 48 | 5535 | 0 | 0 | 18 | 6086 | 4 | 2263 | 70 | 1150 | 13884 |
| | | | शहरी | 1 | 16 | 5 | 110 | 1 | 31 | 0 | 0 | 7 | 201 | 1150 |
| 25 | लखनऊ | 23003 | ग्रामीण | 101 | 17270 | 0 | 0 | 3 | 45 | 2 | 335 | 106 | 4785 | 17650 |
| | | | शहरी | 8 | 806 | 3 | 107 | 7 | 8 | 0 | 0 | 18 | 159 | 11566 |
| 26 | लखीमपुर खीरी | 41939 | ग्रामीण | 37 | 12333 | 0 | 0 | 14 | 562 | 3 | 1557 | 54 | 5191 | 14452 |
| | | | शहरी | 6 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 112 | 1062 |
| 27 | हरदोई | 48173 | ग्रामीण | 117 | 19866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1294 | 122 | 3673 | 21160 |
| | | | शहरी | 10 | 361 | 3 | 570 | 5 | 22 | 0 | 0 | 18 | 77 | 953 |
| 28 | कानपुर नगर | 26775 | ग्रामीण | 87 | 7690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1140 | 90 | 982 | 8830 |
| | | | शहरी | 5 | 2735 | 1 | 412 | 1 | 326 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7183 |
| 29 | कानपुर देहात | 14077 | ग्रामीण | 346 | 6917 | 0 | 0 | 3 | 98 | 1 | 259 | 350 | 871 | 7274 |
| | | | शहरी | 3 | 33 | 6 | 150 | 1 | 12 | 1 | 208 | 11 | 101 | 1761 |
| 30 | कन्नौज | 5642 | ग्रामीण | 42 | 3098 | 0 | 0 | 3 | 41 | 2 | 340 | 47 | 1463 | 3479 |
| | | | शहरी | 6 | 251 | 2 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 63 | 920 |
| 31 | फर्रुखाबाद | 9844 | ग्रामीण | 21 | 6684 | 0 | 0 | 2 | 120 | 3 | 601 | 26 | 1794 | 7405 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1447 |
| 32 | इटावा | 10841 | ग्रामीण | 91 | 8745 | 0 | 0 | 7 | 44 | 2 | 720 | 100 | 1117 | 9509 |
| | | | शहरी | 4 | 460 | 2 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 876 |
| 33 | औरैया | 11525 | ग्रामीण | 32 | 5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 755 | 34 | 1541 | 6514 |
| | | | शहरी | 10 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 119 | 834 |
| 34 | ललितपुर | 43498 | ग्रामीण | 6 | 6625 | 0 | 0 | 22 | 210 | 7 | 2691 | 35 | 7509 | 33753 |
| | | | शहरी | 1 | 278 | 2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1392 |
| 35 | जालौन | 20872 | ग्रामीण | 364 | 37638 | 0 | 0 | 18 | 269 | 7 | 1435 | 389 | 3220 | 39342 |
| | | | शहरी | 6 | 518 | 7 | 202 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 80 | 2544 |
| 36 | झाँसी | 37431 | ग्रामीण | 223 | 30352 | 0 | 0 | 21 | 121 | 7 | 2159 | 251 | 3495 | 32632 |
| | | | शहरी | 15 | 2857 | 4 | 933 | 6 | 202 | 0 | 0 | 25 | 54 | 3992 |
| 37 | महाराजगंज | 1479 | ग्रामीण | 15 | 4257 | 0 | 0 | 12 | 247 | 2 | 143 | 29 | 320 | 4647 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 43 |
| 38 | कुशीनगर | 672 | ग्रामीण | 15 | 343 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 638 | 21 | 375 | 987 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 7 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 142 |
| 39 | देवरिया | 8393 | ग्रामीण | 16 | 951 | 2 | 379 | 8 | 224 | 1 | 437 | 27 | 466 | 1991 |
| | | | शहरी | 3 | 44 | 2 | 317 | 1 | 72 | 1 | 115 | 7 | 62 | 548 |
| 40 | गोरखपुर | 10186 | ग्रामीण | 20 | 448 | 0 | 0 | 24 | 884 | 2 | 1830 | 46 | 323 | 3162 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 3 | 175 | 1 | 96 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1850 |
| 41 | अमेठी | 8569 | ग्रामीण | 78 | 7583 | 1 | 248 | 3 | 109 | 2 | 748 | 84 | 1605 | 8688 |
| | | | शहरी | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| 42 | सुल्तानपुर | 4026 | ग्रामीण | 14 | 4085 | 1 | 50 | 7 | 312 | 3 | 930 | 25 | 1423 | 5377 |
| | | | शहरी | 3 | 309 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 104 | 369 |
| 43 | बाराबंकी | 10097 | ग्रामीण | 35 | 12099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 918 | 37 | 2768 | 13017 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 2 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 495 |
| 44 | अम्बेडकर नगर | 6353 | ग्रामीण | 14 | 4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 982 | 16 | 1506 | 5335 |
| | | | शहरी | 3 | 208 | 1 | 50 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 | 34 | 305 |

# संलग्नक - 1

गोवंश आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश का विवरण स्थिति

| क्रम संख्या | जनपद | लक्ष्य | ग्रामीण / शहरी | अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल | | कान्हा गोशाला | | कांजी हाउस | | वृहद गो संरक्षण केन्द्र | | कुल गोआश्रय स्थलों की संख्या | सुपुर्दगी में दिये गये कुल गोवंश की संख्या | कुल संरक्षित पशु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | संख्या | संरक्षित पशु | संख्या | संरक्षित पशु | संख्या | संरक्षित पशु | संख्या | संरक्षित पशु | | | |
| 45 | अयोध्या | 5629 | ग्रामीण | 25 | 4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 550 | 27 | 1552 | 5519 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 4 | 234 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 302 | 2358 |
| 46 | श्रावस्ती | 21500 | ग्रामीण | 35 | 6607 | 0 | 0 | 6 | 61 | 2 | 1164 | 43 | 623 | 7832 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 |
| 47 | बलरामपुर | 9248 | ग्रामीण | 48 | 4925 | 0 | 0 | 15 | 366 | 2 | 590 | 65 | 955 | 5881 |
| | | | शहरी | 4 | 211 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 281 |
| 48 | बहराइच | 18988 | ग्रामीण | 52 | 10251 | 0 | 0 | 18 | 540 | 4 | 1401 | 74 | 1704 | 12192 |
| | | | शहरी | 2 | 311 | 2 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 | 529 |
| 49 | गोंडा | 52615 | ग्रामीण | 61 | 7840 | 0 | 0 | 8 | 157 | 3 | 1000 | 72 | 1174 | 8997 |
| | | | शहरी | 1 | 20 | 1 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 139 |
| 50 | हमीरपुर | 37834 | ग्रामीण | 314 | 34897 | 0 | 0 | 5 | 271 | 2 | 753 | 321 | 3832 | 35921 |
| | | | शहरी | 5 | 2253 | 4 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 259 | 2543 |
| 51 | महोबा | 61765 | ग्रामीण | 195 | 25304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2731 | 204 | 3363 | 28035 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 336 | 2682 |
| 52 | बाँदा | 47658 | ग्रामीण | 287 | 46905 | 0 | 0 | 3 | 60 | 8 | 2826 | 293 | 4177 | 49791 |
| | | | शहरी | 5 | 513 | 3 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1320 |
| 53 | चित्रकूट | 68813 | ग्रामीण | 299 | 36640 | 0 | 0 | 2 | 28 | 10 | 3090 | 311 | 4160 | 39758 |
| | | | शहरी | 4 | 693 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6 | 55 | 718 |
| 54 | सिद्धार्थ — | 14230 | ग्रामीण | 77 | 7877 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 802 | 92 | 2239 | 8690 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 6 | 722 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 724 |
| 55 | संत कबीर ---- | 2926 | ग्रामीण | 63 | 2636 | 0 | 0 | 3 | 61 | 3 | 230 | 69 | 479 | 2927 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 134 |
| 56 | बस्ती | 25529 | ग्रामीण | 56 | 1595 | 0 | 0 | 11 | 43 | 2 | 337 | 69 | 1121 | 1975 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 2 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 362 |
| 57 | शाहजहांपु - | 12669 | ग्रामीण | 36 | 4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1359 | 40 | 3467 | 5786 |
| | | | शहरी | 9 | 2506 | 2 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1353 | 3187 |
| 58 | पीलीभीत | 14348 | ग्रामीण | 29 | 3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 594 | 31 | 1494 | 4251 |
| | | | शहरी | 3 | 2050 | 2 | 821 | 1 | 206 | 0 | 0 | 6 | 625 | 3077 |
| 59 | बदायू | 29760 | ग्रामीण | 120 | 17701 | 0 | 0 | 3 | 29 | 2 | 547 | 125 | 3706 | 18277 |
| | | | शहरी | 8 | 790 | 2 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 226 | 1106 |
| 60 | बरेली | 6972 | ग्रामीण | 38 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1376 | 42 | 1165 | 2334 |
| | | | शहरी | 4 | 304 | 7 | 206 | 5 | 63 | 0 | 0 | 16 | 328 | 2434 |
| 61 | प्रतापगढ़ | 25483 | ग्रामीण | 49 | 9900 | 0 | 0 | 8 | 348 | 2 | 455 | 59 | 1585 | 10703 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 4 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 642 |
| 62 | कौशाम्बी | 13817 | ग्रामीण | 58 | 6726 | 0 | 0 | 2 | 52 | 3 | 1509 | 63 | 268 | 8287 |
| | | | शहरी | 8 | 1150 | 2 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1933 |
| 63 | फतेहपुर | 19931 | ग्रामीण | 43 | 12274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 685 | 46 | 995 | 12959 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 1 | 538 | 18 | 151 | 0 | 0 | 19 | 0 | 689 |
| 64 | प्रयागराज | 29045 | ग्रामीण | 163 | 14693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1005 | 166 | 3083 | 15698 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 1 | 220 | 12 | 315 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2521 |
| 65 | कासगंज | 3716 | ग्रामीण | 5 | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 939 | 7 | 534 | 2697 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 392 | 1333 |
| 66 | हाथरस | 12230 | ग्रामीण | 26 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 708 | 28 | 1318 | 10208 |
| | | | शहरी | 3 | 648 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 827 |

# संलग्नक - 1

| गोवंश आश्रय स्थलोपर संरक्षित गोवंश का वितरण स्थिति | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | जनपद | लक्ष्य | ग्रामीण / शहरी | अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल | | कान्हा गोशाला | | कांजी हाउस | | वृ०गो०सं०के०/गो०सं०के०/गो०व०वि० | | कुल गोआश्रय स्थलों की संख्या | सुपुर्दगी मे दिये गये कुल गोवंश की संख्या | कुल संरक्षित पशु |
| | | | | संख्या | संरक्षित पशु | संख्या | संरक्षित पशु | संख्या | संरक्षित पशु | संख्या | संरक्षित पशु | | | |
| 67 | एटा | 2568 | ग्रामीण | 13 | 2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 592 | 15 | 834 | 3097 |
| | | | शहरी | 0 | 0 | 3 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 212 | 571 |
| 68 | अलीगढ़ | 28559 | ग्रामीण | 161 | 25175 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1221 | 164 | 2772 | 26408 |
| | | | शहरी | 13 | 753 | 1 | 312 | 2 | 43 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1108 |
| 69 | मऊ | 7789 | ग्रामीण | 16 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 720 | 18 | 329 | 3315 |
| | | | शहरी | 8 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 323 |
| 70 | देवरिया | 7836 | ग्रामीण | 19 | 2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 339 | 21 | 274 | 2712 |
| | | | शहरी | 9 | 631 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 697 |
| 71 | आजमगढ़ | 4924 | ग्रामीण | 28 | 4336 | 1 | 85 | 1 | 31 | 2 | 739 | 32 | 2130 | 5191 |
| | | | शहरी | 11 | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 73 | 582 |
| 72 | मथुरा | 18556 | ग्रामीण | 24 | 8920 | 0 | 0 | 2 | 340 | 2 | 538 | 28 | 1264 | 9798 |
| | | | शहरी | 4 | 211 | 7 | 230 | 1 | 324 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2838 |
| 73 | मैनपुरी | 5694 | ग्रामीण | 6 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 891 | 9 | 112 | 1936 |
| | | | शहरी | 3 | 323 | 6 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 813 | 2136 |
| 74 | फिरोजाबाद | 6336 | ग्रामीण | 32 | 3866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 674 | 34 | 644 | 4540 |
| | | | शहरी | 7 | 642 | 1 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 959 |
| 75 | आगरा | 16916 | ग्रामीण | 11 | 2227 | 0 | 0 | 3 | 94 | 2 | 1229 | 16 | 1600 | 3550 |
| | | | शहरी | 8 | 3282 | 1 | 124 | 1 | 63 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4593 |
| महायोग | | 1184494 | ग्रामीण + शहरी | 5376 | 665751 | 198 | 63178 | 405 | 15300 | 217 | 96694 | 6196 | 132301 | 840923 |

2156

## संलग्नक-2

1. जनपद का नाम :
2. जनपद में निराश्रित गोवंश की संख्या जो खेतों / सड़कों पर विचरण कर रहे हैं :
3. कुल अतिरिक्त गो-आश्रय स्थल की आवश्यकता :
4. चयनित स्थल संख्या एवं विकास खण्डवार मैपिंग एवं suitability of land and location :
5. नवीन गो-आश्रय स्थल की स्थापना से सम्बंधित प्रारूप

| क्र.स. | गोआश्रय स्थल का नाम /ग्राम/ विकास खण्ड/ नगर निकाय | ग्रामीण / शहरी | अक्षांश / देशांतर (latlong) | विकास खण्ड | प्रधान / ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी, ई0ओ0 नगर निगम का नाम एवं संपर्क सूत्र | गोवंश धारण क्षमता | क्षेत्रफल एकड़ में | विन्हित स्थल से आच्छादित (catchment area) / की ग्राम पंचायतों की संख्या जिनमें गोवंश संरक्षित किये जायेगे - ग्राम पंचायतों का नाम एव संभावित गोवंश संख्या लिखे | चारागाह linkage भूमि - गाटा संख्या एवं क्षेत्रफल (एकड में) | अवस्थापना प्रस्तावित निर्माण की कार्ययोजना | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | प्रस्तावित भौतिक अवस्थापना | वित्तीय उपाश्रय (लाख रुपये) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | |

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी

मुख्य विकास अधिकारी

File No.37-2010(001)/1/2021- -2-

## संलग्नक-3

| प्रचलित गोवंश आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश की स्थिति– दिनांक........................ |
|---|
| जनपद : |

| क्र.स. | गोआश्रय स्थल का नाम ग्राम/ विकास खण्ड अथवा नगर निकाय | श्रेणी अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल/ वृहद् गोसंरक्षण केन्द्र/ गोवंश विहार/ कान्हा उपवन/ कांजी हाउस | अक्षांश / देशांतर (latlong) | प्रधान / ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्राम विकास अधिकारी का नाम एवं संपर्क सूत्र (मोबाइल न0) | गोवंश आश्रय स्थल समस्त श्रेणी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | संख्या | संरक्षित पशु |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| अवस्थापना विकास | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| शेड संख्या एवं पशु क्षमता | पर्याप्त क्षमता को खाने की चरही उपलब्ध है? | पानी का स्त्रोत – क्या है? क्या पर्याप्त है ? | पीने हेतु आवश्यक नाद की उपलब्धता | भूसा गोदाम क्षमता कुंतल में | स्टोर रूम | गोआश्रय स्थल की सुरक्षा हेतु खाई / फेंसिंग/ वायो फेंसिंग/ बाउन्ड्रीवारी की स्थिति | प्रकाश की व्यवस्था | खड़जे की व्यवस्था | केयरटेकर/ चौकीदार संख्या | केयरटेकर/ चौकीदार को भुगतान किस माह तक एवं प्रतिमाह धनराशि |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| हरा चारा | | | | वृक्षारोपण – वृक्ष संख्या | वर्मी कम्पोस्ट पिट की उपलब्धता | ईयर टैगिंग की स्थिति | बधियाकरण की स्थिति | कृत्रिम गर्भाधान की स्थिति | टीकाकरण की स्थिति | निरन्तर पशु स्वास्थ्य परीक्षण की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| हरे चारे की व्यवस्था / क्षेत्रफल | चारा काटने की मशीन | आश्रय स्थल से लिंक्ड चारागाह | क्षेत्रफल एकड़ में | | | | | | | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी

मुख्य विकास अधिकारी

## संलग्नक-4

मा0 मुख्यमंत्री जी निराश्रित गोवंश सहभागिता योजनान्तर्गत जनपदवार सूचना

जनपद का नाम–

| क्र0सं0 | लाभार्थी का नाम | पिता/पति का नाम | मो0न0 | ग्राम | विकास खण्ड | बैंक का नाम/ब्रांच | खाता सं0 | आई0एफ0एस0सी0 कोड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| गोवंश की संख्या | सुपुर्दगी का दिनांक | विगत किश्त के भुगतान का दिनांक | विगत किश्त की भुगतान धनराशि (रू0में) | क्रमिक/कुल भुगतान धनराशि (रू0 में) | पोषण मिशन के अन्तर्गत होने की दशा मे (✔) करें। |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

सं० 6 B

महत्वपूर्ण / गोसंरक्षण

संख्या–2562 / सैंतीस–2–2023–5(53)18टी0सी0–5

प्रेषक,

**दुर्गा शंकर मिश्र,**
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक,
   प्रशासन एंव विकास,
   पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक,
   स्थानीय निकाय, नगर विकास विभाग,
   उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 31 अक्टूबर, 2023

**विषय:प्रदेश में दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक विशेष अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश के शत–प्रतिशत संरक्षण के संबंध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण पोषण हेतु सरकार का दृढ़ संकल्प है। इस हेतु एक वृहद नीति का प्रख्यापन करते हुए समय–समय पर उच्चस्तरीय निर्णय के कम में विस्तृत दिशा–निर्देश पशुधन विभाग द्वारा निर्गत किये गये है। अद्यतन प्रदेश में 12 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश को विभिन्न आश्रय स्थलों / केन्द्रों में संरक्षित किया जा चुका है, किन्तु अनुमान है कि अभी भी लगभग 2.00 लाख निराश्रित गोवंश संरक्षित किये जाने हेतु शेष है। संरक्षण हेतु अनुमानित अवशेष निराश्रित गोवंश का जनपदवार विवरण संलग्न है। (संलग्नक–1)

2. शासन स्तर पर विचार–विमर्श के उपरान्त प्रदेश व्यापी गो संरक्षण अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके कम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:

(1) दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक 60 दिवस का **विशेष अभियान** प्रत्येक जनपद में चलाया जाये, जिसमें पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग एवं पशुधन विभाग के अधिकारी सम्मिलित होगें। उक्त **06 विभागों की टीम** द्वारा

निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों/केन्द्रों में संरक्षित किया जायेगा। यथावश्यकता पुलिस का भी सहयोग लिया जाये।

(2) प्रत्येक जनपद में विकास खण्डवार/तहसीलवार उपर्युक्त विभागों की **टीमें/दस्ते बनाकर** शत–प्रतिशत निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों में संरक्षित किया जाये। नगरीय क्षेत्र में प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय) तथा जिन जिलों में नगर आयुक्त तैनात है, वहॉ उनके स्तर पर अभियान को नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे।

(3) पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1854/33–2–2022–5913/2019, दिनांक 03.08.2022 द्वारा निराश्रित गोवंश/दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के परिवहन हेतु **कैटल कैचर**/मल्टी परपज वेहीकल क्रय किये जाने अथवा किराये पर लिये जाने के निर्देश दिये गये है। इसी क्रम में उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–103/सैंतीस–2–2023–5(53)/ 18–टी0सी0 –4, दिनांक 18.01.2023 द्वारा प्रत्येक तहसील हेतु न्यूनतम 01 कैटल कैचर दिनांक 31.01.2023 तक क्रय किये जाने के निर्देश दिये गये थे। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक तहसील पर या तो कैटल कैचर उपलब्ध नहीं हैं, अथवा कैटिल कैचर का तो क्रय किया गया है, परन्तु ट्रैक्टर नहीं खरीदा गया है, जिस कारण ये क्रियाशील नहीं है। जिलाधिकारी द्वारा इसकी विस्तृत समीक्षा तत्काल करते हुए उक्त निर्देशों के क्रम में कैटल कैचर को क्रियाशील किया जाय व ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान को गति दी जाये।

(4) उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–05/सैंतीस–2–2023–5(53)/18–टी0सी0–2, दिनांक 04.01.2023 एवं संख्या–1706/सैंतीस–2–2023–5(53)/2018, दिनांक 27.07.2023 द्वारा पुनरीक्षित लक्ष्य के सापेक्ष नये **अस्थायी गो आश्रय स्थलों का निर्माण** कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः संलग्न सूची में जनपदवार आंकलित निराश्रित गोवंश की संख्या के आधार पर **अस्थायी गो आश्रय स्थलों की क्षमता का विस्तार** इस प्रकार किया जाये कि स्थल में संरक्षण की कार्यवाही में कोई अवरोध न हो। यथावश्यकता नये गो आश्रय स्थलों का निर्माण कराकर भी उनमें निराश्रित गोवंश को संरक्षित किया जाये।

(5) अभियान की अवधि में शासन स्तर से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी जिलों मे दौरा किया जायेगा तथा वस्तुस्थिति का आकंलन किया जायेगा। उन अधिकारियों के भ्रमण को जिलाधिकारियों द्वारा फैसिलिटेट किया जाये।

संख्या– 65 / सैंतीस–2–2024

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, लखनऊ।

3. नगर आयुक्त,
लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज,
वाराणसी, कानपुर नगर।

पशुधन अनुभाग–2, लखनऊ :: दिनांक 12 जनवरी, 2024

विषय–पर्वो के दृष्टिगत निराश्रित गोवंश के संरक्षण के संबंध में

महोदय,

आप अवगत हैं कि दिनांक 22.01.2024 को अयोध्या में श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश एवं विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जनपद–अयोध्या में पहुंच रहे हैं। उक्त के अतिरिक्त मकर संक्रान्ति का पर्व सन्निकट है, जिसमें गंगा, यमुना एवं अन्य पवित्र नदियों में स्नान एवं पूजा--अर्चना हेतु बड़ी संख्या मे श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। दिनांक 26.01.2024 को गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व है। उक्त पवित्र अवसरों पर यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि निराश्रित गोवंश नगरों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो पर, पूजा स्थलों एवं पवित्र नदियों के स्नान घाटों के आस–पास विचरण करते न पाये जायं।

2. उपर्युक्त के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है:–

(1) जनपद–अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, काशी एवं प्रयागराज आदि में निराश्रित गोवंश का शत–प्रतिशत संरक्षण सुनिश्चित कर लिया जाय ताकि कोई गोवंश नगर में विंचरण करता न पाया जाय।

(2) लखनऊ–अयोध्या, प्रयागराज–अयोध्या, गोरखपुर–अयोध्या, काशी–अयोध्या एवं प्रदेश के अन्तर्गत अन्य समस्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर सतत निगरानी रखी जाय ताकि इन मार्गों पर निराश्रित गोवंश विचरण करते न पाये जायं।

(3) मकर संक्रान्ति के अवसर पर पवित्र नदियों के किनारे बसे जनपदों यथा–अयोध्या, वाराणसी प्रयागराज, कानपुर नगर, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रूखाबाद आदि में पूजा अर्चना हेतु बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। अतः इस अवसर पर यह सुनिश्चित किया जाय कि निराश्रित गोवंश पवित्र नदियों एवं पूजा स्थलों के आस–पास विचरण करते न पाये जाय।

संनि0 (पा0रा0का0)
12/01/24
12/01/2024
श्री नेगी
सतीश
12/01/2024

(4) वर्तमान में शीत ऋतु का मौसम है। अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि पूर्व में निर्गत निर्देशानुसार निराश्रित गोवंश खुले में न रहे और उनके ठंड के बचाव हेतु समुचित प्रबन्ध हो।

(5) निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु आवंटित धनराशि के माह अक्टूबर एवं नवम्बर, 2023 का लम्बित का उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 19.01.2024 तक तथा भविष्य में निर्धारित समय सारणी के अनुसार उपलब्ध कराया जाय ताकि भरण–पोषण की धनराशि का समयबद्ध रूप से डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान किया जा सके।

(6) निराश्रित गोवंश का शत–प्रतिशत संरक्षण किया जाय तथा लक्ष्य अनुरूप नवीन अस्थायी गो आश्रय स्थलों का निर्माण एवं क्षमता विस्तार नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों नगर निकायों एवं पंचायतों द्वारा दिनांक 31.01.2024 तक कर लिया जाय।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally Signed by डा0 रजनीश दुबे
Date: 12-01-2024 14:54:18
Reason: Approved

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 65(1)/सैंतीस–2–2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री उ0प्र0 शासन।
2–अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3–स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4–विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन।
5–अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
6–अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7–प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
8–प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9–समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
10–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

(2)

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पशुधन, उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

पत्रांक 387 /गो–आश्रय/2023–24/दिनांक मार्च 14 ,2024

विषयः प्रदेश में दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक विशेष अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश के शत–प्रतिशत संरक्षण के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 2562/सैतीनस–2–2023–5(53)18 दिनांक 31.10.2023 का अवलोकन करने का कृष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक 60 दिवस का विशेष अभियान चलाकर निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों/केन्द्रों में संरक्षित किये जाने का निर्देश दिया गया है। उक्त अभियान के अन्तर्गत शासन द्वारा जनपद–कुशीनगर हेतु 3000 निराश्रित गोवंशीय पशुओं को संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि शासन के निर्देशानुसार विकास खण्डवार/निकायवार संबंधित विभागों की टीमें/दस्ते बनाकर शत–प्रतिशत निराश्रित गोवंश को संरक्षित किये जाने का अभियान दिनांक 01.11.2023 से प्रारंभ है, जिसके अन्तर्गत अद्यतन नगरीय क्षेत्र में 101 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 544 कुल 645 निराश्रित गोवंश संरक्षित किये गये है। उल्लेखनीय है कि विकास खण्ड एवं नगरीय निकायों के माध्यम से जनपद में निराश्रित गोवंशों की वास्तविक संख्या के आंकलन हेतु ग्राम पंचायतवार एवं वार्डवार सर्वे कराया गया (विवरण संलग्न है)। सर्वे में संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थानीय मा0 जनप्रतिनिधिगण से भी वार्ता की गयी तथा स्थानीय स्तर पर सर्वे में उनका भी सहयोग प्राप्त किया गया। जिसके उपरांत खण्ड विकास अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी, नगरीय निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कुल 351 निराश्रित गोवंश चिन्हित किये गये थे। जनपदीय सर्वे में दृष्यमान 351 निराश्रित गोवंशों को दिनांक 01.11.2023 से 31.12.2023 तक के विशेष अभियान में संरक्षित कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सर्वे में चिन्हित निराश्रित गोवंशों को संरक्षित करने के साथ–साथ दूसरे जनपदों के निराश्रित गोवंश, जो अन्तर्राज्यीय सीमा की चेकपोस्ट पर बिहार एवं बंगाल ले जाते समय पकड़े गये, को भी संरक्षित किया गया है। जनपद में गोवंश तस्करी के कुल अभियोग पंजिकृत किये गये है, जिसमें 184 अभियुक्त नामजद है। संबंधित अभियोग में 36 अभियुक्तों के विरुद्व गुण्डा एक्ट, 19 के विरूद्व एच0एस0 एवं 46 के विरुद्व गोवध अधिनियम में गैंगेस्टर एक्ट में कार्यवाही की गयी है। गोवंश की तस्करी रोकने के दृष्टिगत जनपद पुलिस, पशुपालन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की गयी है, जिनके द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र का नियमित गश्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि गोवंश तस्करी के निरोधात्मक कार्यवाही के दौरान जनपद में 01.04.23 से दिनांक 14.03.2024 के मध्य कुल 20 मुठभेड़ हुये है, जिसमें 30 अभियुक्त पुलिस फायरिंग में घायल हुये तथा 14 गिरफ्तार किये गये। इस प्रकार जनपद में गोवंश तस्करी के निरोधात्मक कार्यवाही में कुल 558 गोवंश पकड़े गये है।

यहा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि जनपद में निराश्रित गोवंश से फ़सलों की हानि अथवा किसी प्रकार की समस्या संबंधी शिकायत सामान्यतः बहुत कम आती है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि जनपद में निराश्रित गोवंशों की संख्या अत्यन्त कम है तथा जो भी निराश्रित गोवंश दिखाई देते है, उन्हें रासमय जनपद के ग्रामीण अथवा नगरीय गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित कर दिया जाता है, परिणामस्वरूप जनपद के नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवें अथवा ग्रामीण सड़कों पर निराश्रित गोवंश विचरण करते हुये दिखाई नहीं देते है। जनपद के नेशनल हाईवें, स्टेट हाईवे अथवा ग्रामीण सड़कों पर निराश्रित गोवंश का न दिखना प्रदर्शित करता है कि जनपद में निराश्रित गोवंशों की संख्या निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नहीं है। अतः उक्त के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र संख्या 2687 दिनांक 11.12.2023 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन से निराश्रित गोवंश को संरक्षित किये जाने हेतु जनपद कुशीनगर के लिए आवंटित लक्ष्य 3000 को जनपदीय सर्वे के अनुसार संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है। पुनः कार्यालय पत्र संख्या संख्या 2790 दिनांक 16.01.2024 द्वारा उक्त संदर्भ में महोदय को अवगत कराया गया है।

निराश्रित गोवंशों के संरक्षण एवं भरण–पोषण तथा गोवंश संरक्षण केन्द्रों के सम्यक संचालन के सत्यापन हेतु शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारीगण द्वारा समय–समय पर जनपद का भ्रमण किया गया। इस कम में विशेष सचिव, लो0नि0वि0 द्वारा दिनांक 16.01.2023 से 18.01.2023 एवं 05.04.2023 से 07.04.2023 तक दो बार जनपद में तीन दिवसीय तथा दुग्ध आयुक्त महोदय, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 15.07.2023 एवं दिनांक 09.09.2023 को एक दिवसीय भ्रमण किया गया, भ्रमण के दौरान भी निराश्रित गोवंश सड़कों पर दृष्यमान नहीं हुये, जिसका उल्लेख नोडल अधिकारीगण द्वारा शासन को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में किया गया है। पुनः दिनांक 11.01.2024 से 13.01.2024 तक विशेष सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन, उ0प्र शासन/नोडल अधिकारी द्वारा निराश्रित गोवंशों के संरक्षण के स्थिति में सत्यापन किया गया है, जिसमें यह तथ्य प्रकाश में आया है कि जनपद कुशीनगर के निराश्रित गोवंशों को सम्यक रूप से संरक्षित कर दिया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जनपद में निराश्रित गोवंशों के संरक्षण हेतु शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य वास्तविक संख्या से काफी अधिक है, जिससें लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि का प्रतिशत अत्यन्त कम है।वर्तमान में जनपद में कोई निराश्रित गोवंश सड़को/मार्गो, सार्वजनिक स्थानों अथवा खेतों में दृष्यमान नहीं है। कृपया उपर्युक्त तथ्यों से अवगत होना चाहें।

भवदीय,

11.3.24

(उमेश मिश्रा)
जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

पत्रांक —— /दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर।

जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

महत्वपूर्ण

संख्या 95 प०म०/सैंतीस-2-2024-5(53)/2018टीसी-5

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 25 जुलाई, 2024

विषय- निराश्रित गोवंश के संरक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु सरकार कृत संकल्प है। निराश्रित गोवंश को गो-आश्रय स्थल तक पहुंचाना, बरसात से बचाव हेतु आश्रय स्थलों की समुचित व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में मा0 मंत्री, पशुधन विभाग, उ0प्र0 की अध्यक्षता में दिनाक 10.07.2024 को आयोजित बैठक में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) प्रदेश के समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से गो आश्रय स्थलों के बाहर निराश्रित गोवंशों की संख्या का सही से उल्लेख कर, उनके संरक्षण की कार्यवाही की जाय।

(2) मा० प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप किसानों/पशुपालकों की आय दोगुनी करने की कार्ययोजना बनायी जाए।

(3) पशुओं के बीमा कराये जाने की योजना बनाई जाएं, जिससे पशुओं के मृत्यु की दशा में पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके।

(4) निराश्रित गोवंश को गो आश्रय स्थल तक पहुँचाया जाय तथा ध्यान रखा जाए कि कोई भी गोवंश भूखा न रहे।

(5) गो आश्रय स्थल/केन्द्रों में कच्ची जमीनों पर टीन शैड तथा पेड़ों के नीचे खड़जें लगा कर गोवंशों को बारिश में बैठने के लिए सूखा स्थान उपलब्ध कराया जाय।

(6) जिन गौशालाओं में बारिश व बाढ़ के कारण पानी भर जाता है वहाँ पर संरक्षित गोवंश को अन्यत्र सुरक्षित गो आश्रय स्थलों पर संरक्षित किया जाए तथा उनके लिए भूसे/पानी व बिजली आदि की व्यवस्था कराई जाए।

(7) बरेली एवं लखनऊ मण्डल में चलाये जा रहे विशेष निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान दिनांक 05 जुलाई से 20 जुलाई तक को प्रभावी गति से चलाया जाय।

(8) जुलाई माह में हरे चारे के बोने की व्यवस्था की जाए, जिससे वर्षपर्यन्त गोवंश को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध हो सके।

(9) जिलाधिकारियों के माध्यम से जनपद की गोचर भूमि व ग्राम समाज की भूमि पर हरा चारा उगाने का काम प्राथमिकता पर किया जाय।

(10) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद के कृषि विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर हरा चारा उगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

(11) नेपियर घास व अन्य उन्नत किस्म के चारे को बुआने का काम अभियान की तरह चलाया जाए।

(12) प्रत्येक तीन माह में किये गये कार्य की पूरी जानकारी त्रैमासिक बैठक में उपलब्ध कराई जाए।

(13) पशुओं की शतप्रतिशत टैगिंग कराई जाय तथा डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जाय।

(14) गो आश्रय स्थल/केन्द्रों के निर्माण कार्यों में हो रहे विलम्ब को सुनिश्चित कराते हुये, कार्य को तत्काल पूर्ण कराया जाय।

(15) आश्रय स्थलों पर पर्याप्त मात्रा चारे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाय।

(16) आश्रय स्थलो के निर्माण की प्रगति हेतु लगातार कार्यदायी संस्थाओं के साथ समीक्षा की जाए।

(17) जिन गौशालाओं का कार्य 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत हो गया है, उनका अवशेष कार्य तत्काल पूर्ण कराया जाए।

(18) गोचर एवं अन्य शासकीय भूमि के अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त कराकर, उसमें हरा चारा उगाया जाए तथा लगभग 20 हजार हेक्टेअर भूमि पर हरा चारा उगाने का लक्ष्य बनाया जाए।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by
Ravinder
Date: 24-07-2024 23:08:41
(रविन्द्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या 95 प०सं०(1)/सैंतीस-2-2024 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

महत्वपूर्ण/गो संरक्षण

संख्या-2006/सैंतीस-2-2024-5(2)/2018टीसी

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- निदेशक,
प्रशासन एंव विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र, लखनऊ।

2- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 20 सितम्बर, 2024

विषयः-वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की व्यवस्था एवं अवस्थापना सुविधा के निरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु सरकार कटिबद्ध है। शासनादेश संख्या 4324/37-2-2018-5(53)/2018 दिनांक 02.01.2019 द्वारा नीति का प्रख्यापन तथा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। जनपद की आवश्यकतानुसार निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण कर, संरक्षण एवं भरण-पोषण किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों, समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की स्थिति ठीक नहीं है।

2- अतएव सम्यक विचारोपरान्त, मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त वृहद गो संरक्षण केन्द्रों के निरीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 द्वारा मण्डल के प्रत्येक जनपद के कम से कम 02 वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का निरीक्षण मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से समन्वय कर किया जायेगा।

(2) मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 द्वारा निरीक्षण हेतु चिन्हित किये गये वृहद गो संरक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त, अन्य समस्त वृहद गो संरक्षण केन्द्रों का निरीक्षण, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से किया जायेगा।

(3) वृहद गो संरक्षण केन्द्रों के निरीक्षण के समय यह देखा जाय कि कार्यदायी संस्था द्वारा मानक के अनुरूप तथा लेआउट के अनुसार कार्य किया गया है।

(4) वृहद गो संरक्षण केन्द्रों में जलभराव एवं कीचड़ की स्थिति है, तो कार्यदायी संस्था द्वारा इसका समुचित निवारण क्यों नहीं सुनिश्चित किया गया।

65

(90)

(5) यदि मानक/लेआउट के अनुसार वृहद गो संरक्षण केन्द्र का निर्माण नहीं हुआ है तथा जलभराव, कीचड़ की स्थिति है, तो कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

(6) गोवंशों के भरण-पोषण हेतु आवश्यक चारा-भूसा एवं हरे चारे आदि के संबंध में व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय।

(7) वृहद गो संरक्षण केन्द्रों की निरीक्षण आख्या मय फोटोग्राफ, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को ई-मेल आई0डी0 jdgoshala.up@gmail.com पर दिनांक 25.09.2024 तक उपलब्ध कराई जाय।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 20-09-2024 20:42:18
(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2006(1)/सैंतीस-2-2024- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0, शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

सं॰ 2169

संख्या–1202 / 37–2–2024–5(53) / 2018 टीसी–

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

2– निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनाक 05 जून, 2024

विषय–प्रदेश के गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवशों के स्वास्थ्य परीक्षण (Health Check-up) एवं उपचार के संबंध में मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी) का निर्धारण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया निराश्रित गोवंश का संरक्षण एवं भरण–पोषण शीर्ष प्राथमिकता का कार्यक्रम है। इस हेतु प्रदेश में स्थापित गो आश्रय स्थलों में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निर्देशानुसार लू के दृष्टिगत मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 729 / 37–2–2024 दिनांक 09.04.2024 निर्गत किया गया है। वर्तमान समय में भीषण गर्मी एवं लू के प्रकोप से बचाव हेतु गो आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवशों का स्वास्थ्य परीक्षण (Health Check-up) एवं उपचार हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है:–

(1) प्रत्येक गो आश्रय स्थल में नामित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा पशुधन प्रसार अधिकारी तथा पैरावेट के साथ सप्ताह में कम से कम दो बार गोवंशो का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए।

388/PA/DAH/05-06-24
प्र॰ नि॰ (गोशाला)

(2) भ्रमण के समय संरक्षित गोवंशो के स्वास्थ्य का सामान्य आकंलन करने हेतु निम्नलिखित लक्षणों / परीक्षणों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए:–

(क) गोवंश की सामान्य रूप से चैतन्यता की स्थिति।
(ख) थूथन / मजल पर नमी की स्थिति।
(ग) आंखे लाल या आंखो से असामान्य स्राव की स्थिति।
(घ) गोवंश की चाल कैसी है (stumbling, lameness, uncontrolled movements) अथवा झुण्ड से अलग सुस्त एवं एकाकी होने की स्थिति।
(ड) शरीर पर वाह्य परजीवी के प्रकोप की स्थिति।
(च) गोवंश का व्यवहार असामान्य रूप से उत्तेजित या सुस्त पाये जाने की स्थिति।
(छ) गोवंश के मूत्र का रंग तथा गोबर असामान्य तो नहीं है यदि गोबर गीला है तो परजीवी परीक्षण / जांच हेतु माइकोस्कोपी फीकल एग्जामिनेशन किया जाए।
(ज) वाह्य लिम्फ नोड का आकार असामान्य पाये जाने की स्थिति।
(झ) त्वचा की चमक तथा नमी / प्लाईबिलटी की स्थिति।
(य) गोवश का शारीरिक तापमान (बाड़ी टेम्परेचर) सामान्य है अथवा नहीं ,तापमान रिकार्ड कर अंकित किया जाए।

5-6-2024

6-6-24

(3) उपरोक्त परीक्षणों के आधार पर बीमारी का प्रकार तथा गोवंश की शारीरिक स्थिति अनुसार उपचार की रणनीति (line of treatment) निर्धारित की जाए। वर्तमान में असामान्य वातावरणीय तापकम हीटवेव / लू के दृष्टिगत डिहाइड्रेशन का भी ध्यान दिया जाए

43

चाहिए। उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार जांच में पाये गये असमान्य लक्षणों तथा रोग निद संबंधी विवरण उपचार पंजिका मे अवश्य दर्ज किया जाए।

(4) कमजोर, कुपोषित तथा अशक्त गोवंशो को अलग रखकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। टैग के साथ विवरण पंजिका में अंकित किया जाए।

(5) घायल एवं चोटग्रस्त गोवंश की मरहम पट्टी नियमित रूप से की जाए जिससे घाव कीड़े/मैगट का प्रकोप न हो।

(6) बीमार गोवंश के उपचार का विवरण टैग न0 सहित उपचार पंजिका में तिथिवार अंकि किया जाए तथा गो आश्रय पोर्टल पर भी उपचारित पशु का टैग न0 अंकित किया जाए

(7) समस्त संरक्षित गोवंश को वर्ष में कम से कम दो बार कृमि नाशक दवा पान कराया जाए

(8) गोवंशों को दस्त/डायरिया की समस्या होने पर कृमि नाशक उपचार के उपरान्त उन आहार तथा सहायक उपचार पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(9) संरक्षित गोवंशो का शतप्रतिशत टीकाकरण (एफ0एम0डी/एच0एस/एल0एस0 टीकाकरण किया जाए।

(10) गोवंशो को दिये जाने वाले हरे चारे की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। विशेषत पर चरी तथा बाजरा को खिलाते समय विशेष ध्यान दिया जाए। इस प्रकार के हरे च को भूसे के साथ 7 एवं 3 के अनुपात मे मिलाकर खिलाया जाए जिस नाइट्रेट/नाइट्राइट/ हाइड्रोजन साइनाइड की विषाक्तता न होने पाये।

(11) नमी अथवा फफूंदी युक्त पुआल व भूसा किसी भी दशा में आहार में सम्मिलित न हो पाए।

(12) उपचार के दौरान किन्ही परिस्थितियों मे यदि गोवंश की मृत्यु हो जाती है तो निस्तारण निर्धारित मानकों के अनुसार कराया जाए तथा गो आश्रय स्थल पर भी टैग सहित गोवंश की मृत्यु अंकित की जाए।

(13) गंभीर संक्रामक बीमारियों यथा (एफ0एम0डी/एच0एस/एल0एस0डी) के लक्षण मिलने प्रभावित गोवंशों को तत्काल आइसोलेट करायें तथा नये गोवंश का संरक्षण गो आश्र स्थल में प्रतिबंधित किया जाए।

(14) गो आश्रय स्थलों पर भ्रमण के समय संलग्न चेक लिस्ट के अनुसार सभी बिन्दुओं निरीक्षण अवश्य केन्द्रित किया जाए। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा प्रत्येक उप मु पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य अधिकारी को चेक लि उपलब्ध करायी जाय तथा गो आश्रय स्थल पर भी रखवायी जाय।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश के गो आश्रय स्थलो संरक्षित निराश्रित गोवंशों का उपर्युक्तानुसार स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार कर, (Health check-u रिपोर्ट (संलग्न) गो आश्रय पोर्टल https://up.goashray.in पर अपलोड कराते हुये, आवश्य कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

44

5(53)18TC-2 SY

2171

# गोवंश स्वास्थ्य परीक्षण (health check-up) चार्ट

| क्र0सं0 | चेक बिन्दु | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | गोवंश टैग न0;sex,age | |
| 2 | सामान्य शारीरिक स्थिति (Weak/ Debilitated/ prostration/ Emaciated/ Injured/senile) | |
| 3 | गोवंश की सामान्य रूप से चैतन्यता (alertness)की स्थिति | |
| 4 | थूथन / मजल पर नमी की स्थिति | |
| 5 | आंखे लाल या आंखो से असामान्य स्राव की स्थिति | |
| 6 | गोवंश की चाल कैसी हैं (stumbling, lameness, uncontrolled movements) अथवा झुण्ड से अलग सुस्त एवं एकाकी होने की स्थिति | |
| 7 | शरीर पर वाह्य परजीवी के प्रकोप की स्थिति | |
| 8 | गोवंश का व्यवहार असामान्य रूप से उत्तेजित या सुस्त पाये जाने की स्थिति | |
| 9 | गोवंश के मूत्र का रंग तथा गोबर असामान्य तो नहीं है यदि गोबर गीला है तो परजीवी के परीक्षण / जांच हेतु माइक्रोस्कोपी फीकल एग्जागिनेशन किया जाए (परिणाम लिखें) | |
| 10 | वाह्य लिम्फ नोड का आकार असामान्य पाये जाने की स्थिति | |
| 11 | त्वचा की चमक तथा नमी / प्लाईबिलटी की स्थिति | |
| 12 | गोवंश का शारीरिक तापमान (बाड़ी टेम्परेचर) सामान्य है अथवा नहीं, तापमान रिकार्ड कर अंकित किया जाए | |
| 13 | सम्भावित बीमारी / डायग्नोसिस | |
| 14 | दिये गये उपचार का विवरण (तिथिवार अंकित किया जाय) | |

जनपद–

(146)
2172

निरीक्षण दिनांक –

निरीक्षणकर्ता (नाम व पदनाम सहित)–

| क्र0 सं0 | निरीक्षण बिन्दु | स्थिति /विवरण |
|---|---|---|
| 1. | गो आश्रय स्थल का नाम स्थाई/अस्थाई | |
| 2. | संरक्षित गोवंश संख्या | |
| 3. | Tagging की स्थिति | |
| 4. | शेड संख्या | |
| 5. | संरक्षित गोवंश के सापेक्ष शेड पर्याप्त है या नहीं | |
| 6 | शेड में ओवर क्राउडिंग (Over Crowding) की दशा में अतिरिक्त निर्माण की स्थिति | |
| 7. | शेड को बोरे के ढका गया है या नहीं | |
| 8. | बोरे/टाट पर पानी के छिड़काव की स्थिति | |
| 9. | ताजे पेय जल की व्यवस्था की स्थिति | |
| 10. | उपलब्ध भूसा गोदाम सं0<br>स्थाई–<br>अस्थाई खोप (सं0)–<br>भक्कू– | |
| 11. | कुल भण्डारित भूसा कु0 में | |
| 12. | उपलब्ध चोकर/पशु आहार की मात्रा | |
| 13. | साइलेज की उपलब्धता की स्थिति | |
| | संबद्ध चारागाह का नाम व क्षेत्रफल हे0 में | |
| 14 | हरा चारा की बुआई की स्थिति | |
| 15. | गोवंश के स्वास्थ्य की स्थिति | |
| 16. | टीकाकरण की स्थिति (टीके का नाम व टीकाकरण तिथि लिखे) | |
| 17. | घायल/बीमार गोवंश की संख्या टैग नम्बर सहित | |
| 18. | किस माह तक भरण पोषण Fund request किया जा चुका है। | |
| 19. | पोर्टल पर निरीक्षण अपलोड किया गया या नहीं | |
| 20. | निरीक्षण के दौरान अन्य विवरण जिसका उल्लेख आवश्यक हो | |
| 21. | मृत गोवंश संख्या (विगत माह में ) | |
| 22. | शव निस्तारण की स्थिति | |
| 23. | केयर टेकर की कुल संख्या–<br>रात्रि कालीन केयर टेकर की सं0 | |
| 24. | केयर टेकर की भुगतान की स्थिति (किस माह तक) | |

नोट– चैक लिस्ट प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर उपलब्ध करायी जाये।

ह0 निरीक्षणकर्ता

नाम एवं पदनाम

2173

~~संलग्नक, A-3~~ (8)

महत्वपूर्ण

संख्या–2275 / सैंतीस–2–2023–5(53) / 2018

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 20 सितम्बर, 2023

विषय– निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु निर्धारित अनुदान धनराशि में वृद्धि किये जाने के संबंध में।

—

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1370 / सा–1 / 12–573 / 2023–24 दिनांक 15 सितम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा–ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन शासनादेश संख्या–4324 / सैंतीस–2–2018–5(53) / 2018 दिनांक 02.01.2019 द्वारा किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक–02.01.2019 द्वारा निर्गत नीति के अंतर्गत गोवंश के संरक्षण एवं उनके भरण–पोषण हेतु प्रदेश में निम्नानुसार योजनायें संचालित की जा रही हैं:–

(1) निराश्रित गोवंश हेतु स्थायी / अस्थायी गो आश्रय स्थलों / केन्द्रों की स्थापना कर उनका भरण–पोषण किये जाने की योजना।

(2) प्रदेश में स्थापित गो आश्रय स्थल / केन्द्रों में संरक्षित निराश्रित / बेसहारा गोवंश को इच्छुक कृषकों / पशुपालकों / अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किये जाने हेतु "मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित / बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना।"

(3) महिलाओं, बच्चों एवं अन्य आयु वर्ग में कुपोषण की दर को कम किये जाने हेतु प्रदेश में स्थापित गो आश्रय स्थलों / केन्द्रों से गाय उपलब्ध कराये जाने की योजना।

3– सम्प्रति शासनादेश संख्या–4324 / सैंतीस–2–2018–5(53) / 2018 दिनांक–02.01.2019 एवं शासनादेश संख्या–313(1) / सैंतीस–2–2018–5(53) / 2018टीसी–1 दिनांक 11.02.2019 में विद्यमान प्राविधानों के अनुसार, उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु अनुदान राशि रू0 30/– प्रति गोवंश/प्रतिदिन की दर से प्रदान किया जा रहा है।

4– शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त, प्रदेश में संचालित गो आश्रय स्थलों / केन्द्रों में संरक्षित गोवंश, मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित / बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना एवं कुपोषित

परिवारों को गाय उपलब्ध कराये जाने की योजना के अंतर्गत निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु उपलब्ध कराई जा रही धनराशि रू0 30/– प्रति गोवंश प्रतिदिन को बढ़ाकर रू0 50/– प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

5– धनराशि में उपर्युक्तानुसार वृद्धि दिनांक 01.10.2023 से प्रभावी होगी।

6– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by अमरनाथ उपाध्याय
Date: 20-09-2023 16:31:27
Reason: Approved

भवदीय,
(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या–2275(1)/सैंतीस–2–2023 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव,. नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
8. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

2175

T3-(61)

संख्या–3260 / सैंतीस-2–2019–30(4) / 2019

प्रेषक,

बी0एल0 मीना,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
11. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, उ0प्र0 (जिलाधिकारी के माध्यम से)।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ: दिनाँक 06 अगस्त, 2019

विषय:–निराश्रित / बेसहारा गोवंश को इच्छुक कृषकों / पशुपालकों / अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किये जाने हेतु "मा0 मुख्य मंत्री निराश्रित / बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना" का प्रख्यापन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ पर 2012 की पशुगणना के अनुसार 205.68 लाख गोवंश हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 10 से 12 लाख निराश्रित / बेसहारा गोवंश होने का अनुमान है। विभाग द्वारा निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण हेतु स्थायी / अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, वृहद गोसंरक्षण केन्द्र / गोवंश वन्य विहार (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में) / पशु आश्रय गृह स्थापित एवं संचालित कर उनका संरक्षण एवं भरण–पोषण किया जा रहा है।

2– सम्प्रति पशुधन विभाग, नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से निराश्रित / बेसहारा गोवंश संरक्षण, संवर्धन विषयक निर्गत शासनादेश संख्या–4324 / सैंतीस–2–2018–5(53) / 2018, दिनांक–02.01.2019 एवं शासनादेश संख्या–261 / सैंतीस–2–2019–5(53) / 2018, दिनांक–28.01.2019 के क्रम में प्रदेश में निराश्रित / बेसहारा गोवंश आश्रय स्थल, कान्हा उपवन, कांजी हाउस, कान्हा आश्रय एवं वृहद गोसंरक्षण केन्द्र स्थापित एवं संचालित है। दिनांक–24.07.2019 तक प्रदेश में 4033 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, 150 वृहद गो संरक्षण केन्द्र, कान्हा गोशाला 130 एवं कांजी हाउस 393 में 2,74,691 गोवंश संरक्षित

57

हैं।

3— इसके अतिरिक्त प्रदेश में पंजीकृत गोशालाओं की संख्या 523 है। उक्त पंजीकृत गोशालाओं को राज्य सरकार द्वारा कुल संरक्षित गोवंश की संख्या के 70 प्रतिशत की संख्या को आधार मान कर रू0 30/— प्रति गोवंश 365 दिनों के लिए प्रदान किया जा रहा है। यह संज्ञान में आया है कि स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंश को आश्रय स्थलों में अधिक संख्या में होने के कारण उनके रख-रखाव में असुविधा हो रही है जिसके दृष्टिगत एक ऐसी योजना प्रख्यापित किये जाने की आवश्यकता है जिससे कि निराश्रित/वेसहारा गोवंश का संरक्षण/भरण—पोषण में सामाजिक सहभागिता बढ़ायी जाय व ऐसे व्यक्ति जो निराश्रित/वेसहारा गोवंश के भरण—पोषण, संरक्षण एवं संवर्द्धन के इच्छुक हैं उन्हें जिला प्रशासन के माध्यम से चिन्हित कर निराश्रित/वेसहारा गोवंश सुपुर्द किया जा सके।

4— निराश्रित/वेसहारा गोवंश को पूर्णरूप से संरक्षण भरण--पोषण प्रदान किया जाना सरकार की प्राथमिकताओं में एक है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित है कि वर्तमान में व भविष्य में जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एवं संचालित विभिन्न प्रकार के गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित/वेसहारा गोवंश को स्थापित प्रकिया द्वारा इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द करते हुए इस योजना के कियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ायी जाये।

5— अतएव स्थायी/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, वृहद गोसंरक्षण केन्द्र/गोवंश वन्य विहार (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में)/पशु आश्रय गृह में संरक्षित गोवंश को सम्बन्धित जिलाधिकारी के निर्देशन में चिन्हित किये गये ऐसे इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किए जाने की निम्नवत् योजना प्रख्यापित की जा रही है:—

5(1) नीति विषयक शासनादेश संख्या—4324/सैंतीस—2—2018—5(53)/2018, दिनांक—02.01.2019 के प्रस्तर—7.8 के संलग्नक—1 एवं शासनादेश संख्या—261/ सैंतीस—2—2019—5(53)/2018, दिनांक—28.01.2019 निराश्रित/वेसहारा गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्गनिर्देशों के प्रस्तर—5 में गोवंश को किसानों/पशुपालकों को सुपुर्दगी किये जाने का उल्लेख है।

5(2) जिलाधिकारी जनपद में ऐसे इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को चिन्हित करायेंगे जो निराश्रित गोवंश को पालने हेतु तैयार हैं। ऐसे इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को जिलाधिकारी द्वारा रू0 30/—(रू0 तीस मात्र) प्रति गोवंश/प्रतिदिन की दर से भरण—पोषण हेतु धनराशि सम्बन्धित कृषक/पशुपालक/ अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में प्रतिमाह डी0बी0टी0 प्रकिया द्वारा हस्तान्तरित की जायेगी।

5(3) निराश्रित/बेसहारा गोवंश (जिनमें ईयर टैग अनिवार्य होगा) को इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सरकार/जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एवं संचालित अस्थायी/स्थायी केन्द्रों के माध्यम से सुपुर्द किया जायेगा।

5(4) सरकार द्वारा संचालित अस्थायी/स्थायी केन्द्रों से सुपुर्द किए गये गोवंश से सम्बन्धित अभिलेखीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय समिति (यथा--ग्राम पंचायत, विकासखण्ड, तहसील, जनपद स्तर) के माध्यम से करायी जायेगी एवं स्थानीय समिति प्रगति से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/ उप–जिलाधिकारी को समय से अवगत करायेगी।

5(5) चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति सुपुर्द किए गये गोवंश को किसी भी दशा में विक्रय नहीं करेगा न ही छुट्टा छोड़ेगा।

5(6) प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में 01 लाख गोवंश को सुपुर्द किया जाना है।

5(7) इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों का चयन शासनादेश संख्या–4324/सैतीस–2–2018–5(53)/2018, दिनांक–02.01.2019 के प्रस्तर–7.8 के अनुसार गठित विकास खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के क्रम में जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

6(1) कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार–

(क) कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों जिसका/जिनका व्यापक प्रसार एवं जनपद में अधिक पढ़ा जाता हो, में जिलाधिकारी द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराया जाय।

(ख) प्रत्येक ग्राम सभा, बी0डी0सी0 एवं पंचायतों की खुली बैठक के एजेण्डा बिन्दु में निश्चित रूप से सम्मिलित करते हुएं प्रचार–प्रसार पर विशेष बल देने का दायित्व पंचायती राज विभाग का होगा।

(ग) जनपद के प्रत्येक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर जन–मानस को जानकारी हेतु चस्पा किया जाय।

(घ) प्रत्येक गोष्ठी, पशु बजारों, मेलों तथा विकास खण्ड तथा मण्डल स्तरीय पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविरों में प्रचारित एवं प्रसारित किया जाय।

(ङ) रेडियो, एफ0एम0 चैनल तथा स्थानीय टेली मीडिया पर प्रचारित–प्रसारित किया जाय।

(च) अन्य प्रचार माध्यम जो उपलब्ध हो का भी प्रयोग किया जाय।

(छ) प्रचार–प्रसार का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के जनपद स्तरीय समिति का होगा।

6(2) कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति के चयन हेतु मापदण्ड/मानक

(क) इच्छुक कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति सम्बन्धित विकास खण्ड का मूल निवासी हो तथा वर्तमान में निवास कर रहा हो।

(ख) इच्छुक कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति पशुओं का पालन–पोषण पूर्व से कर रहा हो, को प्राथमिकता दिया जाना।

(ग) इच्छुक कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति को अधिकतम चार गोवंश ही दिया जाना जिसमें नववत्सों की गणना नहीं किया जाना अर्थात् मादा गोवंश + दूध पीता बछिया व बछडा को एक माना जाय।

(घ) चिन्हित किए जाने वाले इच्छुक कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति के नाम से आवेदन की तिथि को किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल बैंक में आधार लिंक क्रियाशील बचत खाता हो।

(ङ) दुग्ध समितियों से जुड़े कृषक/पशुपालक को प्राथमिकता दी जाय।

(च) पशुपालन विभाग/उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद द्वारा प्रशिक्षित पैरावेट्स/पशुमित्र को प्राथमिकता दी जाय।

(छ) चयन हेतु निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति को आवेदन करना होगा।

(ज) यह सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाय कि निराश्रित/बेसहारा गोवंश को पालने वाले इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों के पास पर्याप्त स्थान है।

(झ) सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा 03 माह में एक बार निराश्रित/बेसहारा गोवंश को पालने वाले कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों का सत्यापन कराया जायगा।

6(3) अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल से गोवंश इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को दिये जाने की दशा में निम्न अभिलेखों की आवश्यकता होगी:–

- पहचान पत्र– आधार कार्ड/वोटर आई0डी0/राशन कार्ड ।
- बैंक पासबुक की छाया प्रति, जिसमें खाताधारक एवं बैंक का पूर्ण पठनीय विवरण अंकित हो।

6(4) अपनाये गये गोवंश को चिन्हित कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी दशा में विक्रय या स्थानापन्न नहीं किया जायेगा, इसके अनुश्रवण की जिम्मेदारी सम्बन्धित लेखपाल/पंचायत सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी की होगी।

7– चिन्हित कृषक/पशुपालक गोवंश को भरण–पोषण के सापेक्ष भुगतान:–

(क) प्रति पशु प्रतिदिन रू0 30/– (रू0 तीस मात्र) की दर से शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप धनराशि देय होगी।

(ख) चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्येक माह धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी एवं इसकी प्रगति की समीक्षा जनपद स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी।

(ग) भरण–पोषण हेतु धनराशि के ससमय हस्तान्तरण/भुगतान का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी का होगा।

8– चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति को सुपुर्दगी में दिये गये गोवंश की मृत्यु होने पर सम्बन्धित ग्राम प्रधान की उपस्थिति में नियमानुसार गोवंश का पंचनामा किया जायेगा। पशु की मृत्यु के सापेक्ष किसी संदेह/विवाद की अवस्था में स्थानीय

पशुचिकित्सक एवं समीप के पशुचिकित्सालय के दूसरे पशुचिकित्सक (संयुक्त रूप से) द्वारा निःशुल्क शवविच्छेदन (शवविच्छेदन हेतु निर्धारित लेवी से मुक्त) किया जायेगा।

9— शव का निस्तारण सम्बन्धित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति द्वारा स्वयं के संसाधन से एवं तकनीकी सलाह से ही किया जायेगा।

10— यदि चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाये गये गोवंश की मृत्यु होने पर उसके द्वारा पुनः गोवंश की मांग की जाती है तो शासनादेश संख्या—4324/सैतीस—2—2018—5(53)/2018, दिनांक—02.01.2019 द्वारा गठित विकासखण्ड समिति की संस्तुति पर जनपद स्तरीय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

11— चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति द्वारा अपनाये गये गोवंश की मृत्यु अथवा किसी भी विवाद/पशु चोरी से सम्बन्धित किसी वाद पर जिलाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

12— सुपुर्दगी में दिये गये गोवंश के भरण—पोषण हेतु चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित धनराशि का लेखा—जोखा पृथक से रखा जायेगा।

12(1) इस प्रयोजन हेतु उपयोग किये गये बैंक खातों का आन्तरिक सम्प्रेक्षा एवं वाह्य सम्प्रेक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

12(2) जनपद स्तरीय खातों का सम्प्रेक्षण स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से concurrent आडिट/कन्करन्ट सम्प्रेक्षण किया जायेगा।

13— भविष्य में योजना में किसी प्रकार के परिमार्जन/संशोधन की आवश्यकता होने पर अन्तिम निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

14— उक्त योजना में प्राविधानित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाय।

15— इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त उत्तर प्रदेश में उपरोक्त योजना के अनुसार कियान्वयन करने हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही शीर्षस्थ प्राथमिकता पर सुनिश्चित की जाय।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय,

(बी0 एल0 मीना)
प्रमुख सचिव।

संख्या—3258(1)/सैतीस—2—2019तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 पशुधन राज्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, बादशाहबाग, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक, गोधन/संयुक्त निदेशक, नियोजन, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त उप निदेशक/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0 एल0 मीना)
प्रमुख सचिव।

(78)

निराश्रित/बसेहारा गोवंश के भरण-पोषण हेतु
इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों के चयन हेतु आवेदन का प्रारूप

| क्रमांक | मद | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों का फोटोग्राफ | आवेदक का अधुनान्त पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो-चस्पा करें जो ग्राम प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित हो |
| 2 | नाम (जैसा पहचान पत्र में हो) | |
| 3 | पिता/पति का नाम | |
| 4 | पता | |
| 5 | आधार संख्या (छाया प्रति संलग्न करें) | |
| 6 | वोटर आई0डी0 (छाया प्रति संलग्न करें) | |
| 7 | बचत बैंक खाते का विवरण<br>(छाया प्रति संलग्न करें) | बैंक का नाम<br>शाखा का नाम<br>खाता संख्या<br>आई०एफ०एस०सी० |
| 8 | परिवार का विवरण (कुटुम्ब रजिस्टर/अद्यतन राशन कार्ड के अनुसार (छाया प्रति संलग्न करें) | |
| 9 | गोवंश की वांछित संख्या (1/2/3/4 संख्या अंकित करें) | |

प्रमाणित किया जाता है कि:-

- उपरोक्त सूचनाए सत्य हैं।
- कोई सूचना छिपाई नहीं गयी है।
- किसी प्रकार की गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊँगा।
- गोवंश को अपनाये जाने हेतु समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों/दशायें मुझे स्वीकार हैं।
- अपनाये गये गोवंश को बेचूँगा नहीं तथा किसी भी प्रकार की पशु क्रूरता नहीं करूँगा।

हस्ताक्षर इच्छुक कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति

प्रमाणित किया जाता है कि श्री........................................................जिनका विवरण ऊपर उल्लिखत है को जानता व पहचानता हूँ तथा ग्राम सभा..........................................निवासी हैं एवं ग्राम में परिवार के साथ (सदस्य संख्या.............................) निवास करते हैं। इनको अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल से गोवंश दिए जाने हेतु संस्तुति करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान मुहर सहित

(79)

निराश्रित/बेसहारा गोवंश के भरण–पोषण हेतु
चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति को अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल
से गोवंश की सुपुर्दगी का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..........................................
पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी श्री/श्रीमति ..........................................
..........................................निवासी ............
स्थल ..........................................को अस्थायी गोवंश आश्रय
विकास खण्ड ..........................................
दिनांक ......................तहसील......................जनपद ......................से आज
दिनांक ...................... दिन ...................... को एक/दो/तीन/चार जिसका विवरण
निम्नवत् है को एतदद्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करते हुए भरण–पोषण हेतु सुपुर्द
किया जाता है:–

| क्र.स. | मद | गोवंश संख्यावार विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | प्रथम | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ |
| 1 | टैग नम्बर | | | | |
| 2 | प्रजाति | | | | |
| 3 | उम्र | | | | |
| 4 | लिंग | | | | |
| 5 | रंग | | | | |
| 6 | सींग | | | | |
| 7 | दूध/सूखी (दुधारू गोवंश के संबन्ध में) | | | | |
| 8 | दूध में है तो साथ संतति मादा/नर | | | | |

हस्ताक्षर कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति

हस्ताक्षर ग्राम प्रधान/अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा नामित
अधिकारी

संख्या–4938/सैंतीस–2–2020–30(4)/19

प्रेषक,

भुवनेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 12 सितम्बर, 2020

विषय–महिलाओं, बच्चों एवं अन्य आयु वर्ग में कुपोषण की दर को कम किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत हैं कि पोषण सतत विकास और आर्थिक समृद्धि की नींव है। स्वस्थ एवं अधिक सक्षम भारत की अवधारणा को साकार करने एवं महिलाओं और बच्चों का कुपोषण दूर करने हेतु पोषण अभियान माननीय प्रधान मंत्री जी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। "पोषण अभियान" का उद्देश्य विभिन्न आयु वर्ग में व्याप्त कुपोषण की दरों में कमी लाना है। पोषण अभियान को जन भागीदारी यानी जन आन्दोलन बनाने की कल्पना की गयी है। इस क्रम में पूरे देश में सितम्बर के महीने को "राष्ट्रीय पोषण माह" के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष के पोषण माह का टैग लाइन **"उत्तम पोषण, उत्तर प्रदेश रोशन"** है ।

2– उक्त अभियान के अंतर्गत प्रदेश में महिलाओं और बच्चों का कुपोषण दूर करने में गोवंश की अत्यन्त उपयोगिता है। प्रत्येक परिवार में गोवंश की उपलब्धता होने से दूध की उपलब्धता होगी, जो बच्चों एवं माताओं के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। महिलाओं और बच्चों के पोषण के स्तर को बेहतर करने के लिए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कुपोषित बच्चों के परिवारों, जिनके पास गाय रखने का स्थान उपलब्ध हो तथा गोपालन के इच्छुक हों, उन्हें निराश्रित/बेसहारा गोवंश आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराई जाय।

3– उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–3256/सैंतीस–2–2019–30(4)/2019, दिनांक–08.08.2019 द्वारा प्रदेश मे निराश्रित/बेसहारा गोवंश

HD Godhan
उ०नि० (गोधन)
12.9.2020

76

को इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का प्रख्यापन किया गया है। उक्त योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत हैः–

(1) शासनादेश संख्या–4324/सैंतीस–2–2018–5(53)/ 2018 दि0–02.01.2019 के प्रस्तर–7.8 के संलग्नक–1 एवं शासनादेश संख्या–261/सैंतीस–2–2019–5(53)/2018 दिनांक–28.01.2019 निराश्रित/बेसहारा गोवंश आश्रय स्थल विषयक परामर्शी मार्गनिर्देशों के प्रस्तर–5 में गोवंश को किसानों/पशुपालकों को सुपुर्दगी किये जाने का उल्लेख है।

(2) जिलाधिकारी जनपद में ऐसे इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को चिन्हित करायेंगे, जो निराश्रित गोवंश को पालने हेतु तैयार है, उन्हें जिलाधिकारियों द्वारा रू0 30/-- (रूपये तीस मात्र) प्रति गोवंश/ प्रतिदिन की दर से भरण–पोषण हेतु धनराशि सम्बन्धित कृषक/ पशुपालक/अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में प्रतिमाह डी0बी0टी0 प्रक्रिया द्वारा हस्तान्तरित की जायेगी।

(3) निराश्रित/बेसहारा गोवंश (जिनमें ईयर टेग अनिवार्य होगा) को इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सरकार/जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एवं संचालित अस्थायी/स्थायी केन्द्रों के माध्यम से सुपुर्द किया जायेगा।

(4) चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति सुपुर्द किए गये गोवंश को किसी भी दशा में विक्रय नहीं करेगा न ही छुट्टा छोड़ेगा।

4– उपर्युक्त से स्पट है कि कुपोषित बच्चों के परिवार, जिनके पास गाय रखने का स्थान उपलब्ध हो तथा गौ–पालन के इच्छुक हों, उक्त योजनान्तर्गत आच्छादित किए जा सकते हैं।

5– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों के पात्र एवं इच्छुक परिवारों को जिले में स्थापित एवं संचालित विभिन्न प्रकार के गोवंश आश्रय स्थलों से गाय उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यदि लाभार्थी चाहें तो गाय दिये जाने से पूर्व उसे गौ आश्रय स्थलों पर उपलब्ध गायों में से गाय चुनने का अवसर भी दिया जाय। गाय प्रदान किये जाने की कार्यवाही यथासम्भव जनप्रतिनिधिगण की उपस्थिति में सम्पन्न की जाये। पात्र एवं इच्छुक

परिवारों की सूची उपलब्ध कराये जाने का दायित्व बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का होगा।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( भुवनेश कुमार )
प्रमुख सचिव।

संख्या–4938(1)/सैंतीस–2–2020 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0शासन।
2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश।
4– निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5– निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6– समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
8– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

( विनोद कुमार द्विवेदी )
अनु सचिव।

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:– 1891 /सा0–2/2020–21 दिनांक : 12.09.2020

उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– 4938/सैंतीस–2–2020–30(4)/19 दिनांक 12.09.2020 को आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर निदेशक, ग्रेड–2 पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
4. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(डा0 यू0पी0सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

(78)

संख्या– 1347/33–3–2022–

संख्या–11

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त, मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनाँक03 जुलाई, 2022

**विषयः–गो–आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु विद्यमान गैप की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

गो–आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में आ रही वित्तीय समस्या एवं व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के मध्य प्रति पशु प्रतिदिन के आ रहे गैप की प्रतिपूर्ति हेतु सक्षम स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि "राज्य वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को आवंटित धनराशि में कुछ अंश पूल कर जिस ग्राम पंचायत में गो–आश्रय स्थल स्थापित है, के साथ शेयर किए जाने तथा इस निमित्त उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा–16 ए के अधीन व्यवस्था की जाय।"

2– इस सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा–16ए में यह व्यवस्था है कि "ग्राम पंचायतों को अधिकार होगा कि वह ऐसा धन और ऐसी संस्थाओं और कार्यों को जो कि उसकी अधिकार सीमा के बाहर स्थित हो, ऐसी सहायता दे सकती हो जो कि राज्य सरकार साधारण तथा विशेष रूप से आज्ञा दे।"

कृपया उपरोक्त व्यवरथानुसार ग्राम पंचायत में स्थापित गो–आश्रय स्थल के निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

Manoj 3.8.22

( मनोज कुमार सिंह )

अपर मुख्य सचिव।

29.7.22

संख्या एवं दिनांक :—तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1— अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

2— समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अवधेश कुमार खरे )

संयुक्त सचिव।

सं०-12

संख्या-1854/33-2-2022-5913/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2022

विषय :- निराश्रित गोवंश/दुर्घटनाग्रस्त बड़े पशुओं को परिवहन हेतु कैटल कैचर/मल्टी परपज वेहीकल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा- 32 एवं 33 में क्रमशः क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के अधिकार एवं कर्तव्य क्रमशः अनुसूची-1 व 2 में वर्णित है। उक्त अनुसूची-1 के बिन्दु सं0-4 में पशु सेवाओं के अनुरक्षण तथा अनुसूची-2 (क) के बिन्दु सं0-4 (क) में पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं की स्थापना एवं अनुरक्षण इत्यादि की व्यवस्था विद्यमान है। उक्त के अतिरिक्त पंचायतीराज अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-38/2020/1751/33-3-2020-38/2020, दिनांक 18 अगस्त, 2020 के प्रस्तर-7 में यह व्यवस्था है कि "पंचायतें अपने स्वामित्व वाले गो-आश्रय स्थलों के विकास व संचालन हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय राज्य वित्त आयोग की धनराशि से करेंगी।" इस प्रकार गौ आश्रय स्थलों के विकास व संचालन मद में कैटिल कैचर वाहन का क्रय/ संचालन अनुमन्य श्रेणी का कार्य है।

3. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी अपने जनपद की आवश्यकतानुसार कैटिल कैचर/मल्टीपरपज वेहिकल वाहन का क्रय कर सकते हैं अथवा किराये पर रख सकते है। उक्त के अतिरिक्त इस पूरे कार्य को भी आउट्सोर्स प्रति पशु के दर पर करते हुए संचालित किया जा सकता है । जिला पंचायत/ क्षेत्र पंचायत इस पर आने वाला व्यय राज्य वित आयोग/ स्वयं की आय से वहन किया जा सकता है ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 3.8.22

( मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

PTO-2

Deepak/PD/GO-2022

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
5. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. अपर मुख्य अधिकारी, समस्त जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**( बी0 चन्द्रकला )**
**विशेष सचिव।**

सं०-13

अति महत्वपूर्ण

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारीगण
(संलग्न सूची अनुसार)

नियुक्ति अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 10 जनवरी, 2024

**विषयः प्रदेश के जनपदों में अवशेष निराश्रित गोवंश को शत प्रतिशत संरक्षित किये जाने तथा उनके भरण-पोषण के संबंध में किये जा रहे कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के संबंध में**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवशेष निराश्रित गोवंश को शत प्रतिशत संरक्षित किये जाने तथा उनके भरण-पोषण हेतु किये जा रहे कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु संलग्न सूची के अनुसार नाम के सम्मुख अंकित जनपदों में आपको नोडल अधिकारी नामित किया गया है। आप द्वारा गोसंरक्षण से संबंधित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के क्रम में दिनांक 11.01.2024 से 13.01.2024 तक आवंटित जनपद में प्रवास करते हुए जनपद स्तरीय समीक्षा/क्षेत्र भ्रमण कर निर्धारित प्रारूप पर सूचना पशुधन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को हार्ड कॉपी में एवं ई-मेल आई०डी० jdgoshala.up@gmail.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उपर्युक्त के साथ ही आप द्वारा आवंटित जनपदों में चेक लिस्ट में उल्लिखित निर्देशों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यवाहियां संपादित की जायेंगी:

1. दिनांक 01.11.2023 से 31.12.2023 तक निराश्रित गोवंश को संरक्षित किये जाने हेतु संचालित विशेष गोसंरक्षण अभियान में संरक्षित गोवंश की संख्या
2. उक्त अवधि के दौरान नवनिर्मित अस्थायी गो आश्रय स्थलों की लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति और अभियान के दौरान अस्थायी गो आश्रय स्थलों में लक्ष्य के सापेक्ष क्षमता विस्तार
3. गौशालाओं के निरीक्षण में गोवंश की वास्तविक संख्या एवं सुपुर्दगी में दिये गये गोवंश की संख्या का अभिलेखों से मिलान/सत्यापन
4. गौशालाओं में पानी, चारा-भूसा, सांद्रित आहार, ठंड से बचाव की समुचित व्यवस्था तथा समुचित पशु चिकित्सीय सुविधाओं की स्थिति संतोषजनक है अथवा नहीं
5. गौशालाओं में नियुक्त केयरटेकरों की स्थिति तथा गौशालाओं में रात्रि निवास करने वाले केयरटेकरों की वर्तमान स्थिति
6. गौशालाओं में पर्याप्त बजट की व्यवस्था, उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किये जाने की स्थिति, सहभागियों का डी०बी०टी० के माध्यम से भुगतान की स्थिति एवं गोवंश संरक्षण के संबंध में

कोई भुगतान आदि लंबित होने की स्थिति से अवगत कराया जाना

7. गोआश्रय पोर्टल एवं ऐप के प्रयोग और उसके समुचित संचालन की स्थिति

8. ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान यदि कोई आवारा पशु सड़कों पर अथवा खेतों में घूमते पाये जाते हैं, तो उसके कारणों से अवगत कराया जाना

३. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्न – यथोक्त (चेक लिस्ट)।

भवदीय,

Digitally Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 10-01-2024 11 12 27
Reason: Approved

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या व तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नामित नोडल अधिकारियों को उनके आवंटित जनपद में यथावश्यक प्रवास एवं भ्रमण के संबध में आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कराने का कष्ट करें
2. नामित नोडल अधिकारी के नियंत्रक प्राधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोडल अधिकारियों को उपरोक्त के क्रम में तत्काल कार्यमुक्त करने का कष्ट करें
3. सम्बन्धित नोडल अधिकारी
4. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

10/1/2024
(धनन्जय शुक्ला)
विशेष सचिव।

| क्र0 | जनपद का नाम | नामित नोडल अधिकारी का नाम |
|---|---|---|
| 1 | आगरा | श्रीमती मंजू लता, अपर आयुक्त, आगरा मंडल, आगरा। |
| 2 | मैनपुरी | श्री घनश्याम सिंह, अपर आयुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ। |
| 3 | मथुरा | श्री राजेन्द्र पैंसिया, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। |
| 4 | फिरोजाबाद | श्री महेन्द्र प्रसाद, विशेष कार्याधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर। |
| 5 | प्रयागराज | श्री शेष मणि पाण्डेय, विशेष सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उत्तर प्रदेश शासन। |
| 6 | फतेहपुर | श्री आनन्द कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 7 | प्रतापगढ़ | श्री राम केवल, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। |
| 8 | कौशाम्बी | श्री अनुराग पटेल, विशेष सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। |
| 9 | कानपुर नगर | श्री प्रकाश बिन्दु, प्रबंध निदेशक, यूपीसिडको, लखनऊ। |
| 10 | कानपुर देहात | श्री राजेश कुमार-II, विशेष सचिव, खेल विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 11 | इटावा | श्री प्रेम प्रकाश मीणा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), कानपुर नगर। |
| 12 | फर्रुखाबाद | श्री शिव सहाय अवस्थी, विशेष सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। |
| 13 | कन्नौज | श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। |
| 14 | औरैया | श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवायें, कानपुर नगर |
| 15 | अयोध्या | श्री नीरज शुक्ला, अपर आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ। |
| 16 | बाराबंकी | श्री मधुसूदन हुल्गी, अपर परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 17 | सुल्तानपुर | श्री अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। |
| 18 | अम्बेडकर नगर | श्री भूपेन्द्र एस0 चौधरी, विशेष सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 19 | अमेठी | श्री राधेश्याम, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, लखनऊ |
| 20 | गोरखपुर | श्री रवीश गुप्ता, विशेष सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 21 | देवरिया | श्री टी0के0 शिबु, अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ |
| 22 | महाराजगंज | डा0 हीरा लाल, विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 23 | कुशीनगर | डा0 चन्द्र भूषण, विशेष सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 24 | झांसी | श्री कुणाल सिल्कु, विशेष सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 25 | जालौन | श्री राकेश चन्द्र शर्मा, विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 26 | ललितपुर | श्री राम सिंह वर्मा, मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ |

| | | |
|---|---|---|
| | लखनऊ | सुश्री नेहा जैन, विशेष सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 28 | हरदोई | श्री अभिषेक सिंह-II, विशेष सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 9 | लखीमपुर खीरी | श्री आलोक कुमार, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| [illegible] | रायबरेली | श्री उदय भानु त्रिपाठी, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 31 | सीतापुर | श्री प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव, विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 32 | उन्नाव | श्री सुनील कुमार वर्मा, विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उत्तर प्रदेश शासन |
| 33 | मेरठ | श्री संजय कुमार खत्री, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर। |
| 34 | बुलन्दशहर | श्री मनोज कुमार राय, विशेष सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 35 | गाजियाबाद | श्री आशुतोष कुमार द्विवेदी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर |
| 36 | गौतमबुद्ध नगर | सुश्री ईशा दुहन, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, गौतमबुद्ध नगर |
| 37 | बागपत | श्री हिमांशु गौतम, अपर आयुक्त, मेरठ मंडल, मेरठ |
| 38 | हापुड़ | श्री रमेश रंजन, मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 39 | बरेली | श्री देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा, विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 40 | बदांयू | श्री खेमपाल सिंह, विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। |
| 41 | पीलीभीत | श्री रजनीश चन्द्र, विशेष सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 42 | शाहजहांपुर | श्री गौरव वर्मा, विशेष सचिव, युवा कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 43 | मुरादाबाद | श्री सुनील कुमार चौधरी, विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 44 | बिजनौर | श्री हरिकेश चौरसिया, विशेष सचिव, आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 45 | रामपुर | श्री मनोज कुमार-II, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 46 | अमरोहा | श्री सतीश पाल, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर |
| 47 | संभल | श्री बृजेश कुमार, अपर आयुक्त, मुरादाबाद मंडल, मुरादाबाद। |
| 48 | वाराणसी | डा० अखिलेश कुमार मिश्रा, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 49 | गाजीपुर | श्री नरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उत्तर प्रदेश शासन |
| 50 | चन्दौली | श्री जगदीश, प्रबंध निदेशक उ०प्र० मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, लखनऊ |
| 51 | जौनपुर | श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 52 | आजमगढ़ | श्री अरुण प्रकाश, विशेष सचिव, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 53 | बलिया | श्री ओम प्रकाश वर्मा, विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उत्तर प्रदेश शासन |
| 54 | मऊ | श्री अटल कुमार राय, विशेष सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |

| | | |
|---|---|---|
| 55 | सहारनपुर | श्री [illegible] दुबे, विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। |
| 56 | मुजफ्फरनगर | श्री [illegible] कुमार-[illegible], अपर आयुक्त, बरेली |
| 57 | शामली | श्री [illegible] राम, अपर आयुक्त, सहारनपुर मंडल, सहारनपुर। |
| 58 | मिर्जापुर | श्री ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, अपर आयुक्त, आबकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज। |
| 59 | सोनभद्र | श्री ए० [illegible] कुमार, विशेष सचिव, प्राथमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 60 | भदोही | श्री राम सहाय यादव, विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उत्तर प्रदेश शासन |
| 61 | बस्ती | श्री [illegible], विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 62 | सिद्धार्थनगर | श्री दिव्यांशु पटेल, विशेष सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 63 | संत कबीर नगर | श्री रमेश चन्द्र, विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। |
| 64 | बांदा | डा० अरविन्द कुमार चौरसिया, विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 65 | चित्रकूट | श्री राजेन्द्र सिंह-II, विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उत्तर प्रदेश शासन |
| 66 | हमीरपुर | श्री शिव प्रसाद-I, विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 67 | महोबा | श्री उमाकान्त त्रिपाठी, अपर आयुक्त, झांसी मंडल, झांसी। |
| 68 | गोण्डा | श्री गिरिजेश कुमार त्यागी, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 69 | बहराइच | श्री ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ला, अपर निदेशक, सूडा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ |
| 70 | बलरामपुर | श्री बृजराज सिंह यादव, विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उत्तर प्रदेश शासन |
| 71 | श्रावस्ती | श्री महेन्द्र वर्मा, मिशन निदेशक, आयुष मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। |
| 72 | अलीगढ़ | श्री रवि रंजन, विशेष सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन |
| 73 | हाथरस | श्री शत्रोहन वैश्य, सचिव, विकास प्राधिकरण, कानपुर। |
| 74 | कासगंज | डा० कंचन शरण, अपर आयुक्त, अलीगढ मंडल, अलीगढ |
| 75 | एटा | श्री राजेश कुमार, अपर आयुक्त, आगरा मंडल, आगरा। |

# गोवंश संरक्षण अभियान चेकलिस्ट (नोडल अधिकारी हेतु )

| क0 सं0 | कार्य बिन्दु | कृत कार्यवाही |
|---|---|---|
| 1 | जनपद में निराश्रित गोवंश बाहुल्य क्षेत्र का आंकलन (गोवंश संख्या) | |
| 2 | जनपद में आवश्यक नये अस्थायी गोआश्रय स्थलों के निर्माण/आवश्यकता का आंकलन (निराश्रित गोवंश के सापेक्ष) | |
| 3 | नये बनाये गये अस्थायी गो आश्रय स्थल की संख्या | |
| 4 | निर्माणाधीन अस्थायी गोआश्रय स्थलों की संख्या | |
| 5 | पूर्व निर्मित अस्थायी गोआश्रय स्थलों की क्षमता विस्तार की आवश्यकता | |
| 6 | विस्तारित क्षमता (अस्थायी गो आश्रय स्थलों की क्षमता विस्तार–संख्यात्मक क्षमता) | |
| 7 | कैटिल कैचर की संख्या | |
| 8 | कैटिल कैचर हेतु आवश्यक ट्रैक्टर की संख्या | |
| 9 | कैटिल कैचर/ट्रैक्टर की अतिरिक्त आवश्यकता | |
| 10 | क्रय किये गये ट्रैक्टर (कैटिल कैचर हेतु) | |
| 11 | यदि ट्रैक्टर का क्रय नहीं किया गया है तो क्या किराये पर प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली गयी है? | |
| 12 | कैटिल कैचर के संचालन हेतु अ[illegible] धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है–हाँ/नहीं। | |
| 13 | क्या विकास खण्ड वार/तहसील वार विशेष दस्तों का गठन कर लिया गया है? | |
| 14 | दस्तों में संबंधित 06 विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्मिलित होने की स्थिति। | |
| 15 | जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक/मुख्य विकास अधिकारी/नगर आयुक्त/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय)/ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक कर ली गयी है? | |

2607466/2023/ -2

| | | |
|---|---|---|
| 16 | संबंधित विभागों से अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करने की स्थिति। | |
| 17 | संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा विभागीय स्तर पर बैठक कर अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सेंसेटाईज कर दिया गया है। | |
| 18 | वृहद गो संरक्षण केन्द्र यदि बनकर तैयार हो गया है तो उनको संचालित कर लिया गया है? | |
| 19 | अभियान के दौरान संरक्षित किये जाने वाले गोवंश के भरण-पोषण हेतु भूसा/चारा आदि की व्यवस्था। | |
| 20 | जनपद में चारागाहों/गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने की स्थिति | |
| 21 | उपलब्ध चारागाहों एवं कब्जा मुक्त चारागाहों पर बहुवर्षीय चाराघासों एवं अन्य चारा उत्पादन की स्थिति। | |
| 22 | ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड स्तरीय नोडल/सह नोडल नामित करने की स्थिति। | |
| 23 | नगरीय क्षेत्रों में नोडल/सह नोडल नामित करने की स्थिति। | |
| 24 | अन्य आवश्यक वित्तीय संसाधनों यथा एस0 एफ0सी0 पूलिंग व व्यय की स्थिति | |
| 25 | गो आश्रय स्थलों में रात्रि निवास करने वाले केयरटेकरों की नियुक्ति करने की स्थिति | |

हस्ताक्षर

नोडल अधिकारी का नाम एवं पदनाम

2607466/2023/ -2

जनपद -

निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान अंतर्गत गोवंश संरक्षण प्रगति

## प्रारूप 1 नगरीय क्षेत्र

| क्र.स | नगर निकाय का नाम | अवशेष निराश्रित गोवंश की संख्या | अभियान के दौरान सप्ताह में संरक्षित गोवंश की संख्या | अभियान के दौरान अतिरिक्त संरक्षित गोवंश की संख्या | पूर्व से संरक्षित गोवंश की संख्या | कुल संरक्षित गोवंश कि संख्या | संरक्षण हेतु अवशेष गोवंशो की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4 | 5 | 6(4+5) | 7(2-4) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

हस्ताक्षर

नोडल अधिकारी का नाम

पदनाम

2607466/2023/ -2

563/580

जनपद -

निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान अंतर्गत गोवंश संरक्षण प्रगति

## प्रारूप 2 ग्रामीण क्षेत्र

| क्र.सं | विकास खंड का नाम | अवशेष निराश्रित गोवंश की संख्या | अभियान के दौरान सप्ताह में संरक्षित गोवंश की संख्या | अभियान के दौरान क्रमिक संरक्षित गोवंश की संख्या | पूर्व से संरक्षित गोवंश की संख्या | कुल संरक्षित गोवंश कि संख्या | संरक्षण हेतु अवशेष गोवंशों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4+5) | 7(2-4) |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |

हस्ताक्षर
नोडल अधिकारी का नाम
पदनाम

2607466/2023/ -2

जनपद -

## विशेष गो संरक्षण अभियान के दौरान गठित विशेष दस्तं एवं कैटल कैचर की सूचना(नगरीय क्षेत्र)

### प्रारूप 3

| क्रम संख्या | नगरीय निकाय का नाम | अवशेष निराश्रित गोवंश की संख्या | कुल गठित विशेष दस्तों की संख्या (नगरीय क्षेत्र) | अभियान में लगे कुल कैटल कैचर की संख्या | ट्राली वाले कैटल कैचर की संख्या | ट्राली वाले कैटल कैचर हेतु क्रय किये गए की ट्रैक्टर संख्या | ट्रैक्टर संख्या जो क्रय किया जाना है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |

हस्ताक्षर<br>
नोडल अधिकारी का नाम<br>
पदनाम

565/580

2607466/2023/ -2

जनपद -

विशेष गो संरक्षण अभियान के दौरान गठित विशेष दस्ते एवं कैटल कैचर की सूचना(ग्रामीण क्षेत्र)

प्रारूप-4

| क्रम संख्या | विकास खण्ड का नाम | अवशेष निराश्रित गोवंश की संख्या | कुल गठित विशेष दस्तों की संख्या (ग्रामीण क्षेत्र) | अभियान में लगे कुल कैटल कैचर की संख्या | ट्राली वाले कैटल कैचर की संख्या | ट्राली वाले कैटल कैचर हेतु क्रय किये गए की ट्रैक्टर संख्या | ट्रैक्टर संख्या जो क्रय किया जाना है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |

हस्ताक्षर
नोडल अधिकारी का नाम
पदनाम

6

2200

Ai Edmal (to 7 - Google Sheets

जनपद -

प्रारूप-5

## विशेष गो संरक्षण अभियान के दौरान अस्थायी गो आश्रय स्थल निर्माण एवं विस्तारीकरण की सूचना

| नगरीय क्षेत्र | | | | | | | | | | ग्रामीण क्षेत्र | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम संख्या | नगर निकाय का नाम | अभियान के दौरान निराश्रित गोवंश संरक्षण का लक्ष्य | संरक्षण हेतु नए अस्थायी गो आश्रय स्थल निर्माण का लक्ष्य | शेड विस्तारीकरण का लक्ष्य. | लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति | | | | विकास खंड का नाम | अभियान के दौरान निराश्रित गोवंश संरक्षण का लक्ष्य | संरक्षण हेतु नए अस्थायी गो आश्रय स्थल निर्माण का लक्ष्य | शेड विस्तारीकरण का लक्ष्य | लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति | | | |
| | | | | | निर्मित | पूर्ति प्रतिशत | विस्तारित शेड संख्या | पूर्ति प्रतिशत | | | | | निर्मित | पूर्ति प्रतिशत | विस्तारित शेड संख्या | पूर्ति प्रतिशत |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |

नोट- 1. कालम संख्या- 3 एवं 10 में नये अस्थायी गो आश्रय स्थल के निर्माण का लक्ष्य अवशेष निराश्रित गोवंश की संख्या के 50 प्रतिशत (प्रति गो आश्रय स्थल 100 गोवंश क्षमता) के आधार पर भरा जाय।

2. कालम संख्या- 4 एवं 12 में विस्तारीकृत शेड का लक्ष्य 50 प्रतिशत (प्रति विस्तारित शेड 100 गोवंश क्षमता) के आधार पर भरा जाय।

हस्ताक्षर

नोडल अधिकारी का नाम

पदनाम

567/580

2607466/2023/ -2

## प्रारूप-6

| क्रम संख्या | विकास खंड / नगर निकाय का नाम | कुल गठित विशेष दस्तों की संख्या | दस्ता प्रभारी का नाम | दस्ता प्रभारी का मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |



हस्ताक्षर

नोडल अधिकारी का नाम

पदनाम

## प्रारूप-7

| क्रम संख्या | विकास खंड / नगर निकाय का नाम | गो आश्रय स्थल का नाम | रात्रि निवास हेतु नियुक्त केयर टेकर का नाम | केयर टेकर का मोबाइल नंबर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |

हस्ताक्षर
नोडल अधिकारी का नाम
पदनाम

# गोवंश संरक्षण अभियान चेकलिस्ट (नोडल अधिकारी हेतु )

| क्र0 सं0 | कार्य बिन्दु | कृत कार्यवाही |
|---|---|---|
| 1 | जनपद में निराश्रित गोवंश बाहुल्य क्षेत्र का आंकलन (गोवंश संख्या) | |
| 2 | जनपद में आवश्यक नये अस्थायी गोआश्रय स्थलों के निर्माण/आवश्यकता का आंकलन (निराश्रित गोवंश के सापेक्ष) | |
| 3 | नये बनाये गये अस्थायी गो आश्रय स्थल की संख्या | |
| 4 | निर्माणाधीन अस्थायी गोआश्रय स्थलों की संख्या | |
| 5 | पूर्व निर्मित अस्थायी गोआश्रय स्थलों की क्षमता विस्तार की आवश्यकता | |
| 6 | विस्तारित क्षमता (अस्थायी गो आश्रय स्थलों की क्षमता विस्तार–संख्यात्मक क्षमता) | |
| 7 | कैटिल कैचर की संख्या | |
| 8 | कैटिल कैचर हेतु आवश्यक ट्रैक्टर की संख्या | |
| 9 | कैटिल कैचर/ट्रैक्टर की अतिरिक्त आवश्यकता | |
| 10 | क्रय किये गये ट्रैक्टर (कैटिल कैचर हेतु) | |
| 11 | यदि ट्रैक्टर का क्रय नहीं किया गया है तो क्या किराये पर प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली गयी है? | |
| 12 | कैटिल कैचर के संचालन हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कर ली गयी है–हाँ/नहीं। | |
| 13 | क्या विकास खण्ड वार/तहसील वार विशेष दस्तों का गठन कर लिया गया है? सूची प्राप्त कर ली जाय। | |
| 14 | दस्तों में संबंधित 06 विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्मिलित होने की स्थिति। | |
| 15 | जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक/मुख्य विकास अधिकारी/नगर आयुक्त/प्रभारी अधिकारी (स्थानीय निकाय)/ग्राम्य विकास विभाग/ पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक कर ली गयी है? | |
| 16 | संबंधित विभागों से अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करने की स्थिति। | |
| 17 | संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा विभागीय स्तर पर बैठक कर | |

8

| | | |
|---|---|---|
| | अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सेंसेटाईज कर दिया गया है। | |
| 18 | वृहद गो संरक्षण केन्द्र यदि बनकर तैयार हो गया है तो उनको संचालित कर लिया गया है? | |
| 19 | अभियान के दौरान संरक्षित किये जाने वाले गोवंश के भरण–पोषण हेतु भूसा/चारा आदि की व्यवस्था। | |
| 20 | जनपद में चारागाहों/गोचर भूमि को कब्जा मुक्त कराने की स्थिति | |
| 21 | उपलब्ध चारागाहों एवं कब्जा मुक्त चारागाहों पर बहुवर्षीय चाराघासों एवं अन्य चारा उत्पादन की स्थिति। | |
| 22 | ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खण्ड स्तरीय नोडल/सह नोडल नामित करने की स्थिति। | |
| 23 | नगरीय क्षेत्रों में नोडल/सह नोडल नामित करने की स्थिति। | |
| 24 | अन्य आवश्यक वित्तीय संसाधनों यथा एस0 एफ0सी0 पूलिंग व व्यय की स्थिति | |
| 25 | गो आश्रय स्थलों में रात्रि निवास करने वाले केयरटेकरों की नियुक्ति करने की स्थिति | |

हस्ताक्षर

नोडल अधिकारी का नाम एवं पदनाम

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जनपद - | | | | | | | |
| निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान अंतर्गत गोवंश संरक्षण प्रगति | | | | | | | |
| प्रारूप 1 नगरीय क्षेत्र | | | | | | | |
| क्र.सं | नगर निकाय का नाम | अवशेष निराश्रित गोवंश की संख्या | अभियान के दौरान सप्ताह में संरक्षित गोवंश की संख्या | अभियान के दौरान क्रमिक संरक्षित गोवंश की संख्या | पूर्व से संरक्षित गोवंश की संख्या | कुल संरक्षित गोवंश कि संख्या | संरक्षण हेतु अवशेष गोवंशो की संख्या |
| | | | | | | 6(4+5) | 7(2-4) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

हस्ताक्षर

नोडल अधिकारी का नाम

पदनाम

2608253/2023/ -2

जनपद -

निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान अंतर्गत गोवंश संरक्षण प्रगति

प्रारूप 2 ग्रामीण क्षेत्र

| क्र.सं | विकास खंड का नाम | अवशेष निराश्रित गोवंश की संख्या | अभियान के दौरान सप्ताह में संरक्षित गोवंश की संख्या | अभियान के दौरान क्रमिक संरक्षित गोवंश की संख्या | पूर्व से संरक्षित गोवंश की संख्या | कुल संरक्षित गोवंश कि संख्या | संरक्षण हेतु अवशेष गोवंशो की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4+5) | 7(2-4) |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |

हस्ताक्षर

नोडल अधिकारी का नाम

पदनाम

प्रारूप-6

फेयर टेकर की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र

| क्रम संख्या | विकास खण्ड का नाम | संचालित गो आश्रय स्थल | रात्रि निवास हेतु नियुक्त केयर टेकर की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

हस्ताक्षर

नोडल अधिकारी का नाम

पदनाम

576/580

573/580

2608253/2023/ -2

| जनपद - | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| विशेष गो संरक्षण अभियान के दौरान गठित विशेष दस्ते एवं कैटल कैचर की सूचना(नगरीय क्षेत्र) | | | | | |
| प्रारूप 3 | | | | | |
| क्रम संख्या | नगरीय निकाय का नाम | अवशेष निराश्रित गोवंश की संख्या | कुल गठित विशेष दस्तों की संख्या (नगरीय क्षेत्र) | अभियान में लगे कुल कैटल कैचर की संख्या | कैटल कैचर की अतिरिक्त आवश्यकता |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

हस्ताक्षर

नोडल अधिकारी का नाम

पदनाम

11

जनपद -

विशेष गो संरक्षण अभियान के दौरान गठित विशेष दस्ते एवं कैटल कैचर की सूचना(ग्रामीण क्षेत्र)

प्रारूप-4

| क्रम संख्या | विकास खंड का नाम | अवशेष निराश्रित गोवंश की संख्या | कुल गठित विशेष दस्तों की संख्या (ग्रामीण क्षेत्र) | अभियान में लगे कुल कैटल कैचर की संख्या | ट्राली वाले कैटल कैचर की संख्या | ट्राली वाले कैटल कैचर हेतु क्रय किये गए की ट्रैक्टर संख्या | ट्रैक्टर संख्या जो क्रय किया जाना है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |

हस्ताक्षर

नोडल अधिकारी का नाम

पदनाम

2608253/2023/ -2

प्रारूप-7

केयर टेकर की स्थिति (नगरीय क्षेत्र)

| क्रम संख्या | नगर निकाय का नाम | संचालित गो आश्रय स्थल की संख्या | रात्रि निवास हेतु नियुक्त केयर टेकर की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |

हस्ताक्षर

नोडल अधिकारी का नाम

पदनाम

12

2211

सं0-14

1484
05/07/2024

महत्वपूर्ण / गोसंरक्षण

संख्या- 1469 / सैंतीस-2-2024-5(53)18टी0सी0-5

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 04 जुलाई, 2024

विषय-लखनऊ मण्डल में दिनांक 05.07.2024 से दिनांक 20.07.2024 तक विशेष निराश्रित गोवंश संरक्षण अभियान चलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु सरकार का दृढ संकल्प है। इस हेतु निराश्रित गोवंश को शत-प्रतिशत संरक्षित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-2562/सैंतीस-2-2023-5(53)18टी0सी0-5 दिनांक 31.10.2023 द्वारा दिनांक 01.11.2023 से दिनांक 31.12.2023 तक विशेष अभियान संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया था। अग्रेतर शासनादेश दिनांक 16.01.2024 द्वारा उक्त अभियान को दिनांक 31.01.2024 तक एवं शासनादेश दिनांक 29.01.2024 द्वारा उक्त अभियान को दिनांक 15.02.2024 तक बढ़ाया गया है। किन्तु विभिन्न माध्यमों द्वारा संज्ञान में लाया गया कि लखनऊ मण्डल के जनपदों में अभी भी अधिक मात्रा में निराश्रित गोवंश ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं।

2- अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ मण्डल के समस्त जनपदों में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर निराश्रित गोवंशों का शतप्रतिशत संरक्षण किया जाय, जिसके कम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

1. दिनांक 05 जुलाई, 2024 से 20 जुलाई, 2024 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान लखनऊ मण्डल के समस्त जनपदों में चलाया जाये, जिसमें पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग एवं पशुपालन विभाग के कर्मचारी/अधिकारी सम्मिलित होंगे। उक्त 6 विभागों की टीम द्वारा निराश्रित गोवंश को स्थानीय गो आश्रय स्थलों/केन्द्रों में संरक्षित किया जायेगा।

22 27

Scanned with ACE Scanner

2 जनपद मे विकास खण्डवार तथा नगरीय निकायवार निराश्रित गोवंश का आकलन कर लिया जाय।

3 प्रत्येक जनपद मे विकास खण्ड/तहसील/नगरीय/नगरीय निकायवार टीमें/दस्ते बनाकर अवशेष निराश्रित गोवंश का शतप्रतिशत संरक्षण किया जाये। नगरीय क्षेत्र मे प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय तथा ग्रामीण क्षेत्र मे मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी रहेगें।

4 अभियान के दौरान उपलब्ध कैटल-कैचर का उपयोग किया जाये।

5 वर्ष 2022-23 में स्वीकृत निर्माणाधीन वृहद गो संरक्षण केन्द्रो का निर्माण पूर्ण करा कर कियाशील किया जाये व आवश्यकतानुसार अस्थायी गो आश्रय स्थलों मे क्षमता विस्तार भी कराया जाये।

6 अभियान की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर ग्रामीण क्षेत्र मे मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर तथा नगरीय क्षेत्र में प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय/नगर आयुक्त एवं मुख्य विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्रत्येक बुद्धवार ईमेल द्वारा jdgaushala.up@gmail.com पर भेजी जायेगी।

7 पशुपालन निदेशालय स्तर पर केन्द्रीय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर से सघन मॉनिटरिंग की जायेगी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Ravinder
(रविन्द्र)
प्रमुख सचिव।
Date: 04-07-2024 15:23:27

संख्या-1469(1)/सैंतीस-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

Scanned with ACE Scanner

सं०-15

महत्वपूर्ण

संख्या 2102/सैंतीस-3-2024-5(53)18टी0सी0-5

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 07 अक्टूबर, 2024

विषय-सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु गोवंश के गले में रेडियम पट्टी लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि गोवंश के संरक्षण हेतु सरकार कटिबद्ध है। इस हेतु विस्तृत नीति का प्रख्यापन करते हुये, समय-समय पर निर्देश निर्गत किये गये हैं। समाचार पत्रों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य माध्यमों से शासन के संज्ञान में आया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जनपदीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों के समीप स्थित गांवों के पशुपालकों द्वारा पाले गये गोवंशों को चराने हेतु चारागाह तक ले जाने के दैरान, प्रायः गोवंशों को सड़क पार करना होता है। सड़क पार करने के दौरान, गोवंशों के वाहनों से टकरा जाने पर उनके चोटिल एवं दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही हैं।

2- शासनादेश संख्या 1438/सैंतीस-2-2019-5(53)/18टीसी-5 दिनांक 29 मई, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली, 2019 का प्रख्यापन किया गया है, जिसके अंतर्गत गठित कोष का उपयोग किये जाने के संबंध में प्रस्तर-8 में व्यवस्था की गई है कि "कोष का उपयोग गोवंश विषयक सभी आवश्यक व्ययों पर किया जायेगा, जो कि शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे, परन्तु निधि का उपयोग भूमि/वाहन क्रय, पुराना बकाया, ब्याज का भुगतान हेतु नहीं किया जायेगा तथा प्रस्तर-11(1) में आरक्षित कोष का गठन एवं उपयोग हेतु व्यवस्था की गई है कि "कोष में रू0 50 लाख की धनराशि आरक्षित रखी जायेगी। इस हेतु जिला स्तर पर एक आरक्षित कोष बनाया जायेगा, जिसका उपयोग आपदाग्रस्त घोषित होने पर, जिले में गोवंश के पालन-पोषण के प्रयोजन हेतु जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा।"

3- शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश गो संरक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली, 2019 अंतर्गत, गठित आरक्षित कोष में जमा धनराशि रू0 50 लाख से अधिक की धनराशि का उपयोग, गोवंशों के सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु राजमार्ग, जनपदीय मार्ग एवं अन्य मुख्य सड़कों के समीप स्थित गांवों के गोवंशो के गले में रेडियम पट्टी बांधे जाने के उद्देश्य से किया जायेगा।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या 2102(1)/सैंतीस-2-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
7- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

स०-16



महत्वपूर्ण/गो-सेवा

संख्या 2145/सैंतीस-2-2024-5(53)/2018टीसी-3

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, (प्रशासन एवं विकास)
पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 22अक्टूबर, 2024

विषय-प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित/संचालित गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण में साइलेज के उपयोग के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु सरकार का दृढ़ संकल्प है। इस हेतु शासनादेश संख्या 4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018 दिनांक 02-01-2019 द्वारा अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है।

2- पशुधन के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु वर्षभर बराबर हरे चारे की उपलब्धता अतिआवश्यक है, परन्तु हमारे प्रदेश में जलवायु विविधता एवं क्षेत्र की भौगोलिक विविधता के कारण हरे चारे की उपलब्धता नहीं हो पाती है। इस कारण पशुधन की उत्पादन एवं उत्पादकता के साथ स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वाभाविक है।

उल्लेखनीय है कि हरे चारे को एक निश्चित अवस्था में गड्ढे में दबाकर एनएरोबिक अवस्था में सुरक्षित रखने को इनसाइलिंग कहा जाता है। इस प्रकार जो वस्तु बनकर तैयार होती है उसे साइलेज कहते हैं। साइलेज बनाकर चारे को सुरक्षित रखने की पद्धति घास को सूखा कर रखने से अधिक अच्छा है। खराब मौसम में भी साइलेज बनाई जा सकती है।

3- एक अच्छी साइलेज का pH मान 3.5-4.2, साइलेज में शुष्क पदार्थ की 40% मात्रा तथा 25-30% ड्राई मैटर पाया जाता है। साइलेज बनाने के लिए ज्वार, मक्का की फसल उत्तम होती है। हरे चारे के अभाव में साइलेज से कमी पूरी होती है तथा व्यय भार भी कम होता है। वर्षा ऋतु में जब हे बनाना संभव नहीं होता है, तो साइलेज आसानी से बनाई जा सकती है। साइलेज सूखे चारे की अपेक्षा कम स्थान पर संरक्षित किया जा सकता है। साइलेज पौस्टिक अवस्था में 12-18 माह तक रखा जा सकता है, बशर्ते खोला न गया हो। यह जाड़े के दिनों में तथा चारे के अभाव में पशुओं को खिलाने हेतु उत्तम आहार है। साइलेज पशुओं को सालभर खिलाया जा सकता है। हरे चारे से बनाया गया साइलेज अपेक्षाकृत अधिक पाचक और पौष्टिक होने के कारण पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाता है तथा पशुओं को स्वस्थ भी रखता है।

4- शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि गोवंश के भरण-पोषण हेतु सूखा भूसा, हरा चारा एवं संकेन्द्रित आहार के सापेक्ष, कतिपय ऋतुओं में हरे चारे की अनुपलब्धता होने की दशा में बड़े गोवंश को औसत 3 कि०ग्रा० साईलेज, 02 कि०ग्रा० सूखा भूसा एवं ½ (आधा) से 01 कि०ग्रा० संकेन्द्रित आहार उपयोग में लाये जाने से जहाँ गोवंश के स्वास्थ्य एवं उपापचय में सुधार होगा, वहीं भूसे की कम आवश्यकता के कारण भण्डारण में भी सुविधा होगी तथा भरण-पोषण के आवश्यक अवयवों की उपलब्धता धनराशि रू0 50/- के अंतर्गत ही हो जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर साईलेज, हरा चारा, भूसा व दाना मिश्रण या किसी अन्य अवयव की उपलब्धता के आधार पर, उपरोक्त को कम या अधिक करने का निर्णय लिया जा सकता है। वशर्ते यह धनराशि रू0 50/- से कम न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि स्थानीय स्तर पर पशुओं के गोबर व अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का भी पशुओं को अत्यधिक पौष्टिक आहार देने में नवीन प्रयोग कर, किया जा सकता है।

5- इस: सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु उपर्युक्तानुसार साइलेज का उपयोग बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH" (के० रविन्द्र नायक)
Date: 22-10-2024 18:58:52 प्रमुख सचिव।

संख्या 2145(1)/सैतीस-2-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0शासन।
5- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
7- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या 715/सैंतीस-2-2025

प्रेषक,

के० रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 30 अप्रैल, 2025

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या ओ०ए० 394/2022 के संदर्भ में जारी आदेश दिनांक 13.08.2024 के क्रम में नियुक्त ओवरसाइट कमेटी की संस्तुतियों/आदेशों का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद संख्या ओ० ए० 394/2022 पुष्पेद्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा व अन्य में गठित ओवरसाइट कमेटी की संस्तुतियो के बिन्दु संख्या 8(i) में प्रदेश के समस्त गो आश्रय स्थलों में संरक्षित अभिलेखों की एकरूपता के दृष्टिगत सम्पूर्ण प्रदेश में एक समान प्रारूप पर पंजिकायें तैयार करके उनमें सूचनाएँ अभिलिखित करने की संस्तुति की गयी है।

2- प्रदेश के सभी गो आश्रय स्थलों तथा उनमें संरक्षित गोवंशों के रख-रखाव, भरण-पोषण एवं उपचार के संबंध में ऑनलाइन रियल टाईम मॉनिटरिंग हेतु गो आश्रय पोर्टल तथा केन्द्रीय परियोजना अनुश्रवण इकाई पशुपालन निदेशालय स्तर पर क्रियाशील है, जिसमें संबंधित गो आश्रय स्थलों के सचिव तथा पशु चिकित्साधिकारी/ मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा संगत सूचनायें ऑनलाइन प्रविष्ट कराई जा रही हैं। साथ ही गो आश्रय पोर्टल पर प्रदर्शित आंकड़ों तथा भौतिक पंजिकाओं में दर्ज आंकड़ों में एकरूपता बनाये रखना भी आवश्यक है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न प्रारूप-1, प्रारूप-2, प्रारूप-3, प्रारूप-4, प्रारूप-5 एवं प्रारूप-6 के अनुसार प्रदेश के समस्त गो आश्रय स्थलों में अभिलेखीकरण में एकरूपता के दृष्टिगत गोवंश/टैगिंग पंजिका, भूसा, हरा चारा तथा दाना-चोकर (संकेन्द्रित आहार) स्टॉक पंजिका, पशु उपचार पंजिका, टीकाकरण पंजिका, निरीक्षण/भ्रमण पंजिका तथा लेखा बही अभिलेख पंजिकाओं को प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर बनवाकर उनमें प्रारूप के अनुसार अद्यतन सूचनाएं तत्काल/शीर्ष प्राथमिकता पर दर्ज कराने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक-यथोपरि।**

भवदीय,

/

(के0 रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या 715(1)/सैंतीस-2-2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- समस्त अपर निदेशक ग्रेड-II पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

2219

सं० - 18

# अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), जालौन (उरई)।
Email Add.- eeoraidiv@gmail.com, Ph. (O) 05162-258025

पत्रांक 2213 / M-18 / 20 दिनांक- 28-7-2023

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद-जालौन।

विषयः- जल परीक्षण रिपोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 347/एस0टी0-सी0डी0ओ0/विविध पत्रा0/2023-24 दिनांक 27.04.2023 के अनुपालन में विकास खण्ड डकोर के ग्राम कुइया, बड़ागांव, मड़ोरा, बोहदपुरा एवं इकलासपुरा में गौशालाओं एवं 500 मीटर के आस-पास के क्षेत्र और उपरोक्तानुसार नगर पालिका परिषद कोंच एवं जालौन के गौशालाओं के पानी के नमूनों की जल परीक्षण रिपोर्ट आपके कार्यालय हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नः- जल परीक्षण रिपोर्ट प्रमाण पत्र।

भवदीय

(ए0के0 गुप्ता)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 व दिनांक-यथोपरि

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी महोदय, जनपद-जालौन।

2-सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।

अधिशासी अभियन्ता

# कार्यालय–मुख्य विकास अधिकारी, जनपद जालौन।

पत्रांक 347 /एसटी–सीडीओ/विविध पत्रा0/23–24 दिनांक 27 जुलाई, 2023

अधिशासी अभियन्ता,
जल निगम,
जनपद–जालौन।

---

जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 05–05 गौशालाओं और उसके 500 मीटर के अगल–बगल का पानी टेस्ट करा लिया जाये और इसी प्रकार नगर पंचायत में कोंच और जालौन की गौशालाओं का पानी और उसके 500 मी0 अगल–बगल का पानी टेस्ट करा लिया जाये कि वहाँ का पानी प्रदूषित तो नहीं है? इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है उपरोक्तानुसार स्थलों का पानी टेस्ट कर लें तथा इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वहाँ का पानी प्रदूषित तो नही है। वांछित सूचना दो दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कृपया इसे प्राथमिकता दी जाये।

27/7/2023

(भीमजी उपाध्याय)
मुख्य विकास अधिकारी
जनपद–जालौन।

पृ0सं0 :– दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि–जिलाधिकारी महोदया, जनपद जालौन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद–जालौन।

EE

J.E. Lab / Lab Asst

नियमानुसार कार्यवाही करें।

28.07.23
AE

7/8

# WATER TESTING LABORATORY

## Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

### Chemical analysis of Water

Report No. -
Date.....................

Village/Town...इकलासपुरा..........Code No..................Block..कदौर..........Distt-Jalaun

Water Source......हैण्डपम्प..नार.........................................Location.....गौशाला............

Name & Desination Of Sample Collector...छोटेराम........सैम्पल कलेक्टर.............

Date of Analysis. . . ...................................................................

| S.No. | Physical Examination | Unit | Test Result | Indian Standard Disirable limit | Indian Standard Permissable limit |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | | |
| 1- | Turbidity NTU | NTU | 2 | 1 | 5 |
| 2- | Colour | " | | 5 | 25 |
| 3- | Odour | " | | - | - |
| 4- | $P^H$ Value | " | 7.0 | 7.0 to 8.5 | <6.5 to >9.2 |
| 5- | Total dissolved solids | ppm | | 500 | 2000 |
| B | Chemical Analysis in | ppm | | | |
| 6- | Total Hardness as ($CaCO_3$) | " | 280 | 200 | 600 |
| a- | Calcium as (Ca) | " | | 75 | 200 |
| b- | Magnesium as (mg) | " | | 30 | 100 |
| 7- | Chlorides as (Cl) | " | 310 | 200 | 1000 |
| 8- | Sulphates as $SO_4$ | " | 220 | 200 | 400 |
| 9- | Fluorides as (F) | " | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
| 10- | Nitrates ($NO_3$) | " | 0 | 45 | <45 |
| 11- | Nitrite ($NO_2$) | " | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| 12- | Iron as (Fe) | " | | 0.1 | 0.3 |
| 13- | Residual Chlorine | " | | 0.2 | 1.0 |
| 14- | Alkalnity as ($CaCO_3$) | " | | 200 | 600 |
| a- | Phenolphtheline | " | | 0.01 | 0.05 |
| b- | Methyl Orange | " | | | |
| 15- | Arsanic as (As) | Micro mhu | | 0 | 0 |
| 16- | Conductivity | " | | 0 | 0 |
| 17- | Precence (By $H_2S$ Strip) | " | | | |
| 18- | E-Coli (MPN) 100ml | | | | |
| 19- | | | | | |
| 20- | | | | | |
| 21- | | | | | |
| 22- | | | | | |

Test Result.....Satisfactory.........................

मनोज कुमार
Chemist

A.E.

Remarks

J.E.

7/7

# WATER TESTING LABORATORY

Oral Khand U.P. Jal Nigam ...

Chemical analysis of Water

Report No. -

Village/Town..... वाड़ागाँव

Water Source . हैण्डपम्प .... वीर ........Code No. ............Block ............ Date ............

Name & Desination Of Sample Collector... हिरामणी ......... Location ...........

Date of Analysis ......

| S.No. | Physical Examination | Unit | Test Result | Indian Standard: Disirable limit | Permissible limit |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | | |
| 1- | Turbidity NTU | | | | |
| 2- | Colour | NTU | 3 | 1 | [illegible] |
| 3- | Odour | " | | 5 | [illegible] |
| 4- | P^H Value | " | | | |
| 5- | Total dissolved solids | " | 7.6 | 7.0 to 8.5 | [illegible] |
| | | ppm | | 500 | 2000 |
| B | Chemical Analysis in | ppm | | | |
| 6- | Total Hardness as (Caco₃) | " | 270 | 200 | 600 |
| a- | Calcium as (Ca) | " | | 75 | 200 |
| b- | Magnesium as (mg) | " | | 30 | 100 |
| 7- | Chlorides as (Cl) | " | 310 | 250 | 1000 |
| 8- | Sulphates as So₄ | " | 260 | 200 | 400 |
| 9- | Fluorides as (F) | " | 1.1 | 1.0 | 1.5 |
| 10- | Nitrates (NO₃) | " | 0 | 45 | <45 |
| 11- | Nitrite (NO₂) | " | | 0.1 | 1.0 |
| 12- | Iron as (Fe) | " | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 13- | Residual Chlorine | " | | 0.2 | 1.0 |
| 14- | Alkalnity as (CaCo₃) | " | | | |
| a- | Phenolphtheline | " | | | |
| b- | Methyl Orange | " | | 200 | 600 |
| 15- | Arsanic as (As) | " | | 0.01 | 0.05 |
| 16- | Conductivity | Micro mho | | | |
| 17- | Precence (By H₂S Strip) | " | | 0 | 0 |
| 18- | E-Coli (MPN) 100ml | " | | 0 | 0 |
| 19- | | | | | |
| 20- | | | | | |
| 21- | | | | | |
| 22- | | | | | |

Test Result.......Satisfactory.......

Remarks

J.E. A.E. मनोज कुमार Chemist

# WATER TESTING LABORATORY

## Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

## Chemical analysis of Water

Report No. -

Date,..................

Village/Town... मड़ोरा..................Code No.................Block....डकोर..........Distt.-Jalaun

Water Source... हैण्डपम्प बोर....................................Location.......[illegible]...........

Name & Desination Of Sample Collector.. छोटे राणा.......[illegible].......[illegible]...........

Date of Analysis.....................................

| S.No. A | Physical Examination | Unit | Test Result | Indian Standard Disirable limit | Permissable limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | Turbidity NTU | NTU | 2 | 1 | 5 |
| 2- | Colour | " | | 5 | 25 |
| 3- | Odour | " | | . | : |
| 4- | P^H Value | " | 7.2 | 7.0 to 8.5 | <8.5 to >9.2 |
| 5- | Total dissolved solids | ppm | | 500 | 2000 |
| B | Chemical Analysis in | ppm | | | |
| 6- | Total Hardness as ($CaCO_3$) | " | 260 | 200 | 600 |
| a- | Calcium as (Ca) | " | | 75 | 200 |
| b- | Magnesium as (mg) | " | | 30 | 100 |
| 7- | Chlorides as (Cl) | " | 350 | 200 | 1000 |
| 8- | Sulphates as $SO_4$ | " | 250 | 200 | 400 |
| 9- | Fluorides as (F) | " | 1.1 | 1.0 | 1.5 |
| 10- | Nitrates ($NO_3$) | " | 0 | 45 | <45 |
| 11- | Nitrite ($NO_2$) | " | | 0.1 | 1.0 |
| 12- | Iron as (Fe) | " | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 13- | Residual Chlorine | " | | 0.2 | 1.0 |
| 14- | Alkalnity as ($CaCO_3$) | " | | | |
| a- | Phenolphtheline | " | | | |
| b- | Methyl Orange | " | | 200 | 600 |
| 15- | Arsanic as (As) | " | | 0.01 | 0.05 |
| 16- | Conductivity | Micro mho | | | |
| 17- | Precence (By $H_2S$ Strip) | " | | 0 | 0 |
| 18- | E-Coli (MPN) 100ml | " | | 0 | 0 |
| 19- | | | | | |
| 20- | | | | | |
| 21- | | | | | |
| 22- | | | | | |

Test Result....Satisfactory..............

[illegible] [illegible] मनोज कुमार

# WATER TESTING LABORATORY

## Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

### Chemical analysis of Water

Report No. .

Village/Town.. गोहौन नगर ..........Code No.................Block.........................Distt.-Jalaun

Water Source... हैण्डपम्प बोर ..........................................Location.....गौशाला..............

Name & Desination Of Sample Collector....... [illegible] ..........

Date of Analysis ..........................................

| S.No. A | Physical Examination | Unit | Test Result | Indian Standard Disirable limit | Indian Standard Permissable limit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | Turbidity NTU | NTU | 2 | 1 | 5 |
| 2- | Colour | " | | 5 | 25 |
| 3- | Odour | " | | - | - |
| 4- | P[H] Value | " | 7.7 | 7.0 to 8.5 | <8.5 to >9.2 |
| 5- | Total dissolved solids | ppm | | 500 | 2000 |
| B | Chemical Analysis in | ppm | | | |
| 6- | Total Hardness as ($CaCo_3$) | " | 310 | 200 | 600 |
| a- | Calcium as (Ca) | " | | 75 | 200 |
| b- | Magnesium as (mg) | " | | 30 | 100 |
| 7- | Chlorides as (Cl) | " | 360 | 200 | 1000 |
| 8- | Sulphates as $So_4$ | " | 300 | 200 | 400 |
| 9- | Fluorides as (F) | " | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
| 10- | Nitrates ($NO_3$) | " | 0 | 45 | <45 |
| 11- | Nitrite ($NO_2$) | " | | 0.1 | 1.0 |
| 12- | Iron as (Fe) | " | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 13- | Residual Chlorine | " | | 0.2 | 1.0 |
| 14- | Alkalnity as ($CaCo_3$) | " | | | |
| a- | Phenolphtheline | " | | | |
| b- | Methyl Orange | " | | 200 | 600 |
| 15- | Arsanic as (As) | " | | 0.01 | 0.05 |
| 16- | Conductivity | Micro mho | | | |
| 17- | Presence (By $H_2S$ Strip) | " | | 0 | 0 |
| 18- | E-Coli (MPN) 100ml | " | | 0 | 0 |
| 19- | | | | | |
| 20- | | | | | |
| 21- | | | | | |
| 22- | | | | | |

Test Result .. Satisfactory ..........................

Remarks

J.E.

A.E.

मनोज कुमार

Chemist

# WATER TESTING LABORATORY

## Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

## Chemical analysis of Water

Report No. -

Date.........

Village/Town.......कोंच नगर.........Code No.................Block.........................Distt-Jalaun

Water Source.....हैण्डपम्प.....बोर.............................Location..........मोहल्ला...........

Name & Desination Of Sample Collector....छोटेराम्पा.......सैम्पल.....कलेक्टर...........

Date of Analysis.. ..................................

| S.No. | Physical Examination | Unit | Test Result | Indian Standard Disirable limit | Indian Standard Permissable limit |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | | 5 |
| 1- | Turbidity NTU | NTU | 3 | 1 | 25 |
| 2- | Colour | " | | 5 | |
| 3- | Odour | " | | | <6.5 to>9.2 |
| 4- | PH Value | " | 7.3 | 7.0 to 8.5 | 2000 |
| 5- | Total dissolved solids | ppm | | 500 | |
| B | Chemical Analysis in | ppm | | | 600 |
| 6- | Total Hardness as ($CaCO_3$) | " | 240 | 200 | 200 |
| a- | Calcium as (Ca) | " | | 75 | 100 |
| b- | Magnesium as (mg) | " | | 30 | 1000 |
| 7- | Chlorides as (Cl) | " | 320 | 200 | 400 |
| 8- | Sulphates as $SO_4$ | " | 230 | 200 | 1.5 |
| 9- | Fluorides as (F) | " | 1.2 | 1.0 | <45 |
| 10- | Nitrates ($NO_3$) | " | 0 | 45 | 1.0 |
| 11- | Nitrite ($NO_2$) | " | | 0.1 | 0.3 |
| 12- | Iron as (Fe) | " | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| 13- | Residual Chlorine | " | | 0.2 | |
| 14- | Alkalnity as ($CaCO_3$) | " | | | |
| a- | Phenolphtheline | " | | 200 | 600 |
| b- | Methyl Orange | " | | 0.01 | 0.05 |
| 15- | Arsanic as (As) | Micro mho | | | |
| 16- | Conductivity | " | | 0 | 0 |
| 17- | Precence (By $H_2S$ Strip) | " | | 0 | 0 |
| 18- | E-Coli (MPN) 100ml | | | | |
| 19- | | | | | |
| 20- | | | | | |
| 21- | | | | | |
| 22- | | | | | |

Test Result....Satisfactory.................

Remarks

J.E. A.E. मनोज कुमार Chemist

# WATER TESTING LABORATORY

## Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

## Chemical analysis of Water

Report No -

Village/Town ऊइया .......... Code No .......... Date ..........

Water Source हैण्डपम्प मोर .......... Block डकोर .......... Distt-Jalaun

Name & Desination Of Sample Collector .......... छोटेराम्या .......... Location .......... गोशाला ..........

Date of Analysis .......... सैम्पल .......... कलेक्टर ..........

| S.No. | Physical Examination | Unit | Test Result | Indian Standard | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | | | Disirable limit | Permissable limit |
| 1- | Turbidity NTU | NTU | 2 | 1 | 5 |
| 2- | Colour | " | | 5 | 25 |
| 3- | Odour | " | | - | - |
| 4- | PH Value | " | 7.4 | 7.0 to 8.5 | <6.5 to >9.2 |
| 5- | Total dissolved solids | ppm | | 500 | 2000 |
| B | Chemical Analysis in | ppm | | | |
| 6- | Total Hardness as ($CaCO_3$) | " | 240 | 200 | 600 |
| a- | Calcium as (Ca) | " | | 75 | 200 |
| b- | Magnesium as (mg) | " | | 30 | 100 |
| 7- | Chlorides as (Cl) | " | 330 | 200 | 1000 |
| 8- | Sulphates as $SO_4$ | " | 270 | 200 | 400 |
| 9- | Fluorides as (F) | " | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| 10- | Nitrates ($NO_3$) | " | 0 | 45 | <45 |
| 11- | Nitrite ($NO_2$) | " | | 0.1 | 1.0 |
| 12- | Iron as (Fe) | " | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| 13- | Residual Chlorine | " | | 0.2 | 1.0 |
| 14- | Alkalnity as ($CaCO_3$) | " | | | |
| a- | Phenolphtheline | " | | | |
| b- | Methyl Orange | " | | 200 | 600 |
| 15- | Arsenic as (As) | " | | 0.01 | 0.05 |
| 16- | Conductivity | Micro mho | | | |
| 17- | Presence (By $H_2S$ Strip) | " | | 0 | 0 |
| 18- | E-Coli (MPN) 100ml | " | | 0 | 0 |
| 19- | | | | | |
| 20- | | | | | |
| 21- | | | | | |
| 22- | | | | | |

Test Result Satisfactory

Remarks

J.E. A.E. मनोज कुमार Chemist

# WATER TESTING LABORATORY

Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No

Village/Town बोहदपुरा Code No ........ Block डकोर Date ........ Distt.-Jalaun

Water Source हैंडपंप बोर ........ Location औरगाबा

Name & Desination Of Sample Collector इंदु रामा मैकर डकोर

Date of Analysis

| S.No. A | Physical Examination | Unit | Test Result | Indian Standard | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Distrable limit | Permissable limit |
| 1- | Turbidity NTU | NTU | 2 | 1 | 5 |
| 2- | Colour | " | | 5 | 25 |
| 3- | Odour | " | | - | - |
| 4- | P^H Value | " | 7.5 | 7.0 to 8.5 | <6.5 to >9.2 |
| 5- | Total dissolved solids | ppm | | 500 | 2000 |
| B | Chemical Analysis in | ppm | | | |
| 6- | Total Hardness as (Caco3) | " | 310 | 200 | 600 |
| a- | Calcium as (Ca) | " | | 75 | 200 |
| b- | Magnesium as (mg) | " | | 30 | 100 |
| 7- | Chlorides as (Cl) | " | 320 | 230 | 1000 |
| 8- | Sulphates as So4 | " | 270 | 200 | 400 |
| 9- | Fluorides as (F) | " | 1.2 | 1.0 | 1.5 |
| 10- | Nitrates (NO3) | " | 0 | 45 | <45 |
| 11- | Nitrite (NO2) | " | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| 12- | Iron as (Fe) | " | | 0.1 | 0.3 |
| 13- | Residual Chlorine | " | | 0.2 | 1.0 |
| 14- | Alkalnity as (CaCo3) | " | | | |
| a- | Phenolphtheline | " | | 200 | 600 |
| b- | Methyl Orange | " | | 0.01 | 0.05 |
| 15- | Arsenic as (As) | Micro mho | | | |
| 16- | Conductivity | " | | 0 | 0 |
| 17- | Precence (By H2S Strip) | " | | 0 | 0 |
| 18- | E-Coli (MPN) 100ml | | | | |
| 19- | | | | | |
| 20- | | | | | |
| 21- | | | | | |
| 22- | | | | | |

Test Result Satisfactory

Remarks

J.E.

A.E.

मनोज कुमार

Chemist

SPECTRO®
Research Lab Ventures (P) Ltd.



# TEST REPORT

Test Report Issued To

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE**
U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH, INDIA

Test Report No: [illegible]
Date of Issue: 23-Aug-2023
Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: 18-Aug-2023
Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54561

Sample Description :

KANHA GAUSHALA, NAGAR PALIKA PARISHAD, KONCH, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: aiayjuly26@gmail.com Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx) : NA Sample Size (Approx) : NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784510000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.



78/28

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
Date of completion of testing: 23.08.2023

| Sl.No. | Test Parameter | Observed Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| 1. | C.O.D, mg/l | 18 | IS:3025(P-58)-2006 |
| 2. | B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l | 4 | IS:3025(P-44)-1993 |

******End of report******

– End of Test Report –

ULR-TC784519000057012F

Analyst Signature

Testing(TC-7845)

Authorised Signatory



78/27

SPECTRO®
...ch Lab Ventures (P) Ltd.



# TEST REPORT

Report Issued To:

...FFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH, INDIA

Test Report No: K191004012/K191004012-1

Date of Issue: 23-Aug-2023

Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: [illegible]
Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54562

Sample Description :

KANHA GAUSHALA, NAGAR PANCHAYAT, NADIGAON, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: ajayjuly26@gmail.com Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx) : NA Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY: THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authencity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Bali Industrial Area, Near Panki Site-IV, Kanpur-208020(India)
Phone.:+91-0235503084/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com || Email: knp@spectro.in
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory
Please refer to our Website http://www.spectro.in/spectro-policies.html for Terms & Condition

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
Date of completion of testing: 23.08.2023

| Sl.No. | Test Parameter | Observed Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| 1. | C.O.D, mg/l | 17 | IS:3025(P-58)-2006 |
| 2. | B.O.D (5 days) at $20^0$C, mg/l | 3 | IS:3025(P-44)-1993 |

******End of report******

– End of Test Report –

ULR-TC784519000057012F

Analyst Signature

Testing(TC-7845)

Authorised Signatory

ECTRO®
...h Lab Ventures (P) Ltd.



# TEST REPORT

...rt Issued To

...FICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH, INDIA

Test Report No: K191004012/K1910040-12-1
Date of Issue: 23-Aug-2023

Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: 18-Aug-2023
Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54563

Sample Description:

ASTHAI GAUSHALA,VILL.- BHADARI, VIKAS KHAND, KONCH, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention: MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: ajayjuly26@gmail.com Contact No: 7237830980

Sample Condition: *NA*

Sample Quantity (Approx): *NA* Sample Size (Approx): *NA*

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authencity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
Date of completion of testing: 23.08.2023

| SL.No. | Test Parameter | Observed Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| 1. | C.O.D, mg/l | 16 | IS:3025(P-58)-2006 |
| 2. | B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l | 4 | IS:3025(P-44)-1993 |

******End of report******

– End of Test Report –

ULR-TC784519000057012F

Analyst Signature

Testing(TC-7845)

Authorised Signatory

2234

**[SP]ECTRO®**
[Research] Lab Ventures (P) Ltd.



# TEST REPORT

[Report] Issued To:

[OFF]ICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
[U].P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH,
[I]NDIA

Test Report No: K191004012/K1910040121
Date of Issue: 23-Aug-2023

Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: 18-Aug-2023
Date of Completion of Test: 22-Aug-2023

Customer Relationship Number 54564

**Sample Description :**

ASTHAI GAUSHALA,VILL.- BABAI, VIKAS KHAND, JALAUN; DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: ajayjuly26@gmail.com Contact No: 7237830980

Sample Condition : *NA*

Sample Quantity (Approx) : *NA* Sample Size (Approx) : *NA*

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED.

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authencity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.



78/22

# TEST REPORT

| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| --- | --- | --- |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

ECTRO®
ch Lab Ventures (P) Ltd.

Format No:SRL/TRF/GEN
Issue No.01, Issue Date:01-04-2017


# TEST REPORT

Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH, INDIA

Test Report No: K191004012/K191004012-1
Date of Issue: 23-Aug-2023

Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: 18-Aug-2023
Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54565

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA,VILL.- AINDHA, VIKAS KHAND, DAKOR, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer).

E-Mail: ajayjuly26@gmail.com Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx): NA Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authencity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.



7B/20

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
Date of completion of testing: 23.08.2023

| Sl.No. | Test Parameter | Observed Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| 1. | C.O.D, mg/l | 16 | IS:3025(P-58)-2006 |
| 2. | B.O.D (5 days) at 20⁰C, mg/l | 3 | IS:3025(P-44)-1993 |

******End of report******

– End of Test Report –

ULR-TC784519000057012F

Analyst Signature

Testing(TC-7845)

Authorised Signatory

SPECTRO® Research Lab Ventures (P) Ltd.

Format No:SRL/TRF/GEN
Issue No.01, Issue Date:01-04-2017
Page 1 of 2

# TEST REPORT

Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH, INDIA

Test Report No: K191004012/K191004012-1
Date of Issue: 23-Aug-2023
Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: 18-Aug-2023
Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54566

Sample Description :

KANHA GAUSHALA, NAGAR PALIKA, JALAUN, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No.

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: aizyjuly26@gmail.com Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx): NA Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED.

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authencity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.



7B/18

ID –K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
Date of completion of testing: 23.08.2023

| Sl.No. | Test Parameter | Observed Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| 1. | C.O.D, mg/l | 18 | IS:3025(P-58)-2006 |
| 2. | B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l | 3 | IS:3025(P-44)-1993 |

******End of report******

– End of Test Report –

ULR-TC784519000057012F

Analyst Signature

Testing(TC-7845)

Authorised Signatory



7B/17

SPECTRO® Research Lab Ventures (P) Ltd.



# TEST REPORT

Report Issued To

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH, INDIA

Test Report No: K191004012/K191004012-1
Date of Issue: 23-Aug-2023

Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: 18-Aug-2023
Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54567

Sample Description :

KANHA GAUSHALA, NAGAR PALIKA, ORAI, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: ajayjuly26@gmail.com Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx) : NA Sample Size (Approx) : NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authencity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.



7B/16

# TEST REPORT

Report Issued To

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH, INDIA

Test Report No: K191004012/K191004012-1
Date of Issue: 23-Aug-2023

Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: 18-Aug-2023
Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54568

Sample Description :

KANHA GAUSHALA, NAGAR PALIKA, KALPI, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar.Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: akmjuly26@gmail.com Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx) : NA Sample Size (Approx) : NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.



7B/14

ID -K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
Date of completion of testing: 23.08.2023

| Sl.No. | Test Parameter | Observed Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| 1. | C.O.D, mg/l | 19 | IS:3025(P-58)-2006 |
| 2. | B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l | 2 | IS:3025(P-44)-1993 |

******End of report******

– End of Test Report –

ULR-TC784519000057012F

Analyst Signature

Testing(TC-7845)

Authorised Signatory



78/13

# TEST REPORT

Report Issued To

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH, INDIA

Test Report No: K101004012/K101004012-1
Date of Issue: 23-Aug-2023

Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: 18-Aug-2023
Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54569

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA, NAGAR PANCHAYAT, KOTRA, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: ajayjuly26@gmail.com Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx): NA Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784510000057012F

Authencity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.



7B/12

2244

# TEST REPORT

| S. No. | Test Parameter | Observed Value | Test Method |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [illegible] mg/l | 18 | [illegible] |
| 2 | [illegible] mg/l | 5 | [illegible] |

********End of report********

-- End of Test Report --

Analyst Signature

Authorized Signatory

ID –K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
Date of completion of testing: 23.08.2023

| Sl. No. | Test Parameter | Observed Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| 1. | C.O.D, mg/l | 17 | IS:3025(P-58)-2006 |
| 2. | B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l | 3 | IS:3025(P-44)-1993 |

******End of report******

– End of Test Report –

ULR-TC784519000057012F

Analyst Signature

Testing(TC-7845)

Authorised Signatory

Date of start of testing: 18.08.2023
Date of completion of testing: 23.08.2023

| ...rameter | Observed Value | Test Method |
|---|---|---|
| ..., mg/l | 16 | IS:3025(P-58)-2006 |
| ...5 days) at 20°C, mg/l | 3 | IS:3025(P-44)-1993 |

******End of report******

– End of Test Report –

ULR-TC784519000057012F

Authorised Signatory

ECTRO® Lab Ventures (P) Ltd.

# TEST REPORT

Report Issued To

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH, INDIA

Test Report No: K1810040121K1810040121

Date of Issue: 23-Aug-2023

Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: 18-Aug-2023
Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54570

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA, SHAKKAR MILLE, DIKAULI, MADHOGARH, NAGAR PANCHAYAT, MADHOGARH, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: ajayjuly26@gmail.com Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx) : NA Sample Size (Approx) : NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC704519000057012F

Authencity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

ECTRO®
Lab Ventures (P) Ltd.

Format No:SRL/TRF/GEN
Issue No:01, Issue Date:01-04-2017
Page 1 of 2

# TEST REPORT

...rt Issued To:

**...FICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE**
U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH, INDIA

Test Report No: K191004012/K191004012.1
Date of Issue: 23-Aug-2023
Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: 18-Aug-2023
Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54571

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA,VILL.- KAITHAVA, VIKAS KHAND, KUTHOND, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-10/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: aicyjuh/26@gmail.com Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx): NA Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authencity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

...TRO
... Ventures (P) Ltd.
...PTC031472

# TEST REPORT



ID -K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
Date of completion of testing: 23.08.2023

| Sl.No. | Test Parameter | Observed Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| 1. | C.O.D, mg/l | 18 | IS:3025(P-58)-2006 |
| 2. | B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l | 4 | IS:3025(P-44)-1993 |

******End of report******

– End of Test Report –

ULR-TC784519000057012F

...nalyst Signature

Testing(TC-7845)

Authorised Signatory



7B/7

...CTRO®
...ab Ventures (P) Ltd.



# TEST REPORT

...ssued To"

...CE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
..., JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH,
...NDIA

Test Report No: K191004012/K191004012-1
Date of Issue: 23-Aug-2023

Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: 18-Aug-2023
Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54572

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA,VILL- BHAGAURA, VIKAS KHAND, MAHEWA, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: ajayjuly26@gmail.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition :-NA

Sample Quantity (Approx) : NA

Sample Size (Approx) : NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

ULR-TC784519000057012F

Report Issued By

Authencity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in
This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
Date of completion of testing: 23.08.2023

| S. No. | Test Parameter | Observed Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| 1. | C.O.D, mg/l | 19 | IS:3025(P-58)-2006 |
| 2. | B.O.D (5 days) at 20$^0$C, mg/l | 4 | IS:3025(P-44)-1993 |

******End of report******

– End of Test Report –

ULR-TC784519000057012F

Analyst Signature

Testing(TC-7845)

Authorised Signatory

CTRO®
...b Ventures (P) Ltd.

Format No:SRL/TRF/GEN
Issue No:01, Issue Date:01-04-2017


# TEST REPORT

...ed to
...OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
...AL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH,

| | |
|---|---|
| Test Report No | K1910040012/K1910040012-1 |
| Date of Issue | 23-Aug-2023 |
| Sample Booking/Receipt Date | 18-Aug-2023 |
| Date of Start of Testing | 18-Aug-2023 |
| Date of Completion of Test | 23-Aug-2023 |

Customer Relationship Number 54573

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA,VILL.- MAJITH, VIKAS KHAND, RAMPURA, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: ajayjuly26@gmail.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition : *NA*

Sample Quantity (Approx) : *NA*

Sample Size (Approx) : *NA*

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

ULR-TC704510000057012F

**Report Issued By**

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Bali Industrial Area, Near Panki Site-IV,Kanpur-208020(India)
Phone :+91-9235503984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com || Email: knp@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website http://www.spectro.in/spectro-policies.html for Terms & Condition

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
Date of completion of testing: 23.08.2023

| Sl.No. | Test Parameter | Observed Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| 1. | C.O.D, mg/l | 16 | IS:3025(P-58)-2006 |
| 2. | B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l | 3 | IS:3025(P-44)-1993 |

******End of report******

– End of Test Report –

ULR-TC784519000057012F

...alyst Signature

Testing(TC-7845)

Authorised Signatory

2254

ECTRO®
Lab Ventures (P) Ltd.

Format No:SRL/TRF/GEN
Issue No.01, Issue Date:01-04-2017


# TEST REPORT

Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH, INDIA

Test Report No: K191004012/K191004012-1

Date of Issue: 23-Aug-2023

Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: 18-Aug-2023
Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54574

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA,VILL.- CHAMARI, VIKAS KHAND, KADAURA, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: aizyjuly26@gmail.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx) : NA

Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authencity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.



78/2

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
Date of completion of testing: 23.08.2023

| Sl. No. | Test Parameter | Observed Value | Test Method |
|---|---|---|---|
| 1. | C.O.D, mg/l | 15 | IS:3025(P-58)-2006 |
| 2. | B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l | 2 | IS:3025(P-44)-1993 |

******End of report******

...yst Signature

Testing(TC-7845)

– End of Test Report –

ULR-TC784519000057012F

Authorised Signatory

/72/2023 ...
30.8.2023

सं० – 19

महत्वपूर्ण

संख्या–2104 / सैंतीस–2–2023

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0
2. निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक– 30 अगस्त, 2023

विषयः– निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु स्थापित गो आश्रय स्थलों / संरक्षण केन्द्रों पर पर्यावरणीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में गाइडलाइंस

महोदय,

उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 20 वी पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 190.3 लाख गोवंश थे। कृषि कार्य में मशीनीकरण के प्रयोग से स्वदेशी / अवर्णित गोवंश के नर वत्स के अनुपयोगी हो जाने के कारण पशुपालक इन्हें निराश्रित छोड़ देते हैं। ये निराश्रित गोवंश अनियंत्रित होकर प्रजनन द्वारा अनुपयोगी / कम उत्पादकता के गोवंश की उत्पत्ति करते हैं, जिसके फलस्वरूप निराश्रित गोवंशों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती हैं। प्रदेश में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम–1955 (यथा संशोधित–2000) लागू हैं, जिसके अन्तर्गत गोवध पर प्रभावी तरीके से प्रतिबन्ध लगाया गया हैं तथा सम्प्रति प्रदेश में लगभग 14 लाख निराश्रित गोवंश हैं।

2. निराश्रित गोवंशों की संख्या में कमी लाने एवं इनके संरक्षण तथा भरण–पोषण हेतु शासनादेश संख्या–4324 / सैंतीस–2–2018–5(53) / 2018, दिनांक 02.01.2019 द्वारा अस्थायी गो आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है कि पशुअतिचार अधिनियम–1871 (संशोधित–21 अगस्त, 1996) में दिये गये प्राविधानों व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम–1960 की धारा–4 के अधीन स्थापित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश पत्रांक–9–3 / 2018–19 / पी0सी0ए0, दिनांक 12 जुलाई, 2018 के अनुसार निराश्रित पशुओं के संरक्षण एवं भरण–पोषण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है। नीति के अन्तर्गत यह भी प्राविधानित है कि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी सम्पूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना, व्यवस्था एवं प्रबन्धन, संचालन स्थानीय निकाय द्वारा की जायेगी। शासनादेश दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रख्यापित नीति के उक्त के कम में निर्गत मार्गदर्शी निर्देश दिनांक 28.01.2019 में गो आश्रय स्थलों हेतु भूमि का चिन्हांकन एवं समतलीकरण, गोवंशों हेतु स्थान के मानक, स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, पर्यावरणीय व्यवस्था एवं मृत गोवंशों के अन्तिम संस्कार हेतु सम्बन्धित विभागों को सुस्पष्ट दायित्व दिये गये हैं।

3. निराश्रित गो आश्रय स्थल अस्थायी प्रकृति के (कभी भी सम्पूर्णतया हटाने योग्य) हैं। यह स्थल कोई व्यवसायिक केन्द्र न होकर शेल्टर मात्र है, जिन पर निराश्रित गोवंश के

De-minimis जीवन निर्वाह की कल्याणकारी व्यवस्था है। अतः केन्द्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन्स, जो गोशालाओं/डेयरी फार्म के निमित्त है, के अनुसार इनकी स्थापना से पूर्व अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है। अधिकांश गो आश्रय स्थलों में 200 से कम गोवंश संरक्षित हैं। अतः कम संख्या में गोवंश होने के कारण गोवंश आश्रय स्थलो में गोबर, गोमूत्र एवं चारे के अपशिष्ट कम मात्रा में उत्पादित होते हैं, तथा उत्पादित होने वाले इन अपशिष्टों को कम्पोस्ट के रूप में उसी स्थल पर उपयोग में ले लिया जाता है। अतः इन आश्रय स्थलों में उत्पादित अपशिष्ट का पर्यावरणीय प्रभाव नगण्य है।

4. केन्द्रीय प्रदूषण कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा जुलाई, 2020 में डेयरी फार्म एवं गोशालाओं में पर्यावरणीय प्रबन्धन हेतु गाइडलाइन्स निर्गत की गयी है। गो आश्रय स्थल कभी भी सम्पूर्णतया हटाने योग्य शेल्टर मात्र है। ये कोई उद्यम अथवा व्यवसायिक केन्द्र नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण हेतु स्थापित/संचालित गो आश्रय स्थलों में पर्यावरण प्रबन्धन हेतु निम्नानुसार गाइडलाइन्स निर्गत की जा रही है:–

(1) <u>ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन–</u>

1.1 प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर नियमित रूप से गोबर का उठान किया जाय और फर्श की साफ–सफाई सुनिश्चित की जाय। गो आश्रय स्थल के आस–पास के क्षेत्रों पर भी साफ–सफाई की जाय कि ताकि किसी प्रकार की आवांछित दुर्गन्ध न हो

1.2 गो आश्रय स्थलों और आस–पास के क्षेत्र को साफ रखने हेतु नियमित अंतराल पर चूने आदि का छिड़काव किया जाय।

1.3. बचा हुआ चारा, भूसा एवं बिछावन को इकठठा करके पिट कम्पोस्टिंग की जाय।

1.4. गो आश्रय स्थलों में उत्पादित बायोमेडिकल वेस्ट को (वैक्सीन, दवा की खाली शीशियां, सीरिंज इत्यादि) पशुचिकित्सा अधिकारी अपने साथ ले जायें और सी0पी0सी0बी0 की गाइडलाइन्स में "Solid Waste Management Rules- 2016" के अनुसार निस्तारित किया जाय।

1.5. गो आश्रय स्थलों पर उत्पादित गोबर और बचे हुए चारे को जल निकासी के साथ न बहाया जाय।

(2) <u>जल अपशिष्ट प्रबन्धन–</u>

2.1. गौ–मूत्र, पशु की धुलाई व फर्श की सफाई आदि में प्रयुक्त अवशिष्ट जल एक गडडे में एकत्रित कर चारागाह में सिचाई हेतु प्रयोग किया जाय।

2.2. गो आश्रय स्थल द्वारा फर्श की सफाई धुलाई आदि में जल का संयमित उपयोग किया जाय तथा प्रयुक्त जल इस प्रकार निस्तारित किया जाय कि यह अण्डरग्राउड जल को प्रदूषित न करें।

2.3 गौ–आश्रय स्थल की फर्श कदापि चिकनी नही होनी चाहिए। फर्श चिकनी होने से पशुओं के फिसलने का डर बना रहता है।

(3) <u>वायु गुणवत्ता प्रबन्धन:–</u>

3.1. शेड हवादार, पूर्व पश्चिम की लॉग एक्सिस में बना होना चाहिए। जिससे आर्द्रता मौसम के अनुकूल रहें और गौशाला में मेथेन, कार्बनडाई आक्साइड एवं अमोनिया आदि गैसों का जमाव न हो।

3.2. जाड़े एवं वर्षा में शेडों में अत्यधिक भीड़भाड़ (Over crowding) नही होनी चाहिए।

3.3. शेड की क्षमता से अधिक पशु कदापि न रखे जाय।

3.4. गो आश्रय स्थल पर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाय।

3.5 गो आश्रय स्थल में गोवंश के खड़े होने आराम करने और गति/चलने फिरने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाय।

3.6 गो आश्रय स्थलों की कृषि विज्ञान केन्द्रों पशुपालन विभाग, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार चारा दाना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(4) साइटिंग पालिसीः—

4.1. गो आश्रय स्थल आवासीय परिसर/स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल/स्कूल से 100 मीटर की परिधि के बाहर स्थापित किये जायें तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि तालाब झील मुख्य जल स्त्रोत से 200 मीटर की परिधि से बाहर स्थापित हो।

4.2. आश्रय स्थलों में शेडों के बीच कम से कम 05 मीटर की दूरी रखी जाय तथा बीच में ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाय।

(5) अन्य बिन्दुः—

5.1 निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण हेतु चारा, पीने हेतु स्वच्छ पानी, समुचित प्रकाश एवं हवादार स्थल उपलब्ध होना चाहिये।

5.2 गोवंश के बैठने/आराम करने वाले स्थलों पर इन्टरलाकिंग लगायी जाय।

5.3 गो आश्रय स्थलों पर छायादार वृक्ष लगाये जाय, जिससे गोवंश को बैठने एवं आराम करने में सुविधा हो।

6. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार योजना का प्राथमिकता पर कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

( डा0 रजनीश दुबे )
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2104(1)/सैंतीस–2–2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
10. समस्त, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
11. गार्ड फाइल।

भवदीय,
Signed by देवेन्द्र कुमार पाण्डेय
( [illegible] Date: [illegible]-08-2023 16:05
विशेष सचिव [illegible]ved

महत्वपूर्ण/गो-सेवा

संख्या 2179/सैंतीस-2-2024-5(53)/2018टीसी-5

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 28 अक्टूबर, 2024

विषय-गो आश्रय स्थलों में कार्यरत गो सेवकों/श्रमिकों को गोवंश के भरण-पोषण एव प्रबन्धन के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि निराश्रित गोवंश संरक्षण एवं भरण-पोषण हेतु सरकार का दृढ संकल्प है। इस हेतु शासनादेश संख्या 4324/सैंतीस-2-2018-5(53)/2018 दिनांक 02-01-2019 द्वारा अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। उक्त नीति अर्न्तगत प्रदेश के 7,604 गो आश्रय स्थलों में 12,10,647 गोवंश संरक्षित हैं। इन गोवंशों के भरण-पोषण तथा देखभाल हेतु 21,884 गो सेवक/श्रमिक कार्य कर रहे हैं। संरक्षित गोवंशों की देखभाल तथा खान-पान की व्यवस्था अत्यंत संवेदनशील है तथा किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही से दुर्घटनाओं की सम्भावना बढ जाती है। निराश्रित गोवंश संरक्षण कार्यक्रम के संचालन में गो सेवको/श्रमिकों की महती भूमिका के दृष्टिगत उन्हे गोवंशो के रखरखाव के सम्बंध मे व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

2- सम्यक विचारोपरान्त गो आश्रय स्थलों मे कार्यरत गो सेवकों/श्रमिकों को गोवंश के भरण-पोषण एवं प्रबन्धन के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रशिक्षण माड्यूल-

स्थान-

| दिनांक | प्रशिक्षण विषय | विषय विशेषज्ञ |
|---|---|---|
| जनपदों द्वारा तिथि निर्धारित करते हुये, 10 नवम्बर तक | बीमार तथा अशक्त पशु की पहचान घायल पशु का प्राथमिक उपचार। | स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी |
| | गोवंश की प्रमुख बीमारियां, उनकी पहचान तथा रोकथाम हेतु टीकाकरण एवं अन्य सावधानी। | |
| | गोवंश को दिये जाने वाले चारे की गुणवत्ता तथा खानपान मे बरती जाने वाली सावधानी। | |

| | | |
|---|---|---|
| सम्पादित कराया जाए। | चारे के कारण उत्पन्न होने वाली विषाक्तता की पहचान तथा पाथमिक उपचार। | |
| | मृत गोवंशों का शव निस्तारण की मानक प्रक्रिया की जानकारी। | |

नोट- विकास खण्ड स्तर पर उपरोक्त तिथियों में प्रत्येक गो आश्रय स्थल से 50 प्रतिशत गो सेवकों का पशिक्षण पहले दिन तथा शेष 50 प्रतिशत गो सेवकों को प्रशिक्षण दूसरे दिन कराया जाय, जिससे गो आश्रय स्थल का कार्य प्रभावित न हो।

गो-सेवकों की दैनन्दिनी-

| समय | निर्धारित कार्य |
|---|---|
| प्रातः 05:30 से 06:30 वजे | गो आश्रय स्थल का भ्रमण कर वीमार व अशक्त गोवंशों को पृथक करना एवं उपचार हेतु प्रधान/सचिव/पशुचिकित्साधिकारी को यथास्थिति से अवगत कराना। |
| प्रातः 06:30 वजे से 07:30 वजे | गोवंश के चारे एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना। |
| प्रातः 07.30 वजे से 08.30 वजे | पशु शेड से गोवर एकत्र कर कम्पोस्ट पिट में डालना। |
| प्रातः 08.30 वजे से 09.30 वजे | अल्प अवकाश। |
| प्रातः 09.30 वजे से 11.00 वजे | हरे चारा की कुट्टी काटना तथा अन्य कार्य। |
| सायं 04.00 वजे से 05.00 वजे | शेड से गोवर हटाना। |
| सांय 05.00 वजे से 06.00 वजे | गोवंशों को चारा एवं पानी की व्यवस्था करना। |
| सांय 06.00 वजे से 07.00 वजे | गो आश्रय स्थल का सांयकालीन भ्रमण कर. वीमार एवं अशक्त गोवंशों को चिन्हित कर पृथक करना। |

नोट- उपरोक्त दैनंदिनी चार्ट प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर चस्पा किया जाये।

(1) गो सेवक द्वारा प्रातः काल एवं सायंकाल गो आश्रय स्थल का गहन रूप से निरीक्षण कर वीमार, अशक्त तथा मृत गोवंशों की जानकारी एकत्र की जाये।

(2) गो सेवकों द्वारा वीमार व अशक्त गोवंश को उपचार हेतु अलग (Segregate) किया जाए।

(3) गो सेवक द्वारा प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी/उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से उपचार हेतु तत्काल दूरभाष से सूचित किया जाये।

(4) घायल गोवंश को प्राथमिक उपचार का व्यवहारिक ज्ञान/परीक्षण गो सेवक को दिया जायेगा, जिससे उसके द्वारा तात्कालिक प्राथमिक उपचार दिया जा सके।

(5) सरक्षित गोवंशों के शरीर पर वाह्य परजीवी जैसे- जूं किलनी की पहचान तथा उनसे फैलने वाले रोगों तथा स्वास्थ्य पर पडने वाले दुष्प्रभाव के विषय में प्रत्येक गो सेवक को जानकारी दी जाये।

(6) गो सेवक द्वारा वाह्य परजीवी के प्रकोप को रोकने के लिये पशुशेड में कीटनाशक के सुरक्षित प्रयोग व छिडकाव के संबंध में प्रशिक्षित किया जाये। पशुशेड में पंद्रह दिन में एक बार कीटनाशकों का छिडकाव/स्प्रे किया जाये।

(7) गो सेवक द्वारा गोवंशों को भूसा गोदाम से भूसा निकालते समय यह ध्यान दिया जाये कि भूसे से किसी प्रकार की अस्वाभाविक गंध/दुर्गंध तो नहीं आ रही है। यदि भूसा भीगा हुआ एवं फफूंदी युक्त है तो उसे कदापि नहीं दिया जाना चाहिए।

(8) गो सेवक द्वारा हरे चारे को नांद में डालने अथवा कुट्टी काटने से पहले ध्यान दिया जाये कि-

(क) यदि हरे चारे से किसी भी प्रकार की असामान्य दुर्गंध आ रही है तो इस प्रकार के चारे की फसल में कीटनाशक के प्रयोग की संभावना रहती है। अतः इस प्रकार के संदिग्ध चारे को कदापि गोवंश को न दिया जाय।

(ख) चरी, ज्वार तथा बाजरा को चारे के रूप में प्रयोग करने से पूर्व चारा आपूर्तिकर्ता से यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि चारे की कटाई से कम से कम तीन दिन पूर्व फसल में सिंचाई की गयी थी अथवा नहीं। यदि फसल में यूरिया तथा नाइट्रेट जैसे रसायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया है तो ऐसे चारे को चार-पांच दिन बाद ही काट कर पशुओं को खिलाया जाये, जिससे नाइट्रेट/नाइट्राइट विषाक्तता का खतरा उत्पन्न न हो।

(ग) गो सेवक द्वारा गोवंशों को चारा डालने के पश्चात कम से कम एक घंटा गहनतापूर्वक शेड में निरीक्षण किया जाये तथा इस दौरान गोवंशों में किसी भी प्रकार के असामान्य लक्षण पाये जाने पर तत्काल ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव तथा संबंधित पशुचिकित्साधिकारी को सूचित किया जाए।

(घ) हरे चारे की कुट्टी को भूसे/साइलेज के साथ 1:4 के अनुपात मे मिलाकर दिया जाए।

(ड) कमजोर तथा अशक्त गोवंशों को गो सेवकों द्वारा अलग करके फीडिंग करायी जाए।

(च) उग्र तथा बलशाली साड तथा अन्य गोवंश जो चारे के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा अन्य गोवंशों को चारा खाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, उन्हें गो सेवक द्वारा पृथक किया जाए।

(छ) प्रत्येक गो आश्रय स्थल पर आहार एवं चारे का स्टॉक बोर्ड बनाकर लगाया जाये जिस पर चारे तथा पशु आहार के स्टॉक की उपलब्धता तथा खपत का विवरण दैनिक रूप से अंकित किया जाए।

81

104

## चारा/पशु आहार स्टॉक बोर्ड

दिनांक..............

| क्र0 सं0 | दिनांक | संरक्षित गोवंश संख्या | उपभोग विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भण्डार में उपलब्ध मात्रा | | | | दैनिक उपयोग | | | अन्तिम अवशेष |
| | | | चारे का प्रकार | गत दिवस अवशेष | प्राप्त | योग | सुबह | शाम | कुल खपत | |
| 1 | | | भूसा (कु0) | | | | | | | |
| 2 | | | हरा चारा (कु0) | | | | | | | |
| 3 | | | चोकर (कि0ग्रा0) | | | | | | | |
| 4 | | | पशु आहार (कि0ग्रा0) | | | | | | | |
| 5 | | | नमक (कि0ग्रा0) | | | | | | | |
| 6 | | | गुड़ (कि0ग्रा0) | | | | | | | |
| 7 | | | अन्य | | | | | | | |

नोट- उपरोक्त स्टाक बोर्ड संबंधित पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा दैनिक रूप से भरा जाए।

(9) गो सेवकों द्वारा चरही में प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल वोरिंग से भरा जाए। पानी में असमान्य रंग तथा दुर्गन्ध पाये जाने पर उसे गोवंशों को पीने हेतु कदापि न दिया जाए।

(10) गो सेवक द्वारा किसी भी अजनबी अथवा वाहरी व्यक्ति को गो आश्रय स्थल में प्रवेश करने से रोका जाए। जब तक संबंधित व्यक्ति की पहचान, भ्रमण तथा कार्य का औचित्य स्पष्ट न हो जाए।

(11) गो सेवक द्वारा दैनिक भ्रमण के दौरान गो आश्रय स्थल के तार-वाड़/वाउंड्रीवाल में किसी प्रकार की क्षति पाये जाने पर उसे ठीक कराये जाने हेतु तत्काल संबंधित कर्मचारी, अधिकारी को सूचित किया जाये।

(12) गो सेवकों द्वारा किसी गोवंश के मृत हो जाने पर यथाशीघ्र गो आश्रय स्थल से निकाल कर ट्रॉली इत्यादि पर गोवंश के शव को लादकर सुरक्षित एवं सम्मानीय ढंग से शव निस्तारण स्थल पर पहुंचाया जाए। तत्पश्चात ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव द्वारा शव को 5 से 6 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया जाए। गोवंश के शव को किसी भी दशा में घसीटा न जाए तथा शव को जंगली जानवरों द्वारा आहार वनाये जाने अथवा क्षत-विक्षत करने से रोका जाना चाहिये।

(13) गोवंशों को कृमिनाशक दवापान कराने से पूर्व गो सेवक द्वारा पशुचिकित्साधिकारी से दवा की ऐक्सपायरी, गुणवत्ता तथा डोज के वारे में जानकारी अवश्य कर ली जाए।

(14) गोवंशों को टीकाकरण के पश्चात किसी भी प्रकार के असामान्य लक्षण पाये जाने पर गो सेवक द्वारा पशुचिकित्साधिकारी को तत्काल सूचित किया जाए, जिससे समय रहते उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सके।

(15) आकस्मिक सेवा हेतु प्रयुक्त एम0वी0यू0 अपने दौरे के दौरान मार्ग में पड़ने वाले गो आश्रय स्थलों का भ्रमण, निरीक्षण एवं गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण करें तथा नियमित रूट

वाली एम0वी0यू0 भी मार्ग में पड़ने वाले तथा जिस गांव में कैम्प कर रही है, उसमें पड़ने वाले गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण एवं गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए।

(16) पशु चिकित्साधिकारी/उप मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं गो-आश्रय स्थल पर जाकर पशिक्षण देंगें. गो सेवकों/श्रमिकों को कहीं और न बुलाया जाए। प्रशिक्षण में संबंधित पशुधन प्रसार अधिकारी भी रहेंगें।

3- इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Devendra Kumar Pandey
Date: 28-10-2024 10:27:44

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या 2179(1)/सैतीस-2-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।

2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।

3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0शासन।

4- अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0शासन।

5- अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

6- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।

7- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

9- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

महत्वपूर्ण

संख्या–620/सैंतीस–2–2024–5(53)18टी0सी0–5

प्रेषक,

रविन्द्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

2–समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2 पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 15 मार्च, 2024

विषयः–प्रदेश में बड़े पशुओं (गोवंशीय/महिषवंशीय) का शतप्रतिशत ईयर टैगिंग कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश एक विशाल पशु आबादी का प्रदेश है। वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार प्रदेश में 1.90 करोड़ गोवंशीय पशु एवं 3.30 करोड़ महिषवंशीय पशु इस प्रकार कुल 5.20 करोड़ बड़े पशु हैं। पशुओं का डाटाबेस संरक्षित करने एवं समुचित प्रबंधन हेतु शत–प्रतिशत ईयर टैग किया जाना अनिवार्य है। समीक्षा में पाया गया कि वर्तमान में लगभग 75 प्रतिशत पशुओं का ही ईयर टैग किया गया है।

2. शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त पशुओं (गोवंशीय/महिषवंशीय) का शतप्रतिशत ईयर टैग कराये जाने हेतु निम्नांकित समय–सारणी के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) प्रदेश में स्थित समस्त वृहद गो आश्रय स्थलों/अस्थायी गो आश्रय स्थलों/कांजी हाऊस/शहरी क्षेत्र में स्थित कान्हा गोशालाओं में संरक्षित निराश्रित गोवंश की शत–प्रतिशत ईयर टैगिंग दिनांक 31.03.2024 तक कराना सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रदेश में स्थित पंजीकृत गोशालाओं में रक्षित गौवंश की शत–प्रतिशत ईयर टैगिंग दिनांक 15.06.2024 तक कराना सुनिश्चित किया जाय।

(3) पशुपालकों एवं डेयरी फार्म संचालकों द्वारा पाले जा रहे पशुओं (गोवंशीय/महिषवंशीय) की शत–प्रतिशत ईयर टैगिंग दिनांक 30.06.2024 तक कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) उक्त कार्ययोजना के अनुसार कार्य पूर्ण न करने को अत्यन्त गम्भीर चूक एवं कार्य के प्रति उदासीनता माना जायेगा तथा जिन जनपदों में उक्त

–2–

(5)

32 291

कार्य निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं होता है, उनके प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally Signed by
रविन्द्र
Date: 15-03-2024 17:52:18
Reason: Approved
(रविन्द्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या–620(1)/सैंतीस–2–2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2– निदेशक, (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।